GS WORLD

IAS PCS

Committed To Excellence

प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों का हिन्दी भावानुवाद

संदर्भित तथ्य एवं संभावित प्रश्नों सहित

(मई, 2018)

Head Office

629, Ground Floor, Main Road, Dr, Mukherjee Nagar, Delhi - 110009

Ph. : 011-27658013, 9868365322

INDEX

	आर्टिकल	प्रश्न-पत्र	पेपर	दिनांक
1.	नया पेरोल डेटा : एक समग्र विश्लेषण	पेपर-III (भारतीय अर्थव्यवस्था)	बिजनेस लाइन	1 मई
2.	बाल बलात्कार के लिए मृत्युदण्ड क्या नजरअंदाज करता है?	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	लाइव मिंट	2 मई
3.	कार्रवाई की आवश्यकता : भारत के वायु प्रदूषण संकट पर	पेपर-III (पर्यावरण एवं पारिथितिकी)	द हिन्दू	3 मई
4.	अनुशासन का एक स्वरूप : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम पर	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	4 मई
5.	दक्षिणी गठबंधन और 15वें वित्त आयोग	पेपर-II (भारतीय अर्थव्यवस्था)	द हिन्दू	5 मई
6.	बेहतर संबंध की ओर	पेपर-III (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)	द पॉयनियर	7 मई
7.	रोजगार के इन पहेलियों को रोकें : भारत की बेरोजगारी की समस्या पर	पेपर-III (भारतीय अर्थव्यवस्था)	द हिन्दू	8 मई
8.	भारत की पड़ोसी नीति	पेपर-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)	द हिन्दू	9 मई
9.	भारत की चुनावों पर डिजिटल खतरे से मुकाबला	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	10 मई
10.	विश्वास की कूटनीति : भारत-नेपाल संबंधों पर	पेपर-II (भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध)	द हिन्दू	11 मई
11.	ऊर्जा की कमी की स्थिति में : 100% विद्युतीकरण के लक्ष्य पर	पेपर-II एवं III (शासन व्यवस्था, बुनियादी ढाँचा ऊर्जा)	द हिन्दू	12 मई
12.	सर्वोच्च न्यायालय बनाम राज्य निर्वाचन आयोग	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	इंडियन एक्सप्रेस/द हिन्दू	14 मई
13.	क्या ग्लोबल वार्मिंग को निष्क्रिय करना संभव है?	पेपर-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी)	द हिन्दू	15 मई
14.	रोजगार में वृद्धि या संख्याओं का मायाजाल : एक प्रश्न	पेपर-III (भारतीय अर्थव्यवस्था)	द हिन्दू	16 मई
15.	एनीथिंग बट ग्रीन	पेपर-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी)	द हिन्दू	17 मई
16.	निर्वासन में पहचान	पेपर-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)	द हिन्दू	18 मई
17.	विवादित दावों को संतुलित करना	पेपर-III (भारतीय अर्थव्यवस्था)	द हिन्दू	19 मई
18.	लंबित पड़े मामलों के बोझ तले दबे न्यायालय	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	द हिन्दू	21 मई
19.	एक गर्वनर को क्या करना चाहिए	पेपर-II (शासन व्यवस्था)	इंडियन एक्सप्रेस	22 मई
20.	निपा वायरस : एक गंभीर समस्या	पेपर-III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)	द हिन्दू/इंडियन एक्सप्रेस	23 मई
21.	21वीं शताब्दी में प्राकृतिक पूंजी	पेपर-III (भारतीय अर्थव्यवस्था)	द हिन्दू	24 मई
22.	होमबॉयर्स और दिवालियापन कोड	पेपर-III (भारतीय अर्थव्यवस्था)	द हिन्दू	25 मई

* * *

GS World Committed To Excellence

नया पेरोल डेटा : एक समग्र विश्लेषण

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।।। (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

01 मई, 2018

"बिजनेस लाइन"

लेखक - लोकेश्वरी एस. के. (संपादक)

मोदी सरकार के आलोचकों ने अक्सर केंद्र की आलोचना करने के कारकों में नौकरी की वृद्धि की कमी का उपयोग खूब किया है। विमुद्रीकरण और जीएसटी, जिसने छोटे व्यवसायों को मुश्किल में डाल दिया, के साथ-साथ यह व्यापक रूप से माना जाता था कि देश के युवा नौकरी खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

समस्या यह थी कि केंद्र के पास अपने विरोधियों को जवाब देने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं था। गौरतलब हो कि देश में बेरोजगारी की सीमा मापने के लिए एनएसएसओ सर्वेक्षण 2015-16 में जारी किया गया था।

तब यह बताया गया था कि बेरोजगारी दर 5 प्रतिशत की 4 साल की चोटी पर थी, जिसमें महिलाओं के बीच बेरोजगारी 8.7 प्रतिशत थी, जो पुरुषों के बीच 4 प्रतिशत थी। हाल ही में जारी की गयी पेरोल डेटा, कुछ हद तक केंद्र को हो रहे इस विरोध से बचाने में मदद करेगा।

देखा जाये तो पिछले 6 महीनों (फरवरी तक) के दौरान करीब 22 लाख नई संगठित नौकरियां तैयार हुई हैं। ये संकेत मिले हैं भविष्य निधि संगठन और नेशनल पेंशन सिस्टम की तरफ से जारी किए गए पेरोल डाटा से। इससे रोजगार के मौके पर सरकार की स्थिति मजबूत होती दिखाई दे रही है।

ईपीएफओ की तरफ से जारी डाटा के मुताबिक फरवरी तक चले पिछले 6 महीनों के दौरान कुल 31 लाख लोगों ने संगठन के साथ खाता खोला। इनमें से 18 से 25 साल की उम्र के लोगो को नई नौकरी ज्वाइन करने वालों के तौर पर गिना गया है। इनकी कुल संख्या 18.5 लाख है। विशेषज्ञों का कहना है कि 18 से 25 साल की उम्र वालों को अलग कर दें और सिर्फ इससे ज्यादा उम्र वालों के फंड से जुड़ने को देखा जाए, तो इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था का काफी हिस्सा धीरे-धीरे संगठित होता जा रहा है।

नेशनल पेंशन सिस्टम की बात करें, तो 6 महीनों के दौरान केंद्रीय और सरकारी क्षेत्र से 3 लाख 50 हजार लोगों ने नये खाते खोले। इस डाटा को मिलाने के बाद कुल नये रोजगार की संख्या 22 लाख के करीब पहुंच जाती है।

ईपीएफओ और एनपीएस की तरफ से जारी यह डाटा मोदी सरकार के लिए काफी राहत देने वाला साबित होगा। विपक्ष लगातार कम रोजगार को लेकर सरकार के प्रति हमलावर रुख अपनाए हुए है।

एनपीएस और ईपीएफओ के अलावा इम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (ESIC) ने भी बुधवार को पेरोल के आंकड़े जारी किए हैं। हालांकि इस डाटा की फिर से जांच हो सकती है। क्योंकि आधार से लिंक डाटा नहीं है। इस डाटा में सामने आया है कि 18 से 25 साल की उम्र के 830,000 नये लोग जुड़े हैं। अगर इस डाटा को भी शामिल किया जाए, तो देश में कुल नये रोजगार का आंकड़ा 30 लाख के पार पहुंच सकता है।

यह क्या है?

नीति आयोग ने औपचारिक क्षेत्र के लिए पेरोल रिपोर्ट एकत्र करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) और पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों को शामिल किया है। औपचारिक क्षेत्र में नौकरियों को ट्रैक करने में मदद करेगा, जिसे अब से हर महीने जारी किया जाएगा।

पिछले हफ्ते जारी की गई रिपोर्ट सितंबर, 2017 से फरवरी, 2018 की अवधि में रोजगार वृद्धि को मापती है। ईपीएफओ के आंकड़ों के मुताबिक, छह महीने की अवधि में 31.1 लाख नई नौकरियां विचाराधीन थीं। पीएफआरडीए के आंकड़े बताते हैं कि इस अवधि में स्तर-1 खाते में 4.2 लाख नए पेरोल उत्पन्न हुए थे। यह मुख्य रूप से केंद्रीय और राज्य सरकार की नौकरियों को दर्शाता है। ईएसआईसी डेटा स्तर-2 द्वारा रिपोर्ट की गई संख्या के अनुरूप है।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

हालांकि, व्यापक रूप से, नौकरी के विकास को और अधिक बारीकी से ट्रैक करने के लिए केंद्र द्वारा यह एक महत्वपूर्ण कदम है। ईपीएफओ और पीएफआरडीए द्वारा दी गई संख्याओं से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में नौकरी निर्माण हो रहा है और इसे केंद्र द्वारा सकारात्मक माना जाएगा। लेकिन यह रिपोर्ट केवल तस्वीर का हिस्सा दिखाती है।

संख्या पेशेवरों के बीच रोजगार उत्पादन पर कब्जा नहीं करती है। नीति आयोग रोजगार के अन्य मार्गों के लिए आईसीएआई, बार काउंसिल, मेडिकल काउंसिल और अन्य पेशेवर निकायों जैसे अतिरिक्त स्रोत से आंकड़े प्रदान कर सकता है। इसके अलावा, अनौपचारिक क्षेत्र में कृषि उत्पादन, कृषि और सूक्ष्म उद्यमों में रोजगार उत्पादन केवल आवधिक सर्वेक्षणों की सहायता से ही लिया जा सकता है। एनएसएसओ रोजगार के वार्षिक और तिमाही सर्वेक्षण लाने की कोशिश कर रहा है जो आगे बढ़ने वाली एक और समग्र तस्वीर प्रदान करने में मदद कर सकता है।

चूंकि 20 से अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले किसी भी व्यवसाय को ईपीएफओ के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता है, इसलिए यह संभव है कि अनौपचारिक क्षेत्र में विचाराधीन अवधि में शामिल कई नई नौकरियां व्यावसायिक विस्तार के साथ औपचारिक क्षेत्र में चली गई है।

GS World Committed To Excellence

इसकी आवश्यकता क्यों?

यदि आप काम शुरू करने वाले हैं, तो देश में नौकरी की स्थिति आपके लिए बेहद आवश्यक है। अगर हमे देश में बेरोजगारी के बारे में मासिक रिपोर्ट और जो क्षेत्र अधिक नौकरियों का सृजन कर रहे हैं, इसकी जानकारी उपलब्ध हो जाती है तो हम अपने भविष्य के लिए सही राह का विकल्प चुन सकते हैं।

बेरोजगारी दर प्रमुख डेटा बिंदुओं में से एक है जिसे मौद्रिक नीतियों को तैयार करने में केंद्रीय बैंकों द्वारा उपयोग किया जाता है। एक बार यह डेटा अधिक व्यापक तरीके से एकत्रित हो जाने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक इसे अपने इनपुट में से एक के रूप में उपयोग करना शुरू कर सकता है। साथ ही निजी संगठनों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों पर निर्भरता अब समाप्त हो सकता है।

* * *

GS World टीम...

चर्चा में क्यों?

- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पहली बार रोजगार को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। इसके तहत फरवरी में जनवरी के मुकाबले नए नौकरियों के मौकों में 22 फीसद तक की कमी दर्ज की गई है। जारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी में रोजगार के 6.04 लाख नए मामले सृजित हुए थे। फरवरी में यह 4.72 लाख ही रहा। दिसंबर के बाद इसमें वृद्धि दर्ज की गई थी। नवंबर के मुकाबले दिसंबर में भी नए रोजगार के मौकों में भी कमी दर्ज की गई थी।

ईपीएफओ में हुए 18.5 लाख रजिस्टर्ड

- ईपीएफओ की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर से फरवरी तक कुल 31 लाख लोगों ने ईपीएफ में खाता खोला है। जिनमें से 18 से 25 साल की उम्र के 18.5 लाख युवा है। जानकारों की मानें तो 18 से 25 साल की उम्र वालों को अलग कर दें और सिर्फ इससे ज्यादा उम्र वालों के फंड से जुड़ने को देखा जाए, तो इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था का काफी हिस्सा धीरे-धीरे संगठित होता जा रहा है।

एनपीएस से जुड़े 3.50 लाख

- वहीं नेशनल पेंशन सिस्टम द्वारा जारी आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो 6 महीनों के दौरान केंद्रीय और सरकारी क्षेत्र से 3 लाख 50 हजार लोगों ने नए अकाउंट खुलवाएं हैं। ईपीएफ और एनपीएस के डाटा को जोड़ दिया जाए तो कुल नए रोजगार की संख्या 22 लाख के पास पहुंच रही है। ईपीएफओ और एनपीएस की तरफ से जारी यह डाटा मोदी सरकार के लिए काफी राहत देने वाला साबित होगा।

ईएसआई ने भी जारी किए आंकड़े

- एनपीएस और ईपीएफओ के अलावा इम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने भी बुधवार को पेरोल के आंकड़े जारी किए हैं। हालांकि इस डाटा की फिर से जांच हो सकती है। क्योंकि आधार से लिंक डाटा नहीं है। इस डाटा में सामने आया है कि 18 से 25 साल की उम्र के 8,30,000 नए लोग जुड़े हैं। अगर इस डाटा को भी शामिल किया जाए, तो देश में कुल नये रोजगार का आंकड़ा 30 लाख के पार पहुंच सकता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत में रोजगार वृद्धि दर में 2015-16 में 0.1 फीसदी और 2016-17 में 0.2 फीसदी की कमी आई है, हालांकि देश का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.4 फीसदी और 8.2 फीसदी की वृद्धि हुई है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समर्थित एक शोध परियोजना, इंडिया KLEMS डेटाबेस द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है।
- 2009 में शुरू किया गया, डेटाबेस उद्योग और सेक्टर-वार उत्पादकता की वृद्धि मापता है।
- कई क्षेत्रों (जिनमें खनन और उत्खनन, और वस्त्र और विनिर्माण शामिल हैं) ने 2014-15 और 2015-16 के बीच रोजगार वृद्धि दर में गिरावट देखी है। 2005-06 से कृषि में नकारात्मक वृद्धि दर देखी गई है, और पिछले पांच वर्षों में, विकास दर 2011-12 में -1.9 फीसदी से घटकर 2015-16 में -3.6 फीसदी हो गई है।
- निर्माण उद्योग में स्थिर रोजगार दर देखी गई है, 2011-12 में 9.8 फीसदी और 2015-16 में चार साल बाद 8.2 फीसदी, हालांकि इंडिया KLEMS डेटाबेस यह दर्शाता है कि क्षेत्र की कुल कारक उत्पादकता (दक्षता का एक उपाय) में हर साल गिरावट हो रही है।
- पिछले पांच सालों के लिए निर्माण उद्योग की औसत रोजगार वृद्धि दर 9 फीसदी है, जो पारंपरिक रूप से बड़े नियोक्ता हैं, वे अक्सर पूर्व कृषि श्रमिकों को काम देते हैं।
- उन्ही पांच वर्षों के दौरान (2011-12 से 2015-16) विनिर्माण की औसत रोजगार वृद्धि दर 3.2 फीसदी थी और खनन क्षेत्र का -0.76 फीसदी था।
- 2015-16 में, स्किल इंडिया मिशन ने वैकल्पिक रोजगार पाने के लिए लोगों को सही कौशल के साथ प्रशिक्षण देने पर 1,176 करोड़ रुपये खर्च किए। उसी वर्ष, रोजगार वृद्धि दर 0.2 फीसदी से कम हो गई, जो अर्थव्यवस्था के लिए नौकरियों के नुकसान का उस समय संकेत देती है, जब सरकार इस योजना के तहत 400 मिलियन लोगों को नियोजित करने का प्रयास कर रही थी।
- 'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनोमी' (सीएमआईई) का अनुमान है कि वर्तमान भारतीय बेरोजगारी दर 6.3 फीसदी होगी। हालांकि, नवंबर 2016 में नोटबंदी और जुलाई 2017 में माल और सेवा करों की शुरूआत के बाद, यह देखा जाना शेष है कि कई क्षेत्रों में रोजगार कितना प्रभावित हुआ है। रिपोर्टों (जैसे कि यहां और यहां) में बताया गया है कि असंगठित क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जिसके लिए KLEMS डेटाबेस द्वारा शामिल नहीं किया गया है।

संभावित प्रश्न

''वर्तमान सरकार ने देश में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने हेतु अब तक कई अभियानों और योजनाओं का निर्माण किया है। लेकिन इसके बावजूद इस समस्या से निजात नहीं मिल पाया है।'' इस कथन के सन्दर्भ में रोजगार के क्षेत्र में आई कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए बताये कि पेरोल डेटा इस समस्या के निदान हेतु कितना प्रभावी साबित होगा। (250 शब्द)

"The present government has so far formulated many campaigns and schemes to alleviate the problem of unemployment in the country. But despite this, the problem is not being resolved." In the context of this statement, mention the reason for the decline in employment and explain how much effective payroll data would prove to be in resolving this problem. (250 Words)

बाल बलात्कार के लिए मृत्युदण्ड क्या नजरअंदाज करता है?

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

02 मई, 2018

"लाइव मिंट"

लेखक - पूजा मारवाह (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, क्राई)

"बच्चों का शोषण ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए हमारा सारा ध्यान एक मजबूत सुरक्षा प्रणाली के निर्माण पर होना चाहिए।"

सबसे सरल और तार्किक सवाल यह है कि बच्चों के खिलाफ अपराधों की बढ़ती संख्या के लिए हम क्या कर रहे हैं? इन संख्याओं को बढ़ने से रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? और साथ ही हम अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? सामान्य रूप से कोई भी यह सुझाव देगा कि इसका उत्तर जागरूक समुदायों और बेहतर संस्थागत तंत्रों का निर्माण करके एक मजबूत सुरक्षा प्रणाली के निर्माण में निहित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों का शोषण न हो। खासकर तब, जब बच्चों के लिए मौजूद बाल संरक्षण जैसे सभी उपायों के बावजूद इनमें व्याप्त कमियों के माध्यम से इन पर अत्याचार को अंजाम दिया जा रहा हो, जिसके बाद सख्त और आश्वासित दंडकारी कार्रवाई का पहलू प्रासंगिक लगता है।

बाल बलात्कार के मामलों को रोकने के लिए कानूनी प्रक्रिया को और अधिक मजबूत करने की मांग की गई, जिसके बाद नवीनतम अध्यादेश का निर्माण हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश यह अध्यादेश अपने पहले महत्वपूर्ण कदम को अनदेखा करते हुए सीधे दूसरे स्थान पर चला गया, अर्थात अपने मूल उद्देश्यों की अनदेखी, जिसके कारण बच्चों का शोषण रोकने हेतु अन्य सभी उपायों में व्याप्त कमियों की तरह ही यह भी कमियों के बिना नहीं है।

केंद्रीय बजट 2018-19 में प्रतिबिंबित बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बजटीय प्रावधानों के संदर्भ में, एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) में 648 करोड़ रुपये से 725 करोड़ रुपये की मामूली वृद्धि की गयी है।

बच्चों के लिए कुल बजट का 1% से कम निवेश और एक नकदी से छेड़छाड़ की प्रणाली जिसमें विभिन्न कार्यकारी, प्रशासनिक और न्यायिक स्तरों पर बाल संरक्षण और सुरक्षा के कई पहलुओं को संबोधित करने वाले पेशेवरों की कमी, यह सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्या हम बच्चों पर हो रहे अपराधों के मूल कारणों को संबोधित करने के कहीं भी करीब हैं?

निश्चित रूप से यह कहना गलत नहीं होगा कि हम एक देश के रूप में एक ऐसा वातावरण बनाने में नाकाम रहे हैं, जहां बाल संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती हो, न तो हम जागरूकता निर्माण पर और गहरे रूप से अपना वर्चस्व स्थापित कर चुके पितृसत्तात्मक विश्वास की प्रणालियों को बदलने में कामयाब हुए हैं और ना ही हमने इसके लिए कोई बेहतर प्रयास किया है। इसके साथ-साथ हमने ऐसी चुनौतीपूर्ण संस्कृति को बदलने में पर्याप्त निवेश भी नहीं किया है, जो एक तरह से यौन आक्रामकता को बर्दाश्त करने के समान है।

बाल संरक्षण प्रणाली को मजबूत करने के महत्व को पूरी तरह नजरअंदाज करने के बाद, हमने अब बच्चों के खिलाफ बलात्कार को संबोधित करने के लिए एक अध्यादेश लाने का फैसला किया है। जिसके तहत बच्चे की उम्र और 12 साल से कम उम्र के बच्चों के बलात्कारियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान केंद्र द्वारा लाया गया है।

इस अध्यादेश के सन्दर्भ में, जिसमें अपराधियों की प्रकृति से संबंधित कई स्तर शामिल हैं अर्थात, बच्चे के साथ अपराधियों की निकटता और अपराध की अवधि, विशेषज्ञों और हितधारकों को बाल संरक्षण के मूल निवारक पहलुओं को संबोधित करने और इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपने विचार व्यक्त करने के लिए अधिक समय दिया जाना चाहिए था।

इस अध्यादेश में दो महत्वपूर्ण परिवर्तनों का जिक्र करना आवश्यक है, पहला पीड़िता की उम्र के आधार पर दंड और दूसरा अपराधियों की संख्या। 16 साल से कम उम्र के लड़कियों के बलात्कार के मामले में, न्यूनतम सजा 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है, जो आजीवन कारावास तक बढ़ाई जा सकती है।

16 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार के मामले में सजा आजीवन कारावास होगी। एक नए खंड, 376 एबी के सम्मिलन में कहा गया है कि 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे से बलात्कार की सजा कम से कम 20 साल है और इसे आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक बढाया जा सकता है और धारा 376 डीबी के तहत, जो कि सामूहिक बलात्कार से संबंधित है, प्रत्येक शामिल व्यक्ति को एक ही तरीके से दंड देने की बात करता है।

हालांकि, यौन अपराधों के लिए आयु से अलग आंकड़ों के चलते, ज्यादातर पीड़ित 12-18 आयु वर्ग के समूह में हैं, इसलिए आयु के निर्धारण के रूप में 16 और 12 साल निर्धारित करने का आधार अस्पष्ट लगता है। बच्चों के साथ हुए किसी भी अपराध को आदर्श रूप से एक ही चश्में से देखा जाना चाहिए।

यहां, किसी के लिए भी लड़कियों के लिए 12 से 16 वर्ष की अलग-अलग उम्र को निर्धारित करना और उनके साथ होने वाले अपराध के लिए मिलने वाली सजा के पीछे तर्क को समझना मुश्किल है।

जिस तरह बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है, यह निश्चित था कि केंद्र बाल संरक्षण के मुद्दे पर बड़े पैमाने पर बदलाव करेगा। जबकि सख्त दंड और अदालत की कार्यवाही में गति वास्तव में एक स्वागतयोग्य कदम है, लेकिन मृत्युदंड को शामिल करना कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि यह न्यायिक प्रक्रिया के लिए खतरा पैदा कर सकता है।

देखा जाये तो दुनिया भर के देश सजा के रूप में मृत्युदंड को धीरे-धीरे समाप्त करते जा रहे हैं, इसलिए जब हम इस मार्ग पर चलेंगे तो यह कई सवालों को जन्म देगा।

इस तथ्य के अलावा कि मृत्युदंड मुख्य रूप से एक बड़ी मानवाधिकार चिंता का विषय रहा है, दुनिया भर के आंकड़ों से यह तथ्य साबित होता है कि यह अपराधों को भी कम करने में सफल नहीं रहा है।

भारत के नवीनतम अपराधों के आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 95% मामलों में बच्चों पर उन लोगों द्वारा हमला किया जाता है, जो अपने परिवार, रिश्तेदार या पड़ोसी होते हैं।

इसलिए, यह कहना गलत नहीं होगा कि पीड़ितों के निकट रहने वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा। गरीब पृष्ठभूमि और सामाजिक वास्तविकताओं की पृष्ठभूमि के साथ एक अत्यधिक पितृसत्तात्मक सामाजिक सेट-अप में, इसकी पूरी संभावना है कि पीड़ितों पर शिकायत नहीं करने के लिए दबाव डाला जाएगा या उनके बयान को डरा धमका कर बदल दिया जाएगा।

हालांकि, यह संशोधन आपराधिक गतिविधि हो जाने के बाद अपनी कार्रवाई करेगा, इसलिए यहां सबसे अधिक आवश्यक है, बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए गंभीर विचार-विमर्श और निर्णायक कार्रवाई को सुनिश्चित करना, जिसके लिए सभी स्तरों पर भारी निवेश की आवश्यकता है। हमारे पास कई कानून और संशोधन हैं, लेकिन यदि हम इसके कार्यान्वयन को मजबूत नहीं करते हैं तो यह सब विफल हो जाएगा।

* * *

GS World टीम...

सजा की संकल्पना का उद्देश्य

- सभ्य समाज की संकल्पना अपराधियों को सुधारने के लिए की गई है, उन्हें मौत की नींद सुलाने के लिए नहीं। इस संदर्भ में फांसी की सजा वह उद्देश्य पूरा नहीं करती, जिसके लिए इस सजा का प्रावधान किया गया है।

मृत्युदण्ड का भारत में इतिहास

- मृत्युदण्ड का प्रावधान भारतीय दण्ड संहिता में साल 1861 में किया गया था।
- 1931 का प्रावधान विधानमण्डल में एक विधायक ने इसकी समाप्ति को लेकर विधेयक पेश करने की कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सके।
- आजादी के बाद जब केंद्र सरकार ने राज्यों से इस मामले में अपनी राय जाहिर करने को कहा, तब उनमें से ज्यादातर राज्य सरकारों ने इस सजा का पक्ष लिया। इन्हीं सब कारणों से विधि आयोग ने 1967 में अपनी 35वीं रिपोर्ट में मौत की सजा को बरकरार रखा और माना कि यह अपराध को हतोत्साहित करने का कारगर होगा।

मृत्युदण्ड अन्य देशों में

- भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन और अरब देशों के साथ दुनिया के उन चुनिंदा 52 देशों में शामिल है, जिसने अभी तक मृत्युदण्ड के प्रावधान को समाप्त नहीं किया है, जबकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त 192 देशों में से 140 ने अपने यहां से मृत्युदण्ड का प्रावधान हटा दिया है। यूरोपीय संघ ने तो अपनी सदस्यता के लिए मृत्युदण्ड का न होना एक अनिवार्य शर्त बना दी है।

मृत्युदंड के पक्ष में तर्क

- समाज को यह संदेश देना आवश्यक है कि इस तरह के कृत्य सभ्य समाज में बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं हैं।
- इस मामले में बलात्कार के लिये कारावास और बलात्कार के बाद हत्या के लिये भी आजीवन कारावास का प्रावधान यह संभावना बढ़ा देगा कि अपराधी दोनों ही अपराधों को अंजाम दे दे और ऐसे में यह भी संभावना रहेगी कि उसका अपराध कभी सामने ही न आए।
- अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, चीन, इंडोनेशिया, ईरान और खाड़ी के देश, सभी में कुल मिलाकर विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या रहती है। यदि इन सभी देशों में मृत्युदंड का प्रावधान है , तो इसका अर्थ है कि आधी से अधिक दुनिया इसका समर्थन करती है।

मृत्युदंड के विपक्ष में तर्क

- ऐसे कोई भी प्रमाण नहीं हैं जिनसे ये निर्धारित किया जा सके कि मृत्युदंड से बलात्कार और हत्या जैसे अपराधों की संख्या में कमी आई है।
- विश्व के ज्यादातर राष्ट्रों ने मृत्युदंड का प्रावधान अपनी न्यायिक व्यवस्था से हटा दिया है।
- मृत्युदंड, प्रतिशोध का एक कृत्य मात्र है, जबकि सभ्य समाजों में दंड का उद्देश्य सुधार या अपराध का निवारण होता है।
- "प्राण के बदले प्राण" , गांधी जी के उस कथन की भाँति ही है जिसमें वे कहते हैं कि " आँख के बदले आँख की नीति सारे संसार को अंधा बना देगी"।

'क्या है दुर्लभ में दुर्लभतम का सिद्धांत'?

- जब सर्वोच्च न्यायालय ने 'दुर्लभ मामलों में दुर्लभतम' (rarest of rare cases) का सिद्धांत दिया था तो इसके पीछे उसका विचार यह था कि मृत्युदंड केवल कुछ दुर्लभ मामलों में ही दिया जाएगा, जबकि अन्य मामलों के लिये आजीवन कारावास को मानदंड मान लिया जाएगा, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा है। इसका एक परिणाम यह है कि इस मामले के अपराधियों को मृत्युदंड देकर न्यायालय ने समाज को अचंभित कर दिया है।

* * *

संभावित प्रश्न

हाल ही में बलात्कार जैसे जघन्य अपराध पर नियंत्रण पाने हेतु सरकार द्वारा लाये गये मृत्युदंड जैसे कठोर दण्ड के प्रावधान को स्पष्ट करते हुए बताये कि क्या यह उचित होगा कि मानसिक कुंठा और विकृति में किये गए अपराध के बदले एक सभ्य समाज अपराधी के साथ भी वही व्यवहार करे जो उस अपराधी ने पीड़ित के साथ किया? तर्क सहित उत्तर प्रस्तुत कीजिये। (250 शब्द)

Recently clarifying the provision of rigorous punishment like death penalty brought by the government to have control over heinous crimes like rape, whether it would be reasonable that instead of a crime done in mental frustration and deformity, a decent society is also doing same behavior to the culprit that he has done with the victim? Give logical answer. (250 Words)

कार्रवाई की आवश्यकता : भारत के वायु प्रदूषण संकट पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।।। (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) से संबंधित है।

03 मई, 2018

"द हिन्दू"

''डब्ल्यूएचओ ने भारत के शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण संकट पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी स्थिति सामान्य नहीं हैं।''

विश्व स्वास्थ्य संगठन की नई रिपोर्ट न केवल शहरी भारत में व्यापक वायु प्रदूषण की गंभीरता को दर्शाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि हवा की गुणवत्ता की निगरानी पर बिकुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रिपोर्ट, जिसमें 4,300 शहरों के लिए 2016 के आंकड़ों का सारांश दिया गया है, दुनिया भर में 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 14 शहर भारत में मौजूद है।

इन भारतीय शहरों में दिल्ली छह नंबर पर, कानपुर, फरीदाबाद, वाराणसी, गया और पटना पीएम 2.5 स्तरों से आगे हैं। और फिर भी, कानपुर, फरीदाबाद और कई अन्य प्रदूषण वाले शहरों में केवल एक पीएम 2.5 निगरानी प्रणाली है, जबकि दिल्ली में कई हैं।

डब्ल्यूएचओ शोधकर्ताओं ने ग्राउंड-मॉनिटरिंग स्टेशनों के साथ-साथ सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग और रासायनिक परिवहन मॉडल जैसे वैकल्पिक डेटा स्रोतों का उपयोग करके इस समस्या को दर्शाया है। इस शोध के नतीजे यह स्पष्ट करते हैं कि वायु प्रदूषण अकेले बड़े महानगरों की समस्या नहीं है, भले ही वे परंपरागत रूप से शमन के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हों।

डेटा गुणवत्ता में इस तरह के व्यापक बदलाव दुनिया भर में मौजूद हैं। जबकि यूरोप में सबसे व्यापक निगरानी नेटवर्क है, अफ्रीका और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के देश ही खराब प्रदर्शन करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इन क्षेत्रों के आंकड़े खराब गुणवत्ता वाले हैं और संभवत: कम अनुमानित होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बीमारी के बोझ की भी कम गणना होती है।

एक अनुमान के मुताबिक हर साल पूरी दुनिया में करीब 65 लाख लोगों की वायु प्रदूषण के चलते अकाल मौत होती है। वहीं डब्लूएचओ के आंकड़े बताते हैं कि 2016 के दौरान भारत सहित दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में करीब 13 लाख मौतों के लिए वायु प्रदूषण जिम्मेदार था।

खासकर पांच साल से कम उम्र के बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग वायु प्रदूषण का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव झेलते हैं। प्रदूषित हवा मुख्य रूप से सांस की बीमारियों, तरह-तरह के संक्रमण और हृदयरोगों की वजह बनती है, लेकिन इसका बुरा असर सिर्फ सेहत तक ही नहीं देखा जा सकता। बीमारियों का मतलब है स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च. जाहिर है कि इससे गरीब तबका सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। कुल मिलाकर यह स्थिति गरीबों के जीवनस्तर में सुधार लाने और गरीबी दूर करने के प्रयासों के लिए झटका साबित होती है।

इससे मानव संसाधन की उत्पादकता पर भी नकारात्मक असर पड़ता है. साथ ही बच्चों का मानसिक विकास भी प्रभावित होता है और इस तरह पूरी अर्थव्यवस्था को वायु प्रदूषण के बुरे नतीजे झेलने होते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इसकी वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था 7.2 प्रतिशत के नुकसान में चल रही है। भारत के लिए भी वायु प्रदूषण जनस्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण, तीनों के लिहाज से एक गंभीर समस्या है।

रिपोर्ट में सालाना सात मिलियन वैश्विक मौतें वायु प्रदूषण से होती है, जो फेफड़ों के कैंसर, निमोनिया और इस्किमिक हृदय रोग जैसी बीमारियों के कारण होती है। अकेले 2016 में, बाह्य वायु प्रदूषण के कारण लगभग 4.2 मिलियन लोग मारे गए थे, जबकि 3.8 मिलियन लोग लकड़ी और गाय के गोबर जैसे ईंधनों पर खाना पकाने के कारण इसका शिकार हो गए थे।

इनमें से एक तिहाई मौत दक्षिणपूर्व एशियाई देशों में हुई, जिसमें भारत भी शामिल है। यदि एक बार इन क्षेत्रों में निगरानी प्रणाली स्थापित हो जाती है, तो इन संख्याओं में कमी आ जाएगी।

हांलाकि, रिपोर्ट में भारत के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए भी प्रशंसा के शब्द थे, जिसमें एलपीजी (द्रवित पेट्रोलियम गैस) कनेक्शन को गरीबी रेखा से नीचे 37 मिलियन महिलाओं को सुविधा उपलब्ध कराई गयी हैं। ऐसी योजनाएं इनडोर (घर के भीतर होने वाले) वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद करेंगी जो ग्रामीण भारत को पीड़ित करती है, लेकिन इसे डब्ल्यूएचओ विश्लेषण में शामिल नहीं किया गया है।

हालांकि, हमे यह याद रखना चाहिए कि ग्रामीण भारत में अक्षम कुक-स्टोव से परे भी कई समस्याएं हैं। हाल ही में प्रकाशित मसौदा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अनुसार, वर्तमान में ग्रामीण भारत में कोई वायु प्रदूषण निगरानी स्टेशन नहीं है।

इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आउटडोर (बाह्य) वायु प्रदूषण की समस्या यहाँ नहीं है। अध्ययनों से पता चला है कि ग्रामीण इलाकों में ओजोन का स्तर अधिक है, क्योंकि कीटनाशकों के उपयोग और फसल जलने से यही प्रदूषण अधिक होती है।

डब्ल्यूएचओ ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से इनडोर और आउटडोर प्रदूषण की जुड़वां समस्याओं से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई करने के लिए कहा है। कुल मिलाकर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में हर गंभीर कोशिश को इससे जुड़े आंकड़ों के परे जाकर देखने-समझने की जरूरत है। भारत को यह महसूस करना चाहिए कि डब्ल्यूएचओ के अनुमानों की तुलना में इसकी समस्याएं बड़ी हैं और इसके लिए गंभीरता से कार्रवाई करनी होगी।

* * *

चर्चा में क्यों?

- वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाईजेशन ने जागतिक वायु प्रदूषण पर अपनी सालाना रिपोर्ट जिनेवा में प्रकशित की। इस रिपोर्ट में विश्व के सबसे ज्यादा प्रदूषित 15 महानगरों में 14 भारतीय शहर हैं। कानपुर में वायु प्रदूषण का स्तर सबसे खराब हैं। कानपुर में प्रति घन मीटर(क्यूबिक मीटर) हवा में 173 माइक्रोग्राम पीएम 2.5 स्तर के प्रदूषक घटक पाए गए हैं।
- रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में कुल 108 देशों के 4300 शहरों की वायु गुणवत्ता का अध्ययन किया गया। कई अफ्रीकी देशों ने वायु गुणवत्ता की जांच करने की अनुमति देने से इन्कार किया था। इस रिपोर्ट में कुल 181 भारतीय महानगरों की वायु गुणवत्ता जाँची गयी।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू.एच.ओ.) ने हवा में प्रदूषक घटकों को दो वर्गों में विभाजित किया हैं। पीएम 10 और पीएम 2.5, मुख्य प्रदूषकों में सल्फेट, नाइट्रेट, ब्लैक कार्बन जैसे आरोग्य को हानि पहुँचाने वाले पदार्थ हैं।
- फरीदाबाद, वाराणसी और गया इन शहरों को कानपुर के बाद क्रमशः दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान दिया गया है। शीर्ष 20 प्रदूषित शहरों में भारतीय महानगरों के अलावा कुवैती शहर अली सुबह-अल सालेम और चीन, मंगोलिया के भी कुछ शहर शामिल हैं।

प्रदूषण और आरोग्य समस्याएं

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू.एच.ओ.) की रिपोर्ट के अनुसार, विश्व के हर दस लोगों में से नौ लोगों को प्रदूषित हवा में सास लेनी पड़ती हैं। इसके कारण हर साल 70 लाख लोग अपनी जान गवाते हैं।
- एशिया और अफ्रीकी देशों में प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों में से 90 प्रतिशत मौतें वायु प्रदूषण से होती हैं। वायु प्रदूषण से होने वाली गंभीर समस्याओं में हृदय विकार, फेफड़ों का कैंसर (लंग कैंसर) भी शामिल हैं।

प्रदूषण और भारतीय शहर

- देश की राजधानी दिल्ली विश्व का छठां सबसे प्रदूषित शहर हैं। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता दिन प्रति दिन खराब होती जा रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में प्रदूषण की स्थिती में 2010 से 2014 के दौरान सुधार देखा गया था लेकिन 2015 में हालात बिगड़ने लगे।
- देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में प्रदूषण का स्तर बीजिंग के सामान हैं। लेकिन चीनी सरकार जिस तरह से प्रदूषणकम करने के प्रयासों में लगी हैं, उस तरह की गंभीरता भारतीयों में नहीं हैं। यह बात खेद जनक हैं।
- जयपुर राजस्थान में सबसे अधिक प्रदूषित शहर हैं। इसके अलावा जोधपुर, अलवर, कोटा, उदयपुर भी प्रदूषण नियंत्रण में पीछे हैं।
- सरकार के आखिरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम(नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम) की घोषणा की। पर्यावरण और वन संवर्धन राज्यमंत्री महेश शर्मा ने इस प्रदूषण के बढ़ते खतरे को मानते हुए इस कार्यक्रम की लोकसभा में घोषणा की।

प्रदूषण नियंत्रण

- देश में प्रदूषण को कम करने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद् (सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड) की स्थापना की गयी हैं, और इस बोर्ड के हर राज्यों में क्षेत्रीय मुख्यालय हैं
- दिल्ली में वायु प्रदूषण की तुलना सामान्य तौर पर बीजिंग से की जाती हैं, लेकिन बीजिंग की वायु गुणवत्ता में चीनी सरकार के प्रयासों के चलते कमी आ रही हैं।
- 2013 में शीर्ष 20 प्रदूषित शहरों में 14 चीनी महानगर थें और 2016 के रिपोर्ट में सिर्फ चार चीनी शहर थे। इससे चीन में प्रदूषण के प्रति लोगों में गंभीरता और चीनी सरकार की कटिबद्धता का पता चलता है।
- 2013 में चीनी सरकार ने नेशनल एक्शन प्लान फॉर एयर पोल्यूशन कंट्रोल के अंतर्गत कई कदम उठाये है। डब्ल्यू.एच.ओ के अनुसार बीजिंग की वायु गुणवत्ता में 2013 से सुधार हो रहा है।

प्रदूषण में वृद्धि के कारण

- वैज्ञानिकों के अनुसार, पिछले लगभग एक दशक से गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पर्टिकुलेट मैटर में लगातार वृद्धि हो रही है और इसके बारे में समय-समय पर जानकारी भी दी गई है। अतः इस रिपोर्ट में कुछ भी नया या आश्चर्यजनक नहीं है।
- यहाँ तक कि सैटेलाइटों से लिये गए चित्र भी यह दर्शाते हैं कि गंगा का मैदानी क्षेत्र वायु प्रदूषण के बड़े हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहा है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार गंगा का मैदान भी एक विशाल घाटी की तरह ही है, जो उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्य श्रेणी के बीच में स्थित है। अतः यहाँ से प्रदूषक बहुत दूर तक नहीं जा पाते, जिससे यहाँ इनकी सांद्रता बढ़ रही है।
- यह क्षेत्र दुनिया में सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र की आबादी 600 मिलियन से भी अधिक है। अतः इतनी बड़ी जनसंख्या की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बड़े स्तर पर ईंधन का दहन होता है, जिससे हवा में बड़ी मात्रा में प्रदूषक और पर्टिकुलेट मैटर मुक्त होते हैं।
- यह भूमि आबद्ध क्षेत्र है एवं इसे मुंबई और चेन्नई जैसे तट का लाभ प्राप्त नहीं है। अतः यहाँ से प्रदूषण का शीघ्रता से समाप्त होना संभव नहीं है।
- इसके अलावा यहाँ के बहुत से छोटे शहरों में अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति खराब है, बड़ी मात्रा में ठोस ईंधन जलाया जाता है, लोग गैर-मोटर चालित वाहनों के बजाय मोटर चालित वाहनों का अधिक उपयोग करने लगे हैं।
- लेकिन लिस्ट में शामिल गया और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में पीएम 2.5 का स्तर बढ़ने के अलग कारण हो सकते हैं। मसलन, यहाँ पर वर्ष के अधिकांश समय मुख्यतः हवा की दिशा उत्तर-पश्चिम से पूर्व की ओर होती है और यह सर्दियों के दौरान और अधिक तेजी से बहती है। परिणामस्वरूप यह अन्यत्र उत्पन्न प्रदूषण को भी अपने साथ इन क्षेत्रों में ले आती है। यहाँ तक कि दिल्ली में पाए जाने वाले सभी प्रदूषक भी वहाँ पैदा नहीं होते, बल्कि अन्य स्थानों से यहाँ पहुँचते हैं।

संभावित प्रश्न

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) द्वारा जारी वायु प्रदूषण पर एक नई वैश्विक रिपोर्ट न केवल शहरी भारत में व्यापक वायु प्रदूषण की गंभीरता को दर्शाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि हवा की गुणवत्ता की निगरानी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस कथन के संदर्भ में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने हेतु उपाए सुझाये। (250 शब्द)

Recently, a new report from the World Health Organisation highlights not only how widespread air pollution is in urban India, but also how deficient air quality monitoring is. In the context of this statement, suggest ways to deal with the problem of air pollution. (250 Words)

अनुशासन का एक स्वरूप : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

04 मई, 2018

''द हिन्दू''

लेखक- जी. संपथ (संपादक)

एससी/एसटी अधिनियम के साथ समस्या, आपराधिक न्याय प्रणाली की विफलता है जो अपने जातिवादी पूर्वाग्रहों को पहचानने में विफल रही है।

दलित और आदिवासी अधिकार संगठनों ने 1 मई को 'राष्ट्रीय प्रतिरोध दिवस' के रूप में देखा। समस्या तब उत्पन्न हुई, जब 20 मार्च को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम, 1989 (इसके बाद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम) पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना आदेश दिया। देश भर में आयोजित विरोध प्रदर्शनों में सरकार से तीन मांगें की गयी थीं: जिसमें पहला था कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को एक अध्यादेश के माध्यम से बेअसर करना था जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम, 2015 दोनों को उनके मूल रूप में बहाल करेगा; दूसरा इन दोनों कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग और तीसरा 2 अप्रैल को गिरफ्तार सभी दलितों को रिहा कर दिया जाये, जिन्होंने 'भारत बंद' के जरिये सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का विरोध किया था।

महाजन मामला

इस संबंध में बहुत बात हो चुकी है कि क्यों जाति से संबंधित अत्याचारों से पीड़ितों के लिए न्याय के सन्दर्भ में सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्यों अहितकर है। लेकिन विवादास्पद फैसले को प्रेरित करने वाले अंतर्निहित मामलों को पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। संक्षेप में इस मामले के तथ्यों पर विचार करने के लिए सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला निर्देशात्मक हो सकता है।

यह मामला 2007 में हुआ था, जब महाराष्ट्र के कराड के एक सरकारी कॉलेज में एक स्टोरकीपर भास्कर गायकवाड़ ने कॉलेज के प्रिंसिपल सतीश भिसे द्वारा किए गए कथित न्याय विरुद्ध कार्य पर प्रकाश डालने के लिए राज्य सरकार को एक पत्र लिखा था। श्री गायकवाड़ अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय से हैं, श्री भिसे एक गैर-एससी व्यक्ति हैं।

अप्रैल, 2008 में श्री गायकवाड़ ने अपनी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में कहा था कि उन्होंने कॉलेज के लिए सामग्री की खरीद में कुछ अनियमितताओं को प्रकाश में लाया था। जब श्री गायकवाड़ के रिपोर्टिंग अधिकारी किशोर बुराड़े (एक गैर-एससी व्यक्ति भी) ने इसे देखा, तो उन्होंने कथित तौर पर श्री गायकवाड़ के प्रदर्शन के साथ-साथ उनके चरित्र के बारे में कुछ जातिवादी टिप्पणी एसीआर में दर्ज कर दी। जिसके बाद श्री भिसे ने भी एसीआर में श्री गायकवाड़ के खिलाफ कथित तौर पर टिप्पणियां की।

जब श्री गायकवाड़ अपने एसीआर में इन टिप्पणियों से अवगत हो गए, तो उन्होंने एससी/एसटी अधिनियम के तहत श्री भिसे और श्री बुराडे के खिलाफ एफआईआर दायर की जो एक सरकारी कर्मचारी को ऐसी झूठी सूचना देने के लिए एक गैर-एससी व्यक्ति को दंडित करता है जससे एससी व्यक्ति को नुकसान पहुंच सकता है। चूंकि अभियुक्त प्रथम श्रेणी के अधिकारी थे, इसलिए पुलिस ने मुकदमा चलाने के लिए स्वीकृति के लिए आवेदन किया था। महाराष्ट्र के तकनीकी शिक्षा निदेशक सुभाष के. महाजन ने जांच अधिकारी को अभियोजन पक्ष के लिए मंजूरी देने से इंकार कर दिया।

श्री महाजन द्वारा अभियोजन पक्ष के लिए मंजूरी देने से इंकार करने के बाद, पुलिस ने मामले को सी-सारांश रिपोर्ट दायर की, जिसका मतलब है कि मामला 'न तो सत्य और न ही झूठा' है। श्री गायकवाड़ का दावा है कि उन्हें चार साल से अधिक समय तक पुलिस या अदालतों द्वारा इस तथ्य से रूबरू नहीं कराया गया था और ना ही उन्हें इसकी समचना दी गयी थी, जबकि कानूनन उन्हें इसकी जानकारी देनी चाहिए थी।

आखिरकार 2016 की शुरुआत में उन्हें सी-सारांश रिपोर्ट के बारे में पता चला, उन्होंने श्री महाजन के खिलाफ इस बार एक और एफआईआर दायर की, जिसमें उन्होंने शिकायत कि इन्होने एससी व्यक्ति के खिलाफ अपराध के आरोपी को जानबूझकर बचाया है। यह भी एक अपराध है जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित करता है।

इसके बाद अगस्त 2016 में, प्रतिवादी (सुभाष महाजन) ने बॉम्बे हाईकोर्ट गये और मांग कि एफआईआर को इस आधार पर रद्द कर दिया जाए कि उनके खिलाफ आरोप झूठे और बेबुनियाद थे। उच्च न्यायालय ने न केवल मामले को रद्द करने से इंकार कर दिया, बल्कि यह भी फैसला किया कि 'अधिनियम में पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं जो निर्विवाद और झूठे अभियोजन पक्ष के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी देते हैं।'

इसके बाद प्रतिवादी ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की। सर्वोच्च न्यायालय, श्री महाजन की अपील की योग्यता के साथ पूरी तरह से अवगत होने के बजाय, नाटकीय रूप से इस मामले की सीमा का विस्तार किया, और टिप्पणी की कि क्या बुरी नियत से किया गया कोई भी एकपक्षीय आरोप आधिकारिक क्षमता के साथ मामले से निपटने वाले अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए आधार हो सकता है और यदि ऐसे आरोप गलत तरीके से किए गए हैं तो इस तरह के दुर्व्यवहार के खिलाफ क्या सुरक्षा उपलब्ध है?

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत झूठी शिकायतों से पीड़ित होने से निर्दोष गैर-अनुसूचित जाति के लोगों की सुरक्षा के नाम पर, इस कानून के प्रमुख प्रावधानों को समाप्त करने वाले तीन दिशानिर्देश निर्धारित किए गए: इसने अग्रिम जमानत के अनुदान पर रोक को हटा दिया; भले ही महाजन मामला केवल सरकारी कर्मचारियों से संबंधित था, लेकिन फिर भी फैसला यह सुनाया गया कि आरोपी एक गैर-सरकारी कर्मचारी भी हो तो वो भी इस फैसले के अंतर्गत आएगा, पुलिस केवल एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अनुमोदन के बाद गिरफ्तारी कर सकती है; और यह माना गया कि एफआईआर दर्ज करने से पहले, पुलिस शिकायत की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक जांच कर सकती है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए रुकावट

एक साथ ये तीन परिवर्तन एससी/एसटी अधिनियम के मूल जनादेश को अच्छी तरह से उलट देते हैं: एफआईआर दर्ज करने और आरोपी की जांच करने के बजाय, पुलिस अब तुरंत दलित पर शक करेगी और सत्यता के लिए शिकायत की जांच करेगी।

कोई यह मान सकता है कि झूठे आरोपों को रोकने के लिए विशेष दिशानिर्देशों को ऐसे मामले से बल मिल जाएगा जहां झूठे आरोप साबित हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मूल शिकायतकर्ता श्री गायकवाड़, प्रतिवादी, श्री भाई, श्री बुराडे और श्री महाजन के खिलाफ किए गए आरोपों के साथ पूरी तरह से संलग्न नहीं है।

अदालत के आदेश का अब तक का सबसे परेशान करने वाला पहलू यह है कि कमजोर दोषसिद्धि दर और उच्च दोषमुक्ति दरें झूठे मामलों की एक बड़ी संख्या का निर्माण करती हैं। क्या हम, किलवेमानी नरसंहार (तमिलनाडु, 1968, 44 दलितों की हत्या) में सभी आरोपी के निर्वासन के लिए, सुन्दुरु नरसंहार (आंध्र प्रदेश, 1991, आठ दलितों की मौत), बाथानी टोला नरसंहार (बिहार, 1996 , 21 दलितों की मौत), लक्ष्मणपुर-बाथे हत्याकांड (बिहार, 1997, 58 दलित मारे गए), शंकरबिघा नरसंहार (बिहार, 1999, 23 दलितों की मौत), बड़े पैमाने पर निर्दोषों के कुछ सबसे कुख्यात उदाहरणों का जिक्र करने के लिए इस तर्क को लागू कर सकते हैं? क्या इन निर्दोषों का मतलब है कि आरोपी के खिलाफ मुकदमे झूठे थे?

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम दलितों के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि ये उन्हें जाति से उत्पन्न अन्याय से उनकी रक्षा करने में प्रभावी हैं। इस कानून के साथ समस्या आपराधिक न्याय प्रणाली की विफलता है जो अपने जातिवादी पूर्वाग्रहों को पहचानने में विफल रही है। आखिरकार, मूल तथ्य यह है कि जाति में घिरे समाज में, कोई संस्था जातिवादी पूर्वाग्रह या मानसिकता से प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकती है।

* * *

GS World टीम...

चर्चा में क्यों?

- एससी-एसटी एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक के खिलाफ केंद्र की पुनर्विचार याचिका पर गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन को लेकर दिए गए आदेश को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कहा कि यह आदेश न्यायसंगत है।
- हमारा फैसला किसी व्यक्ति को यह नहीं कहता कि वह अपराध करे। हां दोषी को सजा जरूर मिले, लेकिन किसी बेगुनाह को सजा क्यों मिले? यह बातें सुप्रीम कोर्ट ने तब कही जब अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है। अब इस मामले की अंतिम सुनवाई 16 मई को होगी।

महान्यायवादी ने क्या कहा?

- वेणुगोपाल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है कि न तो सीधे एफआईआर दर्ज की जा सकेगी और न ही सीधे गिरफ्तारी हो सकेगी। एफआईआर से पहले प्रारंभिक जांच होगी। अग्रिम जमानत का भी प्रावधान कर दिया गया है। यह एससी एसटी ऐक्ट में बदलाव की तरह है।
- सीआरपीसी की धारा-41 कहती है कि संज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी होगी, लेकिन जजमेंट में गिरफ्तारी से पहले संबंधित नियुक्ति करने वाले अथॉरिटी या फिर आम लोगों के लिए एसएसपी की मंजूरी चाहिए। धारा-18 अग्रिम जमानत को रोकती है, लेकिन जजमेंट में अग्रिम जमानत का प्रावधान किया गया और इस तरह ऐक्ट के प्रावधानों का ये जजमेंट विरोधाभासी है।
- इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फर्जी मामलों पर नियंत्रण के लिए प्रारंभिक जांच की बात कही गई है। अगर किसी के जीवन के अधिकार प्रभावित होते हैं, तो उसे कौन संरक्षित करेगा?

क्या था मामला?

- सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, वह डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य और एएनआर मामले की सुनवाई के दौरान आया है। महाराष्ट्र के एक दलित कर्मचारी ने अपने खिलाफ की गई गोपनीय टिप्पणी के चलते अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ इस कानून के अंतर्गत मामला दर्ज कराया था।
- मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उनके वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति मांगी तो उन्होंने अनुमति नहीं दी। इसके बाद उस वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ भी पुलिस में मामला दर्ज करा दिया गया।
- इस पर बचाव पक्ष का कहना था कि अगर किसी दलित व्यक्ति को लेकर ईमानदार टिप्पणी करना भी अपराध है, तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।

न्यायालय द्वारा जारी किये गए नए दिशा-निर्देश

- ऐसे मामलों में किसी भी निर्दोष को कानूनी प्रताड़ना से बचाने के लिये कोई भी शिकायत मिलने पर तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। सबसे पहले शिकायत की जाँच डीएसपी स्तर के पुलिस अफसर द्वारा की जाएगी।
- न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह जाँच पूर्ण रूप से समयबद्ध होनी चाहिये। जाँच किसी भी सूरत में 7 दिन से अधिक समय तक न चले। इन नियमों का पालन न करने की स्थिति में पुलिस पर अनुशासनात्मक एवं न्यायालय की अवमानना करने के संदर्भ में कार्रवाई की जाएगी।
- अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त करने वाली अथॉरिटी की लिखित मंजूरी के बाद ही गिरफ्तारी हो सकती है और अन्य लोगों को जिले के एसएसपी की लिखित मंजूरी के बाद ही गिरफ्तार किया जा सकेगा।
- इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त की पेशी के समय मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त कारणों पर विचार करने के बाद यह तय किया जाएगा कि क्या अभियुक्त को और अधिक समय के लिये हिरासत में रखा जाना चाहिये या नहीं।
- इस मामले में सरकारी कर्मचारी अग्रिम जमानत के लिये भी आवेदन कर सकते हैं। आप को बता दें कि अधिनियम की धारा 18 के तहत अभियुक्त को अग्रिम जमानत दिये जाने पर भी रोक है।

उत्पीड़न के ज्यादातर मामले झूठे हैं

- नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के संबंध में विचार करने पर ज्ञात होता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम में दर्ज ज्यादातर मामले झूठे पाए गए।
- न्यायालय द्वारा अपने फैसले में ऐसे कुछ मामलों को शामिल किया गया है जिसके अनुसार 2016 की पुलिस जाँच में अनुसूचित जाति को प्रताड़ित किये जाने के 5347 झूठे मामले सामने आए, जबकि अनुसूचित जनजाति के कुल 912 मामले झूठे पाए गए।
- वर्ष 2015 में एससी-एसटी कानून के तहत न्यायालय द्वारा कुल 15638 मुकदमों का निपटारा किया गया। इसमें से 11024 मामलों में या तो अभियुक्तों को बरी कर दिया गया या फिर वे आरोप मुक्त साबित हुए। जबकि 495 मुकदमों को वापस ले लिया गया।
- केवल 4119 मामलों में ही अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। ये सभी आँकड़े 2016-17 की सामाजिक न्याय विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत किये गए हैं।

अनुसूचित जाति/ जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम

- अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचारों की रोकथाम के लिये लाया गया। यह अधिनियम मुख्य अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का संशोधित प्रारूप है।

* * *

GS World
Committed To Excellence

संभावित प्रश्न

"यह सही है कि समाज में और कार्यालयों में दलितों के साथ भेदभाव होता रहा है, लेकिन ज्यादातर मामलों में बेगुनाह लोगों को रंजिश में फंसा दिया जाता हैं।" इस कथन के संदर्भ में एससी/एसटी एक्ट का बड़े पैमाने पर हो रहे गलत इस्तेमाल को रोकने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

"It is true that in the society and in the offices there has been discrimination with the Dalits, but in most cases the innocent people are being incriminated in this." In the context of this statement, Critical analyze the Supreme Court's decision with the intention of preventing the misuse of the SC / ST Act on a large scale. (250 Words)

दक्षिणी गठबंधन और 15वें वित्त आयोग

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

05 मई, 2018

"द हिन्दू"

लेखक- इंदिरा राजारामन (अर्थशास्त्री)

"राज्य के शेयरों को सापेक्ष राज्य कर योग्य क्षमता के सटीक उपायों पर दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए, जो अब वस्तु और सेवा कर द्वारा सक्षम है।"

10 अप्रैल, 2018 को, तीन दक्षिणी राज्यों और पुडुचेरी (एक संघ शासित प्रदेश) के वित्त मंत्री 15 वें वित्त आयोग (एफसी -15) के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (टीओआर) की शर्तों का विरोध करने के लिए तिरुवनंतपुरम में बैठक की, जो 2020-25 की अवधि के लिए केंद्र से वैधानिक वित्तीय सहायता में राज्य के शेयरों को निर्धारित करेगा। यह सिर्फ एक राजनीतिक बैठक नहीं थी, क्योंकि संभवत:, अन्य विद्वान भी यहाँ मौजूद थे।

पहली बार दक्षिणी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने केंद्रीय हस्तांतरण में भारी कटौती की संभावनाओं पर बैठक की। बैठक में आगे की चुनौतियों पर विचार किया गया। राज्यों के वित्त मंत्रियों ने आरोप लगाया कि यह कुछ विकासशील राज्यों के खिलाफ है।

इस महीने की शुरुआत में एक अनुवर्ती बैठक की योजना भारत के राष्ट्रपति के साथ एक औपचारिक विरोध को अंतिम रूप देने के लिए की गई है, जो हर वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। टीओआर की दिशा में मुख्य चिंता 1971 की जनगणना के स्थान पर राज्य के शेयरों को निर्धारित करने के लिए फॉर्मूला में 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करने से संबंधित है।

वित्त आयोग केवल 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बना रहा है और उसने 1971 के आंकड़ों को पूरी तरह छोड़ दिया है। इसके विपरीत 14वें वित्त आयोग ने केवल थोड़ा परिवर्तन किया था। उन्होंने 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों का भारांक 25 प्रतिशत से घटा कर 17.5 प्रतिशत कर दिया था।

आज, आबादी नियंत्रण में पिछड़े राज्यों में वृद्धि हुई है (यहां तक कि एक प्रतिकूल प्रोत्साहन के बिना भी)। वे अतिरिक्त लोग, वे अतिरिक्त बच्चे मौजूद हैं। यदि आज दक्षिणी राज्यों को कम आबादी के कारण कम शेयर मिलते हैं, तो ये गलत है।

वित्त आयोग व्यापक क्षेत्रीय असमानताओं के आधार पर एक परिदृश्य पर सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित सुविधाओं के लिए व्यापक रूप से समान पहुंच प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। गोवा जैसे एक समृद्ध राज्य में अपने कर आधार से प्रति व्यक्ति संग्रह अधिक है और स्पष्ट रूप से बिहार जैसे राज्य की तुलना में शीर्ष पर है। वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के साथ, अब हमारे पास पहली बार विभिन्न राज्यों में वास्तविक सापेक्ष कर योग्य आधार के अनुमान है।

अलग-अलग वित्तीय सुधारों के लिए मुआवजा वर्तमान में राज्य के शेयरों को निर्धारित करने वाले फॉर्मूले पर हावी है, जिसमें पिछले चार वित्त आयोगों में लगभग 50% का भार है। "अगर 2011 को पैमाना बनाया गया तो केरल को पांच सालों में 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा, जबकि तमिलनाडु को 40,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।"

हालांकि, दक्षिणी राज्यों की शिकायत उत्तर की धीमी बढ़ती राज्यों से इन राज्यों में जनसंख्या प्रवासन है।। 2016-17 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण (ईएस) के अनुसार 2001 और 2011 के जनगणना के बीच अंतर-राज्य आर्थिक प्रवासन प्रति वर्ष लगभग 5.5 मिलियन था। इनमें से, केरल में वार्षिक प्रवाह आधे मिलियन से कम था।

जनसंख्या नियंत्रण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले इन प्रतियोगी राज्यों को देखें तो विशेष रूप से, दक्षिणी राज्यों को अधिक धनराशि का आवंटन हो सकता है क्योंकि उनके परिवार नियोजन पहल ने लगभग अपनी आबादी को स्थिर कर दिया है।

यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्व स्थिति की अपेक्षा जनसंख्या नियंत्रण में काफी सफलता मिली है और नवीनतम जनगणना का आधार उनके आवंटन का हिस्सा कम कर सकता है।

इसके विपरीत, कुछ उत्तरी राज्यों ने अपनी आबादी की बढ़ती प्रवृत्ति पर थोड़ा नियंत्रण जारी रखा है, अत: उनके लिये निधि आवंटन में वृद्धि भी हो सकती है। इस प्रकार यह स्थिति अंतर्राज्यीय तनाव पैदा कर रही है जो देश की अखंडता के लिये घातक है।

इसके अलावा, 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय कर में से राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 32% से 42% तक हस्तांतरण के लिये सिफारिश की थी। जिससे 'सहकारी संघवाद' की ओर एक सकारात्मक गति पैदा हुई थी।

इसके अतिरिक्त, पूर्व योजना आयोग को एक केंद्रीय संस्था के रूप में देखा गया, जो राज्य सरकारों के लिये अनुत्तरदायी मानी गई। अत: इसके स्थान पर सहयोगात्मक संघवाद पर आधारित नीति आयोग का गठन किया गया।

इन सबके अलावा, जीएसटी अधिनियम द्वारा एक 'जीएसटी कौंसिल' को एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है जो अपने निर्णयों में राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करती है।

* * *

क्या है विवाद?

- गौरतलब है कि चौदहवें वित्त आयोग के टर्म्स ऑफ रेफेरेंस में जनसंख्या के आंकड़ों को इस्तेमाल करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया था। इसके बावजूद राज्यों की जरूरतों का सटीक आंकलन करने के लिए 14वें आयोग ने 2011 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया और उसकी तुलना 1971 की जनगणना के आंकड़ों से की।
- ऐसे में जो नतीजा मिला उसके आधार पर 14वें आयोग ने 2011 की जनसंख्या को 10 फीसदी का वेटेज देते हुए राज्यों को केन्द्रीय राजस्व का 42 फीसदी धन आवंटित करने का काम किया। यह पूर्व में राज्यों को आवंटित सबसे अधिक राजस्व था।
- अब 15वें वित्त आयोग के टर्म्स ऑफ रेफेरेंस में केन्द्र सरकार ने नया निर्देश दिया है कि राज्यों को राजस्व का आवंटन करने के लिए ऐसे राज्यों का भी संज्ञान लिया जाए जिन्होंने जनसंख्या पर लगाम लगाने में अच्छी पहल की है। सरकार ने ऐसे राज्यों को इस काम के लिए अधिक आवंटन का निर्देश दिया है जिससे बाकी राज्यों को भी जनसंख्या पर लगाम लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

वित्त आयोग द्वारा राज्यों में राजस्व का आवंटन

- केन्द्र सरकार अपने राजस्व का एक बड़ा हिस्सा राज्यों में बांटता है, जिससे जिन राज्यों के पास न्यूनतम जीवन स्तर बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, वह केन्द्रीय राजस्व से यह काम कर सके। लिहाजा केन्द्र सरकार के राजस्व का यह बंटवारा करने के लिए केन्द्र सरकार हर 5वें वर्ष वित्त आयोग का गठन करती है।
- वित्त आयोग इस बंटवारे के लिए राज्यों की जरूरत का आंकलन करती है और सटीक आंकलन के लिए वह कई कसौटियों का इस्तेमाल करती है। इनमें राज्य की जनसंख्या और राज्य की कमाई दो अहम कसौटियां हैं। जहां जनसंख्या से राज्य की जरूरत निर्धारित की जाती है वहीं राज्य की जीडीपी से राज्य में गरीबी का आंकलन किया जाता है।
- इन दोनों कसौटियों के आधार पर ज्यादा गरीबी और अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को ज्यादा से ज्यादा संसाधन देने की कोशिश की जाती है, जिससे वह राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं को अपने नागरिको तक पहुंचा सके।

केंद्रीय वित्त आयोग का गठन

- संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार, प्रत्येक 5 वर्ष में या आवश्यकता पड़ने पर एक केंद्रीय वित्त आयोग का गठन देश के राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। संसद विधि द्वारा आयोग के सदस्यों की अर्हता निर्धारित करेगी। केंद्रीय वित्त आयोग के निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं- केंद्र व राज्यों के बीच करों का बँटवारा करना।
- भारत की संचित निधि में से राज्यों हेतु अनुदान के लिये सिफारिश करना।
- केंद्र व राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों से जुड़े अन्य किसी मामले की देखरेख।

15वें केंद्रीय वित्त आयोग के समक्ष चुनौतियाँ

- देश के कुछ राज्यों में पर्याप्त मात्रा में निजी निवेश होता है, वहीं कुछ राज्यों में निजी निवेश की कमी है। निजी निवेश के इस असंतुलित वितरण के कारण राज्यों के बीच असमानता बढ़ रही है। नए आयोग को बढ़ती असमानता पर गंभीरता से विचार करना होगा।
- विद्युत-वितरण कंपनियों के आर्थिक पुनरुद्धार के लिये केंद्र द्वारा शुरू की गई "उदय" योजना का भार राज्यों की वित्तीय स्थिति पर पड़ रहा है। आयोग को इस हेतु भी उपाय करने होंगे।
- देश के कई राज्यों के समक्ष आज सूखा, बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात जैसी कई प्राकृतिक आपदाओं की चुनौती है। नए आयोग को आपदा प्रबंधन के लिये राज्यों को समुचित कोष उपलब्ध कराने का प्रयत्न करना होगा।
- समावेशी विकास के लक्ष्यों को पूरा करने और जलवायु-परिवर्तन से निपटने की सरकारी प्रतिबद्धताओं की पूर्ति हेतु एक सुसंगत वित्तीय रणनीति बनाने पर ध्यान देना होगा।
- राज्यों के बीच करों के क्षैतिज वितरण के लिये अब तक लगभग 50 वर्ष पुरानी 1971 की जनगणना के आँकड़ों को आधार बनाया जाता रहा है। आयोग द्वारा अब 2011 की जनगणना के आँकड़ों को आधार रूप में लिया जा सकता है, परंतु दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों को इससे होने वाले नुकसान का ध्यान भी आयोग को रखना होगा।

* * *

संभावित प्रश्न

केंद्रीय वित्त आयोग की संवैधानिक स्थिति व कार्य को स्पष्ट करते हुए 15वें वित्त आयोग द्वारा जनगणना आधार में बदलाव और इस आधार पर संसाधनों के आवंटन के कारण सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों की चर्चा करते हुए आवश्यक उपायों को सुझाएं। (250 शब्द)

Explain the constitutional position and function of the Union Finance Commission and discuss the challenges arising in the socio-political sector due to the change in the census base by the 15th Finance Commission and the allocation of resources on this basis and also suggest necessary measures. (250 words)

बेहतर संबंध की ओर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।।। (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

07 मई, 2018

''द पायनियर''

लेखक- बलबीर पुंज (पूर्व राज्य सभा सांसद, भाजपा)

''फिलहाल तो हमें वुहान शिखर सम्मेलन के परिणामों की प्रतीक्षा करनी होगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का यह पहल निश्चित रूप से काबिले तारीफ है।''

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत-चीन संबंधों को सामान्य कड़वाहट से दूर ले जाने में उनकी हालिया राजनयिक उपलब्धि के लिए उनके सबसे बुरे आलोचकों ने भी मुबारकबाद दी हैं, जो दो एशियाई दिग्गजों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के उद्देश्य को पूरा करने से संबंधित है।

यह उच्चतम आदेश की राजनीति है। शिखर सम्मेलन को जानबूझकर 'अनौपचारिक' रखा गया था जो राजनीति का हिस्सा था। इस अभूतपूर्व पहल की सफलता की संभावना इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों नेताओं ने एक दूसरे के इरादे को कितने हद तक स्पष्ट और सही ढंग से समझ लिया है।

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस बात को समझा है कि उनका अतिथि जवाहरलाल नेहरू जैसे नखरेबाज नहीं थे, जब तत्कालीन चीनी प्रधान मंत्री झोउ एनलाई, 1960 के दशक की शुरुआत में नई दिल्ली में उतरे थे, तो उस समय, दोनों एशियाई पड़ोसियों के बीच संबंधों में काफी तनाव था।

और भारतीय नेता इस भ्रम में थे कि चीन अधिक भारतीय क्षेत्र को हड़पने के लिए युद्ध नहीं करेगा। दूसरी तरफ, राष्ट्रपति शी, को वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री से डोकलाम विवाद पर सामना करना पड़ा।

डोकलाम विवाद पर चीन द्वारा दिए जा रहे दबाव के विरोध में मोदी ने अच्छी तरह से इसका सामना किया। यदि आवश्यक होता, तो शायद वे जैसे को तैसा के लिए भी तैयार थे और वे जानते थे कि उसका प्रतिद्वंद्वी कितनी हद तक जा सकता है। इस प्रकार, डोकलाम भारत-चीन संबंधों में एक झुकाव बिंदु था, जिससे दोनों पक्ष एक-दूसरे को सही तरीके से मापने में सक्षम साबित हुए।

भारत के पास अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और जापानी प्रधानमंत्री शिन्जो अबे से मजबूत समर्थन प्राप्त है। इससे पहले, दक्षिण सागर में चीन की आधिपत्यवादी योजनाओं ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को चीनी दबाव से निपटने के लिए भारत-यूएस-जापान-ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया था।

भारत द्वारा चीनी प्रायोजित वन बेल्ट वन रोड सम्मेलन में चीन के नीतियों के खिलाफ जाना और नई दिल्ली द्वारा अमेरिका और जापान के साथ रणनीतिक/रक्षा सौदें, राष्ट्रपति शी को समझाने के लिए काफी था कि वह एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी से निपट रहे हैं जो दबाववाली रणनीति के लिए नहीं, बल्कि तर्कसंगत चर्चा के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। मोदी के भारतीय आलोचकों, जिन्होंने वुहान वार्ता में डोकलाम के संदर्भ की अनुपस्थिति को लेकर रो रहे थे, को याद रखना चाहिए कि इस सम्मेलन में डोकलाम चर्चा का विषय था ही नहीं।

देखा जाये तो मोदी और शी ने जो चर्चा की उसे वर्तमान में अभी कोई नहीं जानता है। वास्तव में, कई एशियाई राष्ट्र चिंता और रुचि के साथ देख रहे होंगे कि क्या बीजिंग दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में एक आधिपत्य मार्ग का पीछा करेगा।

भारत नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी देशों में चीन की नीतियों में संयम के लिए देख रहा हैं जहां भारत के रिश्ते बेहतर हैं। वुहान शिखर सम्मेलन के बाद अफगानिस्तान को आतंकवादी हमलों का सामना करने और आर्थिक विकास में सहायता करने के लिए दोनों सरकारों का निर्णय स्वागतयोग्य है।

लेकिन यह पूछा जाना चाहिए कि क्या बीजिंग नेपाल से भारत को बाहर निकालने की अपनी नीति का त्याग कर देगा; मोदी ने संकेत दिया है कि भारत नेपाल में अपनी सभी शक्तियों के साथ अपनी हितों की रक्षा करने की कोशिश पहले करेंगे, नेपाल की नई सरकार को यह साफ तौर पर कहा है कि यदि वह चीन को अपनी हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना के वित्तपोषण के लिए विकल्प के तौर पर चुनाव करता है, तो भारत इससे उत्पन्न बिजली को नहीं खरीदेगा।

कई विश्लेषकों ने राष्ट्रपति शी द्वारा उत्तर कोरिया के संचालन में अचानक नया मोड़ देखा होगा, जो अमेरिका और जापान को परमाणु मिसाइलों को नष्ट करने के लिए खतरा पैदा कर रहा है और इस वजह ने ट्रम्प को यह कहने पर मजबूर कर दिया है कि अमरीका के पास किम जोंग-एन की मिसाइल का अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले उत्तर कोरिया को खत्म करने के लिए पर्याप्त शक्ति है।

किम की यह घोषणा कि वह परमाणु परीक्षणों को बंद कर देगा, शायद, कोरियाई लोगों के बीच शांति क्षेत्र में आने के लिए ट्रम्प को राष्ट्रपति शी का एक संदेश है। चीनी राष्ट्रपति अब तत्काल भविष्य के लिए अपने पूरे देश के साथ एक शांति निर्माता की तरह अपनी नई छवि पेश करेंगे। आने वाले महीनों में हम इस सन्दर्भ में इसकी प्रगति के लिए उम्मीद कर सकते हैं।

मोदी भारत में एक आम चुनाव से लगभग एक वर्ष दूर हैं, जहां ज्यादातर विश्लेषकों ने उन्हें पांच साल का कार्यकाल मिलने की भविष्यवाणी की है। इसलिए, एशियाई महाद्वीप में सौदा करने और स्थिरता को मजबूत करने का समय अब राष्ट्रपति शी और प्रधानमंत्री मोदी दोनों के लिए है।

चीन भारत के संबंधों पर विचार करते समय पाकिस्तान का जिक्र होना अस्वाभाविक नहीं है। चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया है। इस समय 49 अरब डॉलर के चीन पाक आर्थिक गलियारा में चीन करीब 29 अरब डॉलर लगा चुका है।

इसलिए यह कल्पना नहीं करनी चाहिए कि भारत के लिए वह पाकिस्तान को छोड़ देगा। इसी तरह यह भी नहीं मान सकते कि चीन अरुणाचल से लेकर सीमा विवाद पर अपने स्टैण्ड से पीछे हट जाएगा।

किन्तु डोकलाम के बाद चीन अगर भारत के साथ संबंधों को ठीक करने की पहल कर रहा है, वह इस बात के लिए राजी हुआ कि नरेन्द्र मोदी को आमंत्रित कर ऐसी शिखर वार्ता की जाए जिसमें कोई बंधन नहीं हो तो इसे एक सकारात्मक बदलाव के तौर पर तो देखा ही जा सकता है।

समस्या अस्थिर पाकिस्तान के साथ बनी हुई है ,जहां कट्टरपंथी ताकतों, इसकी सेना और नागरिक प्रशासन भी सत्ता के लिए निरंतर लड़ाई में हैं। दुर्भाग्यवश, यह आलोचना भी पाकिस्तानी मिट्टी से अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के उदय के साथ मेल खाता है।

चीन ने हफीज पर दोहरी नीति अपना रखी है। एक ओर, यह इसकी 'स्वतंत्रता' का समर्थन कर रहा है, तो दूसरी तरफ यह विश्वास दिलाता रहता है कि वह आतंक के खिलाफ है। इसलिए, हमें वुहान में चीनी और भारतीय नेताओं के बीच विचारों के आदान-प्रदान के बाद नीति में बदलाव के किसी भी संकेत पर विशेष ध्यान देना होगा।

मोदी को चुनाव वर्ष में अपने लोगों को यह समझाने की जरूरत है कि राष्ट्रपति शी के साथ शांति और स्थिरता के लिए उनके द्वारा किया गया पहल 21 वीं शताब्दी में एशियाई शताब्दी बनाने की दिशा में बढाया गया कदम है।

लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी की चीन की यात्रा ने कुछ लाभ देना शुरू कर दिया है। 1 मई से चीन ने सभी कैंसर की दवाओं सहित 28 दवाओं के लिए आयात शुल्क पर छूट दे दी है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के अनुसार, चीन में ट्यूमर से लड़ने के लिए प्रयुक्त एंटीनोप्लास्टिक दवाओं का बाजार 120 बिलियन युआन (लगभग 191 अरब अमेरिकी डॉलर) से अधिक है।

* * *

GS World टीम...

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अनौपचारिक बातचीत समाप्त हो गई है। इस मुलाकात पर दोनों देशों की जनता के साथ-साथ दुनिया की नजरें टिकी थी, क्योंकि अचानक पीएम मोदी के चीन दौरे को लेकर कोई बातचीत का खास एजेंडा तय नहीं था।

क्यों हुई अनौपचारिक बातचीत?

- दोनों देशों के बीच हुई इस अनौपचारिक बातचीत पर पहली बार देश के राजनीतिक हलकों में सहमति नहीं बनी थी और विपक्ष प्रधानमंत्री को विश्वास में नहीं लिए जाने पर सवाल उठा रहा था। बातचीत अनौपचारिक हो रही है, इसे लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर प्रधानमंत्री से सवाल भी पूछा था।
- इस तरह की अनौपचारिक बैठक चीन सभी देशों के साथ नहीं करता है। इससे पहले उसने ओबामा और ट्रंप के साथ ही ऐसी बातचीत की है और अब मोदी के साथ। तो कहीं न कहीं वो यह संकेत दे रहा है कि वो भारत के नेतृत्व को गंभीरता से लेता है और भारत की बढ़ती छवि को स्वीकार करता है।

भारत-चीन संयुक्त आर्थिक समूह

- भारत-चीन JEG मंत्रिस्तरीय वार्ता है जिसे 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी की चीन यात्रा के दौरान स्थापित किया गया था।
- ऐसी पिछली बैठक (10वीं JEG) सितंबर, 2014 में बीजिंग में आयोजित की गई थी, जिसमें दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने और इसमें विविधता लाने के लिये सहमति दी थी।
- 2012 में 9वीं JEG के दौरान दोनों पक्षों ने आर्थिक और व्यापार योजना सहयोग, व्यापार सांख्यिकीय विश्लेषण और सेवा व्यापार संवर्द्धन पर तीन वर्किंग ग्रुप स्थापित किये थे।

निम्नलिखित बिंदुओं पर सहमति बनी

- भारत और चीन दो विशाल अर्थव्यवस्थाओं एवं महत्त्वपूर्ण शक्तियों के रूप में रणनीतिक और निर्णय लेने की स्वतंत्रता सहित एक साथ उदय, क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय रूप से महत्त्व रखता है।
- भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण, स्थिर और संतुलित रिश्ते मौजूदा वैश्विक अनिश्चितता के बीच एक सकारात्मक कारक साबित होंगे।
- दोनों देशों के प्रमुखों द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि द्विपक्षीय संबंधों के समुचित प्रबंधन क्षेत्रीय विकास एवं स्थिरता के लिये सहयोगकारी रहेगा और एशिया की सदी के निर्माण के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ तैयार करेगा।
- इस संबंध में दोनों राष्ट्रों द्वारा राष्ट्रीय आधुनिकीकरण और अपने लोगों को अधिक समृद्ध बनाने के लिये एक करीबी विकासात्मक साझेदारी को परस्पर लाभकारी और स्थायी तरीके से सशक्त बनाने का निश्चय भी किया गया।

भारत-चीन सीमा क्षेत्र

- भारत और चीन के बीच सीमा विवाद हमेशा से एक पेचीदा मसला रहा है। डोकलाम में टकराव इसी सीमा विवाद की उपज था। पिछले साल डोकलाम में भूटान के इलाके में सड़क निर्माण की चीन की कोशिश उसके विस्तारवादी रवैये के साथ-साथ भारत की सुरक्षा के लिये खतरे का सूचक थी। इस खतरे को भाँपकर ही भारत ने डोकलाम में अपनी सेना भेजने का निर्णय लिया था।
- इस बात की महत्ता को समझते हुए दोनों देशों ने संबंध सुधार की जो कोशिश शुरू की उसका ही नतीजा वुहान में अनौपचारिक बैठक के रूप में देखने को मिला। इस बैठक में दोनों नेताओं द्वारा द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक हित में भारत-चीन सीमा क्षेत्र के सभी हिस्सों में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के महत्त्व पर बल दिया गया।
- इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये उन्होंने अपनी सेनाओं को आपसी विश्वास एवं समझ विकसित करने और सीमा संबंधी मामलों के प्रबंधन में पूर्वानुमान लगाने तथा उन्हें प्रभावकारी बनाने के लिये रणनीतिक मार्ग-निर्देशन भी दिये, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी स्थिति से बचा जा सके।
- वुहान में दोनों देशों के नेताओं ने भारत-चीन के प्राचीन संबंधों को याद करते हुए उन्हीं आधार पर एक बेहतर कल के निर्माण की कल्पना भी प्रस्तुत की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चीन में प्रचलित बौद्ध धर्म का उदय भारत में ही हुआ था, इस आधार पर इन दोनों देशों के बीच एक आध्यात्मिक रिश्ता भी है।

संभावित प्रश्न

भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा खत्म हो गया हो, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी दोस्ती को दूरगामी दृष्टिकोण से मापा जा रहा है। वुहान शिखर वार्ता के संदर्भ में भारत-चीन संबंधों की समीक्षा कीजिये। (250 शब्द)

Though Prime Minister Narendra Modi's visit to China has ended, but his friendship with China's President Xi Jinping is being measured from a far-sighted perspective. Review India-China relations in the context of the Wuhan Summit. (250 Words)

रोजगार के इन पहेलियों को रोकें : भारत की बेरोजगारी की समस्या पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

08 मई, 2018

"द हिन्दू"

लेखक- प्रवीण चक्रवर्ती (अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के डेटा एनालिटिक्स विभाग), जयराम रमेश (संसद सदस्य और पूर्व कैबिनेट मंत्री)

इस साल जनवरी में, प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया था कि वर्ष 2017 में 7 मिलियन नए रोजगारों का निर्माण हुआ है।' यह बयान दो अर्थशास्त्री द्वारा एक अध्ययन के झूठे निष्कर्षों पर आधारित है।

यहाँ कुछ झूठे तथ्य और भी है : हर साल कार्यबल में 10-12 मिलियन युवा लोग शामिल होते हैं और 2017 में 7 मिलियन नए और औपचारिक रोजगार का निर्माण हुआ हैं, ऐसा नागरिक उड्डयन मंत्री ने अप्रैल में बयान दिया था।

मंत्री न केवल प्रधानमंत्री के रटाये हुए तोते हैं, बल्कि वे यह भी बताते हैं कि हर साल 10 से 12 मिलियन युवा श्रम बाजार में नौकरी की तलाश में कैसे आते हैं और कैसे सरकार ने उनके लिए 7 मिलियन नए औपचारिक रोजगार का निर्माण किया हैं - जिसका मतलब यह हुआ कि लगभग हर कोई जो रोजगार की तलाश में है, उसे औपचारिक और अनौपचारिक रोजगार प्राप्त हुआ है।

और दूसरा झूठा तथ्य: 2017-18 में 6.22 मिलियन नए रोजगार का निर्माण हुआ है, ऐसा अप्रैल में नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा था। वह सरकार द्वारा निर्माण किये गये 6.22 मिलियन नए रोजगार का एक अनुमानित सटीक अनुमान देकर एक कदम और आगे बढ़ गये हैं और अपने इस बयान से इस दावे को भी झूठा बना देते हैं कि देश में रोजगार की कमी सबसे बड़ी समस्या है।

एक और झूठा बयान: 2017 में 15 मिलियन नए रोजगार का निर्माण हुआ, अप्रैल में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के एक सदस्य ने कहा।

इनके द्वारा किया गया यह दावा यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री का दिया गया बयान गलत था और भारत ने केवल सात मिलियन नहीं, बल्कि 15 मिलियन नए रोजगार का निर्माण किया है।

और आखिर में मई में नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष की तरह से यह बयान आया कि, हर साल केवल 7.5 मिलियन श्रम बाजार में नौकरी की तलाश में प्रवेश करते हैं।

जूनियर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के पूर्व उपाध्यक्ष ने दावा किया कि हर साल 15 मिलियन भारतीय युवा कामकाजी उम्र के बावजूद, उनमें से केवल आधे ही नौकरी करना चाहते हैं।

इसलिए, पूर्व नीति आयोग उपाध्यक्ष के अनुसार, 7.5 मिलियन भारतीय नौकरी की तलाश में हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के अनुसार, सरकार ने 15 मिलियन नए रोजगार का निर्माण किया हैं। और वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष के अनुसार, 6.22 मिलियन रोजगार ठीक से निर्मित हुई हैं।

इसलिए, इन सभी पंडितों के बयान पर गौर करे तो यह कहना गलत नहीं होगा कि हर भारतीय जो नौकरी की तलाश में था, वो कई रोजगार के प्रस्तावों से घिरा हुआ था। इस हिसाब से सरकार को शायद केवल एक ही चीज अब करना होगा, कि देश भर में युवा परामर्श केंद्र स्थापित करे ताकि भारत के युवाओं को यह तय करने में मदद मिल सके कि उन्हें इतने सारे नौकरी प्रस्तावों में से किसका चयन करना चाहिए।

यह हास्यपूर्ण अनुक्रम भारत में रोजगार की समस्या को दर्शाता है, साथ ही यह नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अब तक दी गयी हास्यपद प्रतिक्रिया को भी उजागर करता है। 'मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षण (जैसे लोकनीति सीएसडीएस, इंडिया टुडे, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी) से पता चलता है कि युवाओं के लिए बेरोजगारी और रोजगार भारतीयों की सबसे बड़ी चिंता हैं।

फिर भी, प्रधानमंत्री और उनकी टीम इस बात पर अडिग है कि नौकरी की तलाश करने वाले हर भारतीय को औपचारिक नौकरी मिल रही हैं।

रोजगार के मुद्दे पर बहस अब देश के लिए शर्मिंदगी के बिंदु पर आ गई है। ऐसा नहीं है कि 1.2 बिलियन लोग और अनुमानित 2.5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था पर गर्व करने वाले लोकतंत्र में गंभीर नीतिगत मुद्दों और राष्ट्रों के सामने आने वाली चुनौतियों पर केवल बहस करने से इस समस्या का अंत हो जाएगा।

डाटा के स्रोत

अर्थव्यवस्था में निर्मित रोजगार की संख्या के बारे में इन सभी संदिग्ध दावों का स्त्रोत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) डेटा और अन्य डेटासेट है, जिसे हाल ही में सार्वजनिक किया गया हैं।

विडंबना यह है कि रोजगार कार्यबल के 2017 में नीति अयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ईपीएफओ डेटासेट में अतिरिक्तताओं को नई नौकरियों का प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता नहीं है।

इसका उपयोग केवल कर्मचारियों के औपचारिकरण की सीमा को मापने के लिए किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए औपचारिक श्रमिकों की एक नई परिभाषा को अपनाने की भी आवश्यकता है।

देखा जाये तो सरकार के ही आर्थिक सर्वेक्षण, 2018 से एक एकल डेटा प्वाइंट इस बात का सबूत है कि भारत में नौकरियों की समस्या कितनी गंभीर है। सर्वेक्षण में पाया गया है कि औपचारिक क्षेत्र में सभी कर्मचारियों का 90% प्रति माह 15,000 से कम कमाते हैं। यही है, जिनमें से अधिकांश देश में औपचारिक नौकरी पाने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त हैं (अनुभवी वरिष्ठ सहित) एक महीने में 15,000 से कम कमाते हैं।

तब कोई भी आरोप लगा सकता है कि पहली बार के लिए नई औपचारिक क्षेत्र की नौकरियां शायद आधा - 7,500 प्रति माह का भुगतान करेंगी। इसे संदर्भ में रखने के लिए, यदि भारत में किसी व्यक्ति को कोई नौकरी नहीं मिलती है और उसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम में खुद को नामांकित करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उसे कम से कम 6,000 प्रति माह कमाने की गारंटी दी जाती है।

गंभीर विषय

अब समय आ चुका है कि इस क्षेत्र के लिए शब्दों की पहेली को बंद किया जाये, जहाँ भारत को दुनिया के सबसे बड़े नौकरी निर्माताओं में से दर्शाया जा रहा है। भारत में रोजगार की समस्या काफी बड़ी है, जो विभिन्न सर्वेक्षणों के माध्यम से स्पष्ट है। यह एक असहज सच है।

रोजगार का मुद्दा एक वैश्विक मुद्दा है जो आज विकसित सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का सामना कर रहा है। हमें नौकरी निर्माण पर स्वचालन और अन्य तकनीकी बाधाओं का असली प्रभाव अभी तक सहन नहीं करना है।

यह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन बनाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के बारे में नहीं है। एक राष्ट्र के रूप में, हमें परिपक्व तरीके से इस गंभीर मुद्दे से निपटना होगा। हमें कुछ सच्चाइयों को स्वीकार करते हुए समाधानों को खोजना होगा और एक साथ मिल कर एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में कार्य करना होगा।

GS World टीम...

चर्चा में क्यों?

- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पहली बार रोजगार को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। इसके तहत फरवरी में जनवरी के मुकाबले नए नौकरियों के मौकों में 22 फीसद तक की कमी दर्ज की गई है। जारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी में रोजगार के 6.04 लाख नए मामले सृजित हुए थे। फरवरी में यह 4.72 लाख ही रहा। दिसंबर के बाद इसमें वृद्धि दर्ज की गई थी। नवंबर के मुकाबले दिसंबर में भी नए रोजगार के मौकों में भी कमी दर्ज की गई थी।

ईपीएफओ में हुए 18.5 लाख रजिस्टर्ड

- ईपीएफओ की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर से फरवरी तक कुल 31 लाख लोगों ने ईपीएफ में खाता खोला है। जिनमें से 18 से 25 साल की उम्र के 18.5 लाख युवा है। जानकारों की मानें तो 18 से 25 साल की उम्र वालों को अलग कर दें और सिर्फ इससे ज्यादा उम्र वालों के फंड से जुड़ने को देखा जाए, तो इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था का काफी हिस्सा धीरे-धीरे संगठित होता जा रहा है।

एनपीएस से जुड़े 3.50 लाख

- वहीं नेशनल पेंशन सिस्टम द्वारा जारी आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो 6 महीनों के दौरान केंद्रीय और सरकारी क्षेत्र से 3 लाख 50 हजार लोगों ने नए अकाउंट खुलवाएं हैं। ईपीएफ और एनपीएस के डाटा को जोड़ दिया जाए तो कुल नए रोजगार की संख्या 22 लाख के पास पहुंच रही है। ईपीएफओ और एनपीएस की तरफ से जारी यह डाटा मोदी सरकार के लिए काफी राहत देने वाला साबित होगा।

ईएसआई ने भी जारी किए आंकड़े

- एनपीएस और ईपीएफओ के अलावा इम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने भी बुधवार को पेरोल के आंकड़े जारी किए हैं। हालांकि इस डाटा की फिर से जांच हो सकती है। क्योंकि आधार से लिंक डाटा नहीं है। इस डाटा में सामने आया है कि 18 से 25 साल की उम्र के 8,30,000 नए लोग जुड़े हैं। अगर इस डाटा को भी शामिल किया जाए, तो देश में कुल नये रोजगार का आंकड़ा 30 लाख के पार पहुंच सकता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत में रोजगार वृद्धि दर में 2015-16 में 0.1 फीसदी और 2016-17 में 0.2 फीसदी की कमी आई है, हालांकि देश का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.4 फीसदी और 8.2 फीसदी की वृद्धि हुई है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समर्थित एक शोध परियोजना, इंडिया KLEMS डेटाबेस द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है।
- 2009 में शुरू किया गया, डेटाबेस उद्योग और सेक्टर-वार उत्पादकता की वृद्धि मापता है।
- कई क्षेत्रों (जिनमें खनन और उत्खनन और वस्त्र और विनिर्माण शामिल हैं) ने 2014-15 और 2015-16 के बीच रोजगार वृद्धि दर में गिरावट देखी है। 2005-06 से कृषि में नकारात्मक वृद्धि दर देखी गई है, और पिछले पांच वर्षों में, विकास दर 2011-12 में -1.9 फीसदी से घटकर 2015-16 में -3.6 फीसदी हो गई है।
- निर्माण उद्योग में स्थिर रोजगार दर देखी गई है, 2011-12 में 9.8 फीसदी और 2015-16 में चार साल बाद 8.2 फीसदी, हालांकि इंडिया KLEMS डेटाबेस यह दर्शाता है कि क्षेत्र की कुल कारक उत्पादकता (दक्षता का एक उपाय) में हर साल गिरावट हो रही है।
- पिछले पांच सालों के लिए निर्माण उद्योग की औसत रोजगार वृद्धि दर 9 फीसदी है, जो पारंपरिक रूप से बड़े नियोक्ता हैं, वे अक्सर पूर्व कृषि श्रमिकों को काम देते हैं।
- उन्ही पांच वर्षों के दौरान (2011-12 से 2015-16) विनिर्माण की औसत रोजगार वृद्धि दर 3.2 फीसदी थी और खनन क्षेत्र का -0.76 फीसदी था।
- 2015-16 में, स्किल इंडिया मिशन ने वैकल्पिक रोजगार पाने के लिए लोगों को सही कौशल के साथ प्रशिक्षण देने पर 1,176 करोड़ रुपये खर्च किए। उसी वर्ष, रोजगार वृद्धि दर 0.2 फीसदी से कम हो गई, जो अर्थव्यवस्था के लिए नौकरियों के नुकसान का उस समय संकेत देती है, जब सरकार इस योजना के तहत 400 मिलियन लोगों को नियोजित करने का प्रयास कर रही थी।
- 'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनोमी' (सीएमआईई) का अनुमान है कि वर्तमान भारतीय बेरोजगारी दर 6.3 फीसदी होगी। हालांकि, नवंबर, 2016 में नोटबंदी और जुलाई, 2017 में माल और सेवा करों की शुरूआत के बाद, यह देखा जाना शेष है कि कई क्षेत्रों में रोजगार कितना प्रभावित हुआ है। रिपोर्टों में बताया गया है कि असंगठित क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जिसके लिए KLEMS डेटाबेस द्वारा शामिल नहीं किया गया है।

संभावित प्रश्न

''वर्तमान सरकार ने देश में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने हेतु अब तक कई अभियानों और योजनाओं का निर्माण किया है। लेकिन इसके बावजूद इस समस्या से निजात नहीं मिल पाया है।'' इस कथन के सन्दर्भ में रोजगार के क्षेत्र में आयी कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए बतायें कि पेरोल डेटा इस समस्या के निदान हेतु कितना प्रभावी साबित होगा? (250 शब्द)

"The present government has so far formulated many campaigns and schemes to alleviate the problem of unemployment in the country. But despite this, the problem is not being resolved." In the context of this statement, mention the reason for the decline in employment and explain how much effective payroll data would prove to be in resolving this problem.? (250 Words)

भारत की पड़ोस नीति

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

09 मई, 2018

"द हिन्दू"

लेखक - राकेश सूद (पूर्व राजनयिक)

''भारत, पाकिस्तान के सन्दर्भ में अपनी नीति में बदलाव किए बिना क्षेत्रीय स्थिरता को फिर से कायम नहीं कर सकता।''

वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचकों ने भी श्री मोदी के बड़े फैसले लेने की अनोखी क्षमता को स्वीकार किया है, जो इनकी विदेश नीति पहल में साफ तौर पर दिख जाता है। दिलचस्प बात यह है कि वह अपनी नीति में सुधार करने की क्षमता को भी प्रदर्शित कर रहे हैं। पिछले महीने वुहान, चीन में अनौपचारिक शिखर सम्मेलन और इस महीने नेपाल की यात्रा वर्ष 2014 में घोषित 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य को दर्शाती है। हालांकि, बड़ी चुनौती पाकिस्तान के सन्दर्भ में नीति को एक बेहतर दिशा प्रदान करना है जो 'झप्पी' और 'कट्टी' के बीच आ गया है।

चीन तक पहुंच

श्री मोदी ने सितंबर, 2014 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत गुजरात में करते हुए अपनी व्यक्तिगत कूटनीति को प्रतिबिंबित किया था, भले ही पूर्वी लद्दाख में चुमार में चल रहे गतिरोध ने यात्रा को पूरी तरह सफल बनने नहीं दिया था। निजीकृत कूटनीति को अगले वर्ष फिर से बेहतर बनने का प्रयास किया गया जब श्री मोदी ने चीन का दौरा किया और श्री शी ने उनका स्वागत जियान में किया, लेकिन इसकी सीमा जल्द ही स्पष्ट हो गई।

2016 के मध्य में, चीन ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के मार्जिन पर ताशकंद के दोनों नेताओं के बीच बैठक के बावजूद परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में शामिल होने के लिए भारत का समर्थन नहीं किया। इसके बाद चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक आतंकवादी के रूप में मसूद अजहर की सूची का उल्लंघन किया, भले ही जयश-ए-मोहम्मद (जेएम) प्रतिबंधित हो। चीन के समर्थन के कारण अगले साल जेएम कैडर द्वारा उरी में सेना शिविर हमले किये, जिससे भारत की बढ़ती परेशानी में और वृद्धि हुई।

ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के बहाव की रिपोर्ट के बीच जलविद्युत डेटा साझाकरण रोक दिया गया। पिछले साल डोकलाम में 73 दिन के गतिरोध के कारण संबंध अस्थिर हुए थे। श्री शी के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के संबंध में भारत ने अमेरिका और जापान के साथ समुद्री जुड़ाव को बढ़ाकर और पिछले साल मनीला में क्वाड (ऑस्ट्रेलिया के साथ) को पुनर्जीवित करते हुए चीन को जवाब दिया।

हांलाकि, दोनों नेताओं ने बिगड़ते हालात को समझते हुए जल्द ही इस टकराव से होने वाले जोखिमों को महसूस किया और रिश्ते में संतुलन कायम रखने के लिए एक दूसरे के साथ व्यावहारिक बने। 19वीं कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के बाद श्री शी मजबूत हो गए थे, साथ ही राष्ट्रपति के लिए दो पदों के प्रतिबंध को हटाने के केंद्रीय समिति के फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह वर्ष 2023 से भी आगे राष्ट्रपति बने रहेंगे।

दिल्ली के दौरे के दौरान पिछले दिसंबर में विदेश मंत्री वांग यी और पोलित ब्यूरो के सदस्य यांग जिची ने महत्वपूर्ण संदेश दिए थे। विदेश सचिव विजय गोखले, बीजिंग के लिए अनुवर्ती यात्राओं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल की शुरुआत में पिछले महीने वुहान में अनौपचारिक शिखर सम्मेलन की बैठक के लिए एक आधार स्थापित किया।

वुहान शिखर सम्मेलन को 'अनौपचारिक' (कुछ चीनी जो यू.एस. राष्ट्रपतियों बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रम्प के साथ जुड़ा हुआ है) के रूप में पेश किया गया था, बिना किसी एजेंडा के। दो दिनों में, दोनों नेताओं ने 10 घंटे, चार बार, एक-एक बार और दो बार अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की।

एक पारंपरिक संयुक्त वक्तव्य के बजाय, श्री गोखले और चीनी उप विदेश मंत्री कांग जुआन्यौ ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अलग-अलग विवरण प्रस्तुत किये थे। यह स्पष्ट है कि संचार और समझ में सुधार और लगातार चल रहे गतिरोध को रोकने का संदेश सेना को भेजा जा चुका हैं। दोनों पक्ष अफगानिस्तान में एक संयुक्त परियोजना शुरू करने पर सहमत हो गये हैं।

फिर भी एनएसजी पर चीनी स्थिति में कोई नरमी या बीआरआई पर भारत के लिए आरक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि, इस साल के अंत में एससीओ, जी -20 और ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान तीन और बैठकें होने वाली है, जिससे यह स्पष्ट है कि रिश्तों को ट्रैक पर लाने का प्रयास पुनः किया जाएगा।

नेपाल के साथ विश्वास का पुनर्निर्माण

नेपाल के साथ एक समान अभ्यास चल रहा है। वर्ष 2014 में श्री मोदी की यात्रा ने काफी सद्भावना उत्पन्न की थी, लेकिन बाद के फैसले ने इस संबंध में थोड़ी सी कड़वाहट डाल दी। भारत द्वारा नेपाल के नए संविधान और मधेसी के मुद्दों पर कारण सार्वजनिक दुःख ने संबंधों को थोड़ा कमजोर बना दिया है।

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में व्यवधान के कारण आर्थिक प्रभाव जैसे कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम उत्पादों और दवाओं ने भारतीय विरोधी भावना को बढ़ाया है। जाहिर है, दिल्ली चुनाव के नतीजे से निराश थी, लेकिन नेपाल के साथ कमजोर होता संबंध पिछले गलतफहमी के कारण हुए थे जिसे दूर करना बहुत महत्वपूर्ण था, एक नई शुरुआत आवश्यक थी।

दिसंबर-जनवरी के बीच श्री मोदी और श्री ओली के बीच फोन कॉल पर बातचीत हुई थी और इस दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज श्री ओली के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर उन्हें बधाई देने काठमांडू भी गयी थी और श्री मोदी ने भारत आने का निमंत्रण भी दिया था। जिसके बाद श्री ओली ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए पिछले महीने दिल्ली में अपना पहला विदेशी गंतव्य बनाया।

एक महीने (11-12 मई को) के भीतर श्री मोदी द्वारा किये जाने वाले नेपाल की यात्रा से संकेत मिलता है कि दोनों पक्ष सकारात्मक आंदोलन दिखाने के लिए पूरी तरह इच्छुक हैं। इस यात्रा के दौरान जनकपुर के जानकी मंदिर में प्रार्थना पूजा और नेपाल के जन को संबोधित करते हुए जनकपुर को जोड़ने वाले रामायण तीर्थ सर्किट के उद्घाटन की घोषणा की जाएगी।

इसके अलावा, श्री मोदी पोखरा में मुक्तिनाथ और पेंशन भुगतान कार्यालय का दौरा करेंगे, दोनों देशों के लोगों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों पर प्रकाश डाला जाएगा। निस्संदेह, तथ्य यह है कि वह जनकपुर में उतरकर नेपाल में अपनी यात्रा शुरू करेंगे, जो एकमात्र मैधेस शासित प्रांत की राजधानी है जिससे मधेसी समुदाय को दिलासा मिलेगी।

पाकिस्तान चुनौती

पाकिस्तान के साथ, तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने 2014 में दिल्ली का दौरा किया था और दिसंबर 2015 में मोदी ने लाहौर में उनके साथ चाय पर बातचीत की थी, पठानकोट और उरी हमलों के बाद 2016 में रिश्तों पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया। नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर फायरिंग ने नागरिक और सैन्य दोनों पक्षों को उच्च हताहतों की ओर अग्रसर किया है।

सितंबर 2016 में, भारत ने उरी हमले के प्रतिशोध के रूप में 'सर्जिकल स्ट्राइक' को अंजाम दिया, लेकिन इससे घुसपैठ कम नहीं हो पाए। बुरहान वानी की मृत्यु के बाद, कट्टरपंथी समूहों द्वारा स्थानीय भर्ती भी बढ़ रही है। भारत ने 2016 से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग (सार्क) शिखर सम्मेलन में शामिल होने से मना कर दिया और पाकिस्तान की आलोचना करते हुए श्री ट्रम्प को इस सन्दर्भ में ट्वीट किया। लेकिन पाकिस्तान को अलग करने की नीति के लिए सीमाएं भी स्पष्ट होनी चाहिए।

चुनाव जुलाई में होने की संभावना है और सेना श्री शरीफ के पीएमएल (एन) को सत्ता से बाहर रखना पसंद करेगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजनीति से जीवन भर के लिए श्री शरीफ की बर्खास्तगी और अयोग्यता यह स्पष्ट करती है कि सेना राजनीतिक संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए दृढ़ है। पाकिस्तान सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने एक से अधिक अवसरों पर भारत और अफगानिस्तान दोनों के साथ संबंध सुधारने की आवश्यकता पर बल दिया है।

पिछले महीने इस्लामाबाद में स्थगित ट्रैक-II नीमराना वार्ता का पुनरुद्धार इंगित करता है कि एक शिफ्ट की संभावना हो सकती है। पाकिस्तान को पता चलता है कि चुनावी मोड में जाने से पहले बदलाव के लिए समय सीमा सीमित है।

सवाल यह है कि क्या जनरल बाजवा भारत द्वारा ध्वजांकित मुद्दों पर आगे बढ़कर एक बेहतर सुझाव के साथ अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, जैसे लश्कर-ए-तोइबा और जेएम को प्रतिबंधित करना, कुलभूषण जाधव और 26/11 पर चल रहे विवाद को जल्द से जल्द निपटाना। वैसे यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत, पाकिस्तान के सन्दर्भ में अपनी नीति में बदलाव किए बिना क्षेत्रीय स्थिरता को फिर से कायम नहीं कर सकता।

* * *

GS World टीम...

भारत-नेपाल मैत्री संधि

- अनेक कूटनीतिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप 1950 में भारत और नेपाल के मध्य मैत्री संधि हुई।

संधि के प्रावधान

- दोनों देशों ने एक-दूसरे की सुरक्षा की गारंटी ली।
- एक-दूसरे के विरूद्ध विदेशी आक्रमण को सहन नहीं करेंगे।
- नेपाल अपनी युद्ध सामाग्री भारत से खरीदेगा।
- यदि नेपाल युद्ध सामाग्री किसी अन्य देश से खरीदता है तो वह भारत से होकर जायेगी।
- अन्य देश के कारण उत्पन्न समस्या पर एक-दूसरे से विचार करेंगे।

मधेशी समस्या

मधेशी का अभिप्राय

- नेपाल में पहाड़ी और तराई क्षेत्रों के मध्य क्षेत्र को ही मधेशी क्षेत्र कहा गया, जो नेपाल के पहाड़ी और मैदानी भाग के बीच का भाग है। इस मधेशी क्षेत्र में नेपाल के 22 जिले सम्मिलित है, जिनके जनपद की सीमा भारत की सीमा के साथ मिलती है।
- मधेशियों में भारतीय मूल के मधेशी हैं और नेपाली मधेशी भी है। नेपाल की जनसंख्या का लगभग 40% से ज्यादा हिस्सा इस भाग में निवास करता है। नेपाल के कृषि उत्पादन का 65% तथा नेपाल के कुल राजस्व का 70% भाग इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है।
- मधेशी, मैथिली, भोजपुरी एवं हिन्दी भाषा बोलते हैं। इसलिए इनके सांस्कृतिक और वैवाहिक संबंध भारतीयों से हैं।

मधेशियों के साथ नेपाल में भेदभाव

- मधेशियों के साथ अनेक प्रकार के भेदभाव हुए। उदाहरण के लिए, वर्ष-1964 के नागरिकता अधिनियम के अनुसार मधेशियों को नागरिकता के सर्टिफिकेट से वंचित कर दिया गया, जिससे उन्हें नेपाल में भूमि खरीदने के अधिकार से भी वंचित होना पड़ा।
- मधेशियों के अनुसार, मधेशी क्षेत्र का विकास नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र की तुलना में अत्यधिक कम हुआ है।
- मधेशी ये भी मानते हैं, कि भारत का दृष्टिकोण सदैव काठमांडू केन्द्रित होता है और भारत भी मधेशियों के हितों की उपेक्षा करता है।

नेपाल सरकार का मधेशियों के बारे में दृष्टिकोण

- नेपाल सरकार मधेशियों को भारत समर्थक मानती है।
- माओवादियों और मधेशियों के बीच भी हिंसक संघर्ष हो चुके हैं।
- माओवादियों ने आरोप लगाया कि मधेशियों को भारत उकसाता है।

नेपाल और चीन की नजदीकी से भारत का नुकसान

- नेपाल अपना 60% आयात भारत के जरिये पूरा करता है। चीन के साथ समझौते से भारतीय बंदरगाहों पर नेपाल की निर्भरता खत्म हो जाएगी।
- हिमालय जो कि नेपाल और चीन के संपर्क में एक बाधक बना था, अब दोनों देशों को जोड़ने वाला बन गया है।
- ट्रांजिट एंड ट्रेड समझौता दक्षिण एशिया में नए समीकरण का सूत्रपात करेगा। चीन का नेपाल में प्रवेश भारत को घेरने की उसकी योजना का हिस्सा है।

- चीन द्वारा नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की योजना भारतीय सीमाओं तक चीनी सैनिकों की पहुंच सुनिश्चित करेगी।
- नेपाल-चीन के बीच रेल संपर्क की बहाली सिलिगुड़ी कॉरिडोर पर खतरा बढ़ाएगी। यही एक मात्र कॉरिडोर है जो पूर्वोत्तर को भारत से जोड़ता है।
- नेपाल में चीन की मौजूदगी का अर्थ है कि भारत के अलगाववादियों और माओवादियों तक उसकी पहुंच बढ़ जाएगी।
- साथ ही भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा संबंधी दूसरी समस्याएं पैदा होंगी।

आर्थिक गलियारा क्या है और उसका इतिहास क्या है?

- चूंकि विश्व की अधिकतर जनसंख्या उत्तरी गोलार्द्ध में निवास करती है, इसलिए नए बाजारों की खोज में शुरू से ही समुद्रों का सहारा लिया गया। भारत भी उसी खोज का परिणाम रहा। कुछ एक अपवाद जैसे ब्रिटेन के महाशक्ति रहने के दौरान व्यापार दक्षिण से उत्तर की ओर हुआ, अन्यथा यह सामान्य रूप से उत्तर से दक्षिण की ओर ही होता आया है। इसी तरह का एक व्यापार मार्ग मध्य एशिया से पाकिस्तान, उत्तरी भारत में होता हुआ प्रायद्वीपीय भारत तक पहुंचा करता था।
- भारत-पाकिस्तान विभाजन के कारण उत्तरी भारत, अफगानिस्तान जैसे बाजारों से कट गया। पाकिस्तान को भी हानि हुई।
- सन् 1991 में भारत में उदारीकरण के साथ ही नए आर्थिक द्वार खुले और तब से पाकिस्तान को भारत के साथ आर्थिक और व्यावसायिक द्वार खोलने पड़े।
- चीन-पाकिस्तान के इस आर्थिक गलियारे ने पारंपरिक उत्तर-दक्षिण व्यापार पथ को पलटकर रख दिया है। पाकिस्तान ने ऐसे आर्थिक और भौगोलिक मार्ग को चुन लिया है, जिसका नक्शा चीन तय करता रहेगा।

'वन बेल्ट वन रोड' पहल क्या है?

- रेशम सड़क आर्थिक पट्टी तथा 21वीं सदी की सामुद्रिक रेशम सड़क की दो परियोजनाओं को मिलाने के लिये सितंबर 2013 में 'वन बेल्ट, वन रोड' कार्यक्रम का प्रस्ताव दिया गया था।
- विश्व के 55 प्रतिशत सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी), 70 प्रतिशत जनसंख्या तथा 75 प्रतिशत ज्ञात ऊर्जा भंडारों को समेटने की क्षमता वाली यह योजना वास्तव में चीन द्वारा भूमि एवं समुद्री परिवहन मार्ग बनाने के लिये है, जो चीन के उत्पादन केंद्रों को दुनिया भर के बाजारों एवं प्राकृतिक संसाधन केंद्रों से जोड़ेंगे।
- साथ ही साथ इससे चीन की अर्थव्यवस्था, श्रमशक्ति एवं बुनियादी ढांचा-तकनीक भंडारों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
- बेल्ट के गलियारे यूरेशिया में प्रमुख पुलों, चीन-मंगोलिया-रूस, चीन-मध्य एवं पश्चिम एशिया, चीन-भारत-चीन प्रायद्वीप, चीन-पाकिस्तान, बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार से गुजरेंगे।
- सामुद्रिक रेशम मार्ग अथवा "रोड" बेल्ट के गलियारों का सामुद्रिक प्रतिरूप है और उसमें प्रस्तावित बंदरगाह तथा अन्य तटवर्ती बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का नेटवर्क है, जो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया से पूर्वी अफ्रीका तथा उत्तरी भूमध्य सागर में बनाए जाएंगे।

भारत एवं दक्षिण-एशिया पर इसका प्रभाव

- यह समझौता पाकिस्तान के लिए भी अनवरत संघर्ष का विषय बना रहेगा। पाकिस्तान को इससे लाभ होने की भी कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है। यह एक तरह से चीन का पाकिस्तान में निवेश है, जिसे लौटाया जाना है। इसके अलावा चीन का निवेश पाकिस्तानी जनता के किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि यह चीनी बैंकों से सीधा पाकिस्तान में उसकी निर्माणाधीन उन परियोजनाओं पर लगाया जाएगा, जिनमें चीनी लोग ही काम करेंगे।
- चीन के लिए यह समझौता अवश्य ही बहुत लाभ का है। इससे चीन को हिंद महासागर में प्रवेश मिल गया है। इसके माध्यम से चीन ने भारत और उसके पड़ोसी देशों के अलावा पश्चिम एशिया में अपना राजनैतिक और सैनिक प्रभुत्व बनाने के लिए एक उपनिवेश स्थापित कर लिया है।
- यही कारण है कि इसे चीनी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह देखा जा रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चीन और पाकिस्तान की सेनाओं का मिलन भी भारत के लिए चिंता का दूसरा विषय है।

Committed To Excellence

संभावित प्रश्न

भारत द्वारा अपने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए अपनी विदेश नीति में क्या अपेक्षित बदलाव किए जाने चाहिए? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

What desired changes should be made by India in its foreign policy to establish better relations with neighbors? Discuss. (250 words)

भारत में चुनावों पर डिजिटल खतरे से मुकाबला

10 मई, 2018

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (शासन व्यवस्था) और प्रश्न-पत्र-3 (आंतरिक सुरक्षा) से संबंधित है।

"द हिन्दू"

लेखक - विनायक डालमिया (व्यवसायी)

"चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप के खतरे कई गुणा बढ़ गये हैं। फिर भी भारत ने अभी तक ऐसी कोई सुरक्षा प्रणाली का निर्माण नहीं किया है जिससे चीन या पाकिस्तान द्वारा भारतीय चुनावों को हैक करने की, की जा रही कोशिश को रोका जा सके।"

इस सप्ताह की शुरुआत में, बीबीसी को एक स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा कि उसने कर्नाटक में कोई भी पूर्व-मतदान सर्वेक्षण को शुरू नहीं किया है। इसका कारण यह है कि एक नकली सर्वेक्षण का दावा है कि आने वाले कर्नाटक चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 135 सीटों पर जीत हासिल करेगी, जिसे व्हाट्सएप पर वायरल कर दिया गया है, साथ ही इसमें इस सर्वेक्षण की वैधता के लिए बीबीसी का लिंक प्रदान किया गया है। जाहिर है यह लिंक केवल बीबीसी इंडिया के होम पेज की ओर ही जायेगा। नकली खबरों की एक लंबी श्रृंखला में यह नवीनतम है जिसने निष्पक्ष चुनावों को प्रभावित किया है।

निर्वाचन को प्रभावित करने वाले गंदे चाल और प्रचार हमेशा राजनीति का हिस्सा रहा है। ब्रेक्सिट और 2016 अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में सोशल मीडिया की भूमिका एक आम उदाहरण हैं, क्योंकि यह उससे भी परे जा चुका है।

अमेरिकी सेना क्यूबा और मध्य पूर्व में 'कम्प्यूटेशनल प्रचार प्रसार' का प्रयोग कर रही है। रूस सूचना युद्ध के लिए सॉफ्टवेयर विकसित कर रहे हैं। आज सभी समृद्ध देश डिजिटल तानाशाही बनाने में व्यस्त हैं अर्थात सिंगापुर के 'डेटा नियंत्रित समाज' से लेकर चीन की नागरिक स्कोर पहल तक।

यह जासूसी 2.0 का विकास है जिसमें पूरी चुनावी प्रक्रिया जोखिम पर है। चुनाव मशीनरी पर हमला किया जा सकता है। डेटा चुराया जा सकता है, जानकारी लीक की जा सकती है और चुनाव आयोग (ईसी) के बुनियादी ढांचें को नुकसान पहुँचाया जा सकता है।

हांलाकि, ऐसे कुछ उदाहरण मौजूद है जहाँ चुनावीं प्रक्रिया में हस्तक्षेप के कारण अपराधियों को सजा मिली है, उदाहरण के लिए, एंड्रेस सेप्लूवेदा वर्तमान में कोलंबिया में पिछले दशक में लैटिन अमेरिकी चुनावों में छेड़छाड़ करने के लिए जेल में हैं और मई 2015 में, जर्मनी ने अपनी संसद के निचले सदन में 14 सर्वरों का उल्लंघन पाया था, जिसके लिए रूस को दोष दिया गया था।

भारत के पास इन खतरों से निपटने के लिए कोई सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध नहीं है। प्रशांत झा की पुस्तक हाउ बीजेपी विन्स में भारत की सबसे बड़ी चुनाव मशीन के अंदर, भारतीय राजनीतिक दलों के बीच जारी सोशल मीडिया युद्धों के बारे में लिखा गया है और जाहिर है, कैम्ब्रिज एनालिटिका पर भारत में काम के सन्दर्भ में कई आरोप लगे हुए हैं।

भारत के लिए, यह डिजिटल युद्धक्षेत्र से कम नहीं है और ऑनलाइन नागरिक इसका नवीनतम क्षेत्र होगा। 2014, भारत के लिए पहला सोशल मीडिया चुनाव था, जहाँ डिजिटल व्यय 400-500 करोड़ रुपये था और 24 'इंटरनेट-सक्रिय' राज्यों में 3-4% वोट को बदलने में कामयाब रहा था। कर्नाटक में आगामी चुनाव, अधिक डिजिटल रूप से धनी राज्यों में से एक, विकास को दर्शाता है और 2019 के आम चुनाव का पूर्वावलोकन प्रदान करता है।

कर्नाटक अभियान में सोशल मीडिया का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है, जिसमें एक पहुंच है जो मतदाताओं के लगभग 58% तक विस्तृत है। इसके बारे में कोई आश्चर्य नहीं कि डिजिटल अभियानों पर 100 करोड़ रुपये का खर्च किया गया है, जैसा कि केन ने बताया है।

यह सिर्फ मतदाता नहीं है जो कमजोर प्रदान किया जाता है। भारत और ईसी में राजनीतिक दल भी डिजिटल दूरसंचार पर तेजी से निर्भर हो रहे हैं। चुनावों में सुधार के पिछले प्रयासों में अपहरण, हत्याएं और बूथ कैप्चरिंग शामिल थी। प्रौद्योगिकी इसे स्वच्छ और आसान बनाती है।

इसके अलावा, विदेशी हस्तक्षेप के खतरे भी कई गुना बढ़ जाते हैं। चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप के खतरे कई गुणा बढ़ गये हैं। फिर भी भारत ने अभी तक ऐसी कोई सुरक्षा प्रणाली का निर्माण नहीं किया है जिससे चीन या पाकिस्तान द्वारा भारतीय चुनावों को हैक करने की, की जा रही कोशिश को रोका जा सके।

अब प्रश्न उठता है कि भारत को क्या करने की जरूरत है? पहला, सोशल मीडिया के लिए शुरू करने के लिए, डेटा के अनियंत्रित निर्यात को सीमित करना होगा। दूसरा, डेटा सुरक्षा पर प्रस्तावित बीएन श्रीकृष्ण समिति के तहत 'संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा' की परिभाषा का विस्तार करना होगा।

तीसरा, व्हाट्सएप को अपने मूल फेसबुक के साथ डेटा साझा करना, बंद करने का आदेश दिया जाना चाहिए, जैसा यूके जैसे देशों में किया जा चुका है।

चौथा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने की आवश्यकता को संतुलित करते हुए ऑनलाइन घृणा और नकली भाषण को नियंत्रित करने के उचित तरीके बनाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ काम करना होगा। डिजिटल प्रवचन में 'नफरत' और नकली को परिभाषित करने की आवश्यकता है।

पांचवां, सार्वजनिक डोमेन से मतदाता पंजीकरण को हटाना होगा। छठा, अपने प्रमुख स्थिति के प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों द्वारा दुरुपयोग (संभावित और वास्तविक) का अध्ययन करना होगा। भारत को राजनीतिक विज्ञापन और तीसरे पक्ष को डेटा की बिक्री पर नए नियमों और मानदंडों की भी आवश्यकता है।

साइबर जोखिमों के लिए सबसे पहले, ईसी को साइबर सुरक्षा इकाई और मूल साइबर स्वच्छता में प्रशिक्षु अधिकारियों और राजनीतिक कर्मचारियों को स्थापित करने की आवश्यकता होती है। दूसरा, इसे तकनीकी कंपनियों के साथ अधिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग की दिशा में काम करने की जरूरत है।

तीसरा, घरेलू कानून को चुनावों में साइबर हस्तक्षेप को पहचानने और दंडित करने की आवश्यकता है। 'साइबर अपराध' को बेहतर तरीके से परिभाषित करने के लिए हमें भारतीय दंड संहिता और आईटी अधिनियम, 2000 में सुधार करने की भी आवश्यकता है।

इंटरनेट ने लोकतांत्रिक राजनीति में अभूतपूर्व संभावनाओं का निर्माण किया खोली हैं। यह समझना मुश्किल है कि यही वें समान प्रौद्योगिकियां हैं जिसने वर्ष 2008 में बराक ओबामा को जीत दिला दिया और इसी ने डोनाल्ड ट्रम्प और कैम्ब्रिज एनालिटिका का भी निर्माण किया है।

कैम्ब्रिज एनालिटिका राजनीति, विशेष रूप से लोकतांत्रिक विविधता और प्रौद्योगिकी के चौराहे पर खतरों का एक गंभीर अनुस्मारक है। यह एक उपयुक्त क्षण है, जो न सिर्फ वर्तमान गड़बड़ी को सुधारने से संबंधित है, बल्कि भविष्य में उत्पन्न होने वाले कठिन प्रश्नों के बारे में जानने के लिए भी उपयोगी साबित होगा और लोकतंत्र इसका हकदार भी है।

* * *

GS World टीम...

चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए उपाय?

- राजनीतिक दलों के लिये नकद योगदान पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिये। गौरतलब है कि नकद रूप में 2000 रुपए से कम चंदा स्वीकार करना अभी भी कानूनी है। अत: नकदी की व्यवस्था खत्म कर देने से न केवल 2,000 रुपए की नकदी सीमा के दुरुपयोग को रोकने में सहायता मिलेगी बल्कि इससे डिजिटल इंडिया के प्रचलन को भी धक्का नहीं लगेगा।
- पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एस. कृष्णमूर्ति ने सुझाव दिया है कि चुनाव आयोग को बॉण्ड जारी करने की बजाय अवैध धन के उपयोग की रोकथाम के लिये एक राष्ट्रीय चुनाव निधि स्थापित करने पर विचार करना चाहिये। इस निधि को दान करने वाले सभी कॉर्पोरेट को 100% कर छूट मिल सकती है। 1998 में इंद्रजीत गुप्त समिति के द्वारा भी कुछ इसी प्रकार का सुझाव दिया गया था जिसमें सबके लिये राज्य के द्वारा ही वित्त पोषण करने का प्रस्ताव दिया गया था।
- सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सार्वजनिक अधिकारियों के रूप में सभी राजनीतिक दलों को लाना, जिससे चुनाव वित्तपोषण प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

क्या है मामला?

- कैम्ब्रिज एनालिटिका पर आरोप है कि उसने एक क्विज एप (This is your digital life) की मदद से फेसबुक यूजर्स का डाटा हासिल किया।
- एप का इस्तेमाल करने वाले लोगों के फेसबुक मित्रों तक भी कैम्ब्रिज एनालिटिका पहुँच गई।
- फ्रेंड लिस्ट में शामिल इन यूजर्स से पूछे बिना कैम्ब्रिज एनालिटिका ने उनका फेसबुक डाटा हासिल किया।
- कंपनी ने इसके लिये व्यक्तित्व संबंधी आकलन बताने वाले एक एप का इस्तेमाल किया जिसे 2.70 लाख लोगों ने डाउनलोड किया था।
- कंपनी ने एपडाउनलोड करने वाले लोगों तथा उनकी मित्र-सूची के लोगों की जानकारियों का इस्तेमाल किया था, जिसका उद्देश्य अमेरिकी मतदाताओं के व्यवहार का अनुमान लगाना था।
- एप के यूजर्स से कहा गया कि उन्हें एक सामान्य प्रश्नावली के उत्तर देने हैं, जिसका उपयोग शैक्षिक कार्यों के सर्वे के लिये किया जाना बताया गया।

स्विंग वोटर्स

- लोगों की पोस्ट और राजनीतिक पसंद के लिहाज से उनका वर्गीकरण किया गया और करोड़ों मतदाताओं को एक खास दिशा में सोचने के लिये मजबूर किया गया। सोशल मीडिया के यूजर्स से मिली इस जानकारी का उपयोग 'स्विंग वोटर्स' को प्रभावित करने के लिये किया गया। अनिश्चित मतदाताओं अर्थात् स्विंग वोटर्स ऐसे मतदाताओं को कहते हैं, जिनकी किसी भी राजनीतिक दल के प्रति कोई निष्ठा नहीं होती, लेकिन मतदान के दौरान इनके अप्रत्याशित रुझान के चलते चुनाव के नतीजे भी अप्रत्याशित हो सकते हैं।
- ब्रिटेन की कैंब्रिज एनालिटिका कंपनी को सूचनाओं के आधार पर आकलन करने के क्षेत्र में दुनिया की बेहतरीन कंपनियों में माना जाता है।

कैसे हासिल किया डेटा?

- वोटर प्रोफाइलिंग कंपनी कैंब्रिज एनालिटिका 2013 में अस्तित्व में आई।
- यूनिवर्सिटी ऑफ कैंब्रिज में मनोविज्ञान के प्रोफेसर एलक्जेंडर कोगन की कंपनी ग्लोबल साइंस रिसर्च ने यूजर्स डेटा को शेयर करने के लिये कैंब्रिज एनालिटिका से डील की।
- एलक्जेंडर कोगन की कंपनी के बनाए गए एप This is your digita llife ने 2014 में फेसबुक यूजर्स को एक साइकोलॉजिकल क्विज में हिस्सा लेने का झाँसा दिया।
- लगभग 2,70,000 यूजर्स ने इस एप पर जाकर क्विज में हिस्सा लिया, जिनका फेसबुक पर्सनल डेटा कोगन की कंपनी ने एक्सेस कर लिया। साथ ही साथ यूजर्स के फ्रेंड्स के डेटा में भी सेंध लगाई।
- 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में अभियान चलाने के लिये इसकी सेवाएँ ली गई।
- इसके लिये रॉबर्ट मर्सर नाम के निवेशक ने कंपनी को 15 मिलियन डॉलर दिये, जो रिपब्लिकन पार्टी के प्रचारकों के पैनल में शामिल थे।

जाँच

- अमेरिकी अखबार 'संडे गार्जियन' ने कैंब्रिज एनालिटिका के पूर्व कर्मी और व्हिसल ब्लोअर के हवाले से मामले का खुलासा किया। इसमें कई देशों के यूजर्स का डेटा चोरी किया गया।
- जिन यूजर्स की प्राइवेसी सेटिंग्स मजबूत नहीं थी, उनका ही डेटा एक्सेस किया गया।
- अमेरिका में ग्राहकों के हितों की रक्षा से जुड़ी एजेंसी फेडरल ट्रेड कमीशन (एफटीसी) ने फेसबुक के खिलाफ जाँच शुरू की है कि क्या उसने प्रयोगकर्ताओं के लाखों आंकड़े एक राजनीतिक परामर्श एजेंसी को दिये थे।
- अब तक की जाँच में कंपनी द्वारा हनीट्रैप, फेक न्यूज कैंपेन और पूर्व जासूसों की मदद से चुनावों को प्रभावित करने की बात सामने आई है।
- इसी तरह से ब्रिटेन और यूरोपीय कमीशन में भी फेसबुक के खिलाफ जाँच शुरू हो गई है। यूरोपीय संघ और ब्रिटेन की संसद ने इसे लेकर फेसुबक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग को पेश होकर स्पष्टीकरण देने के लिये कहा है।

क्या है सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग?

- जब भी आप किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर जाते हैं तो दुनियाभर की कंपनियों, ग्रुप्स, राजनीतिक दलों के लिये एक संभावित उपभोक्ता बन जाते हैं।
- लोगों के मूड और रुझान को जानने-समझने के लिये उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग की जाती है।
- लोगों के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर नजर रखकर उनके बारे में राय बनाई जाती है और उसी के हिसाब से उनसे बात की जाती है।
- ये सभी सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग के जरिये आपकी रुचि और पसंद के अनुसार आपको टारगेट करते हैं।

* * *

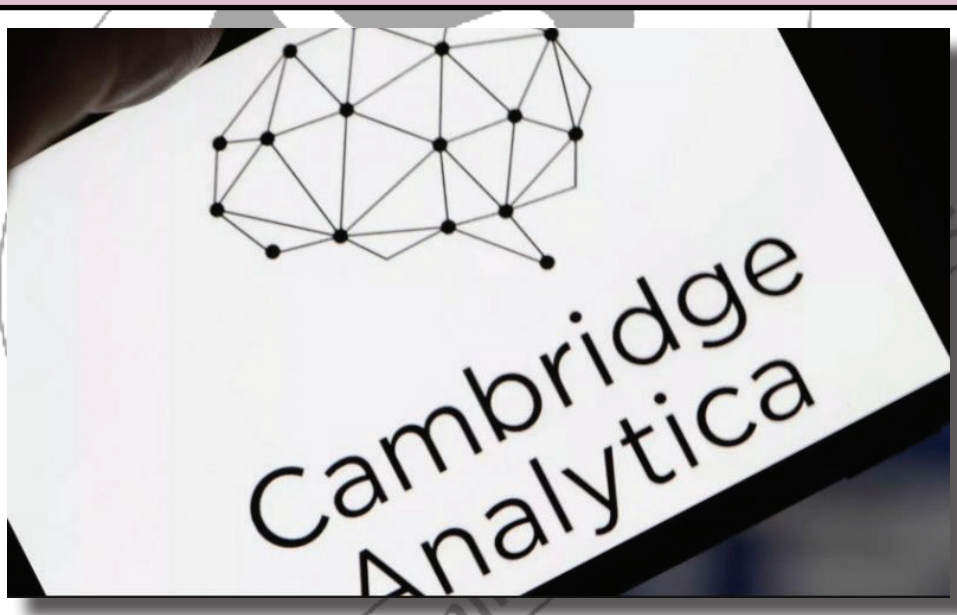

संभावित प्रश्न

''निष्पक्ष चुनाव का निर्णय सिर्फ चुनावों के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि समूची प्रजातांत्रिक व्यवस्था का स्वरूप निर्धारण करने वाला विषय है।'' इस कथन के संदर्भ में निर्वाचन प्रणाली में पारदर्शिता लाने और इस पर व्याप्त डिजिटल खतरे में निपटने हेतु उपाय सुझाएं।

"The issue of fair election is not only concerned with elections but it is an issue determining the whole democratic system." In the context of this statement, suggest measures to bring transparency is election system and to deal with digital risk associated with it. (250 Words)

विश्वास और कूटनीति : भारत-नेपाल संबंधों पर

11 मई, 2018

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध) से संबंधित है।

"द हिन्दू"

लेखक - सुहासिनी हैदर (संपादक)

द्विपक्षीय कूटनीति के साथ व्यक्तिगत विश्वास मिलकर बेहतर संबंध का निर्माण करते है, लेकिन यह तभी संभव है जब सभ कुछ ठीक हो जाए।

वर्ष 2001 में जब आगरा शिखर सम्मेलन के लिए उन्होंने भारत का दौरा किया, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने यात्रा को धार्मिक विश्वास से इसे जोड़ा था। उनके यात्रा कार्यक्रम में दिल्ली में अपने पहले दिन निजामुद्दीन दरगाह और यात्रा समाप्त होने के समय अजमेर दरगाह जाना शामिल था।

लेकिन अजमेर की यात्रा कभी नहीं हुई, क्योंकि शिखर सम्मेलन का समय आगे बढ़ाया गया और फिर अंत में समाप्त हो गया। वर्ष 2005 में, श्री मुशर्रफ ने इस सन्दर्भ में कोई खतरा नहीं उठाया और अजमेर में आ कर भारत की यात्रा की शुरूआत की।

इसी तरह, नवंबर 2014 में जनकपुर जाने के निरस्त प्रयास के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वार्ता के लिए काठमांडू जाने के पहले, शुक्रवार को जनकपुर पहले जाएंगे और इस तरह नेपाल की यात्रा शुरू करेंगे। वह मस्तंग में मुक्तिनाथ भी जाएंगे, जो नवंबर 2014 में उनके यात्रा कार्यक्रम में शामिल थे, लेकिन अंतिम मिनट में इसे रद्द कर दिया गया था।

अधिकारियों का कहना है कि जब वे काठमांडू में उतरे तो इन दोनों जगहों पर यात्रा करने में असमर्थता पर मोदी ने अपनी निराशा जाहिर की थी। लैंडिंग के कुछ ही समय बाद, उन्होंने एक दमदार भाषण दिया जो दर्शाता है कि उनका नेपाली संविधान पर सर्वसम्मति नहीं थी।

नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला के करीबी सलाहकार ने कहा, 'यह हमारे लिए सदमे के रूप में आया, जैसा कि सिर्फ तीन महीने पहले, हमारी संसद में, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि संविधान का निर्माण अकेले नेपाल का काम था।'

जनकपुर यात्रा को रद्द करने का कारण क्या था वह अब तक एक रहस्य बना हुआ है। जनकपुर में सार्वजनिक रैली को संबोधित करने की मोदी की योजनाओं पर नेपाल में विपक्ष का विरोध सबसे स्पष्ट कारण प्रतीत होता है।

एक और मुद्दा यह था कि श्री मोदी बीरगंज-रक्सौल चेकपॉइंट के माध्यम से सड़क से जनकपुर जाना चाहते थे, लेकिन वहां डर था कि उनके काफिले के साथ खुली सीमा पर भीड़ न टूट पड़े। नेपाल की 'संप्रभुता' छोड़ने की सरकार पर आरोप लगाते हुए, माओवादियों ने समानांतर रैली का भी आयोजन किया, जिससे नई सुरक्षा चिंताओं का जन्म हुआ।

भारतीय अधिकारियों का कहना है कि जब उन्हें यह सब बताया गया तो उन्हें खतरे का नौभाव हुआ और श्री मोदी ने अपनी तीर्थ योजनाओं को रद्द करने का फैसला किया। जब वर्ष 2015 में चार महीने की आर्थिक नाकाबंदी रक्सौल सीमा पर हुई, तो नेपाली प्रतिष्ठान में कई लोगों ने पिछले साल की कड़वाहट को जिम्मेदार ठहराया।

नई दिल्ली हमेशा नाकाबंदी को लागू करने के आरोपों को खारिज करता आया हैं, लेकिन नेपाली धारणा इस तथ्य से उभर आई थी कि आखिरी बार नेपाल को 1989 में नाकाबंदी का सामना करना पड़ा था, यह एक और विनाशकारी राजनयिक घटना के बाद आया था, जब सोनिया गांधी को पशुपतिनाथ मंदिर अपने रूढ़िवादी पुजारियों द्वारा काठमांडू में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गयी थी, जिनका कहना था कि केवल हिंदू ही इस मदिर में प्रवेश कर सकते हैं।

हालाँकि यह बात भी विचारणीय है कि मधेसियों के प्रति सहानुभूति रखने तथा नेपाल सरकार को उनकी समस्याओं को दूर करने की सलाह देने वाला भारत इस मुद्दे की अनदेखी कैसे कर सकता है। बिना किसी समर्थन के इतना बड़ा परिवहन गतिरोध तथा वह भी लम्बे समय तक भला कैसे चल सकता है ? नेपाल ने इस विषय को संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उठाया था।

वैसे अप्रैल 2015 में नेपाल में भूकंप ने दोनों देशों के मध्य आपसी समझ एवं दोस्ती का एक नया ही रूप प्रस्तुत किया। भारत द्वारा न केवल आर्थिक रूप से नेपाल का सहयोग किया गया बल्कि सेना द्वारा राहत कार्यक्रम का संचालन कर नेपाल को पुनः भारत के साथ अपने संबंधों को एक नए आयाम पर पहुँचाने की संभावना भी व्यक्त की गई थी।

अंतर्राष्ट्रीय मंचों से पश्चिमी देशों के आर्थिक बल प्रयोग का भारत भले ही विरोध करता हो, परन्तु बीते समय में नई दिल्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये इस अस्त्र का बखूबी प्रयोग किया है। अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भारत किस तरह आर्थिक दबाव का सामरिक प्रयोग करता है, नेपाल की नाकेबंदी इसका एक उदाहरण है।

भारत द्वारा घाटबंधी, आर्थिक नाकेबंदी तथा वित्तीय प्रतिबंध जैसे आर्थिक उपकरणों के उपयोग का यह पहला उदाहरण नहीं है। भारत अपने हितों की पूर्ति के लिये बीते समय में अन्य देशों में भी इनका प्रयोग कर चुका है। नेपाल, पाकिस्तान तथा दक्षिण अफ्रीका इसके महत्त्वपूर्ण उदाहरण हैं।

हालाँकि कुछ अवसर ऐसे भी आए हैं जब भारत ने न केवल आर्थिक दबाव के उपयोग करने की घोषणा की है बल्कि इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही के लिये पैरवी भी की है।

भारत ने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध वर्ष1946 से 1993 तक आर्थिक दबाव का उपयोग किया था जब भारत ने पाया कि भारतीय डायस्पोरा के प्रति वहाँ की सरकार का व्यवहार भेदभावपूर्ण एवं हानिकारक है।

इसी प्रकार वर्ष 2001 में भारतीय संसद पर आतंकवादी हमले के पश्चात,भारत ने पाकिस्तान से संचालित जैश-ए-मोहम्मद एवं लश्कर-ए-तैएबा को इस हमले के लिये जिम्मेवार ठहराते हुए पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसका आर्थिक प्रभाव पड़ा था।

द्विपक्षीय कूटनीति के साथ व्यक्तिगत विश्वास मिलकर बेहतर संबंध का निर्माण करते है, लेकिन यह तभी संभव है सब सभ कुछ ठीक हो जाए, लेकिन जब द्विपक्षीय संबंधों का सामना करना पड़ता है, तो यह बहुत जल्दी व्यक्तिगत हो जाता है।

भारत का नेपाल के साथ अच्छे रिश्ते बनाने का दूसरा कारण चीन का नेपाल की सड़क, बिजली जैसी अन्य मूलभूत संरचना में बढ़ती भागीदारी को रोकना है। पाकिस्तान का नेपाल के साथ मैत्रीपूर्ण प्रयासों के संदर्भ में भारत के लिए यह आवश्यक भी है कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि चीन-नेपाल-पाकिस्तान का भारत के विरोध में सामूहिक गंठजोड़ न हो पाये। काठमांडू के साथ मजबूत रिश्ता बनाये रखना नयी दिल्ली के लिए इसलिए भी जरूरी है, ताकि नेपाल के नये संविधान में मधेशी लोगों के हितों की रक्षा की जा सके।

हांलाकि, चार साल में काफी कुछ बदल गया है। इस बार, अधिकारियों का कहना है कि यह नेपाल के प्रधानमंत्री खड़गा प्रसाद ओली थे जिन्होंने नेपाल चुनावों के बाद एक फोन कॉल के दौरान श्री मोदी को याद दिलाया था कि उन्हें जल्द ही जनकपुर जाना चाहिए। इस इशारे के माध्यम से, दोनों नेता भारत-नेपाल संबंधों में एक कड़वे अध्याय के समापन को संकेत दे रहे हैं।

GS World टीम...

भारत-नेपाल मैत्री संधि

- अनेक कूटनीतिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप 1950 में भारत और नेपाल के मध्य मैत्री संधि हुई।

संधि के प्रावधान

- दोनों देशों ने एक-दूसरे की सुरक्षा की गारंटी ली।
- एक-दूसरे के विरूद्ध विदेशी आक्रमण को सहन नहीं करेंगे।
- नेपाल अपनी युद्ध सामाग्री भारत से खरीदेगा।
- यदि नेपाल युद्ध सामाग्री किसी अन्य देश से खरीदता है तो वह भारत से होकर जायेगी।
- अन्य देश के कारण उत्पन्न समस्या पर एक-दूसरे से विचार करेंगे।

मधेशी समस्या

मधेशी का अभिप्राय

- नेपाल में पहाड़ी और तराई क्षेत्रों के मध्य क्षेत्र को ही मधेशी क्षेत्र कहा गया, जो नेपाल के पहाड़ी और मैदानी भाग के बीच का भाग है। इस मधेशी क्षेत्र में नेपाल के 22 जिले सम्मिलित है, जिनके जनपद की सीमा भारत की सीमा के साथ मिलती है।
- मधेशियों में भारतीय मूल के मधेशी हैं और नेपाली मधेशी भी है। नेपाल की जनसंख्या का लगभग 40% से ज्यादा हिस्सा इस भाग में निवास करता है। नेपाल के कृषि उत्पादन का 65% तथा नेपाल के कुल राजस्व का 70% भाग इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है।
- मधेशी, मैथिली, भोजपुरी एवं हिन्दी भाषा बोलते हैं। इसलिए इनके सांस्कृतिक और वैवाहिक संबंध भारतीयों से हैं।

मधेशियों के साथ नेपाल में भेदभाव

- मधेशियों के साथ अनेक प्रकार के भेदभाव हुए। उदाहरण के लिए, वर्ष-1964 के नागरिकता अधिनियम के अनुसार मधेशियों को नागरिकता के सर्टिफिकेट से वंचित कर दिया गया, जिससे उन्हें नेपाल में भूमि खरीदने के अधिकार से भी वंचित होना पड़ा।
- मधेशियों के अनुसार, मधेशी क्षेत्र का विकास नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र की तुलना में अत्यधिक कम हुआ है।
- मधेशी ये भी मानते हैं, कि भारत का दृष्टिकोण सदैव काठमांडू केन्द्रित होता है और भारत भी मधेशियों के हितों की उपेक्षा करता है।

नेपाल सरकार का मधेशियों के बारे में दृष्टिकोण

- नेपाल सरकार मधेशियों को भारत समर्थक मानती है।
- माओवादियों और मधेशियों के बीच भी हिंसक संघर्ष हो चुके हैं।
- माओवादियों ने आरोप लगाया कि मधेशियों को भारत उकसाता है।

नेपाल और चीन की नजदीकी से भारत का नुकसान

- नेपाल अपना 60% आयात भारत के जरिये पूरा करता है। चीन के साथ समझौते से भारतीय बंदरगाहों पर नेपाल की निर्भरता खत्म हो जाएगी।
- हिमालय जो कि नेपाल और चीन के संपर्क में एक बाधक बना था, अब दोनों देशों को जोड़ने वाला बन गया है।
- ट्रांजिट एंड ट्रेड समझौता दक्षिण एशिया में नए समीकरण का सूत्रपात करेगा। चीन का नेपाल में प्रवेश भारत को घेरने की उसकी योजना का हिस्सा है।
- चीन द्वारा नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की योजना भारतीय सीमाओं तक चीनी सैनिकों की पहुंच सुनिश्चित करेगी।

- नेपाल-चीन के बीच रेल संपर्क की बहाली सिलिगुड़ी कॉरिडोर पर खतरा बढ़ाएगी। यही एक मात्र कॉरिडोर है जो पूर्वोत्तर को भारत से जोड़ता है।
- नेपाल में चीन की मौजूदगी का अर्थ है कि भारत के अलगाववादियों और माओवादियों तक उसकी पहुंच बढ़ जाएगी।
- साथ ही भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा संबंधी दूसरी समस्याएं पैदा होंगी।

आर्थिक गलियारा क्या है और उसका इतिहास क्या है?

- चूंकि विश्व की अधिकतर जनसंख्या उत्तरी गोलार्द्ध में निवास करती है, इसलिए नए बाजारों की खोज में शुरू से ही समुद्रों का सहारा लिया गया। भारत भी उसी खोज का परिणाम रहा। कुछ एक अपवाद जैसे ब्रिटेन के महाशक्ति रहने के दौरान व्यापार दक्षिण से उत्तर की ओर हुआ, अन्यथा यह सामान्य रूप से उत्तर से दक्षिण की ओर ही होता आया है। इसी तरह का एक व्यापार मार्ग मध्य एशिया से पाकिस्तान, उत्तरी भारत में होता हुआ प्रायद्वीपीय भारत तक पहुंचा करता था।
- भारत-पाकिस्तान विभाजन के कारण उत्तरी भारत, अफगानिस्तान जैसे बाजारों से कट गया। पाकिस्तान को भी हानि हुई।
- सन् 1991 में भारत में उदारीकरण के साथ ही नए आर्थिक द्वार खुले और तब से पाकिस्तान को भारत के साथ आर्थिक और व्यावसायिक द्वार खोलने पड़े।
- चीन-पाकिस्तान के इस आर्थिक गलियारे ने पारंपरिक उत्तर-दक्षिण व्यापार पथ को पलटकर रख दिया है। पाकिस्तान ने ऐसे आर्थिक और भौगोलिक मार्ग को चुन लिया है, जिसका नक्शा चीन तय करता रहेगा।

'वन बेल्ट वन रोड' पहल क्या है?

- रेशम सड़क आर्थिक पट्टी तथा 21वीं सदी की सामुद्रिक रेशम सड़क की दो परियोजनाओं को मिलाने के लिये सितंबर 2013 में 'वन बेल्ट, वन रोड' कार्यक्रम का प्रस्ताव दिया गया था।
- विश्व के 55 प्रतिशत सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी), 70 प्रतिशत जनसंख्या तथा 75 प्रतिशत ज्ञात ऊर्जा भंडारों को समेटने की क्षमता वाली यह योजना वास्तव में चीन द्वारा भूमि एवं समुद्री परिवहन मार्ग बनाने के लिये है, जो चीन के उत्पादन केंद्रों को दुनिया भर के बाजारों एवं प्राकृतिक संसाधन केंद्रों से जोड़ेंगे।
- साथ ही साथ इससे चीन की अर्थव्यवस्था, श्रमशक्ति एवं बुनियादी ढांचा-तकनीक भंडारों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
- बेल्ट के गलियारे यूरेशिया में प्रमुख पुलों, चीन-मंगोलिया-रूस, चीन-मध्य एवं पश्चिम एशिया, चीन-भारत-चीन प्रायद्वीप, चीन-पाकिस्तान, बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार से गुजरेंगे।
- सामुद्रिक रेशम मार्ग अथवा "रोड" बेल्ट के गलियारों का सामुद्रिक प्रतिरूप है और उसमें प्रस्तावित बंदरगाह तथा अन्य तटवर्ती बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का नेटवर्क है, जो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया से पूर्वी अफ्रीका तथा उत्तरी भूमध्य सागर में बनाए जाएंगे।

भारत एवं दक्षिण-एशिया पर इसका प्रभाव

- यह समझौता पाकिस्तान के लिए भी अनवरत संघर्ष का विषय बना रहेगा। पाकिस्तान को इससे लाभ होने की भी कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है। यह एक तरह से चीन का पाकिस्तान में निवेश है, जिसे लौटाया जाना है। इसके अलावा चीन का निवेश पाकिस्तानी जनता के किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि यह चीनी बैंकों से सीधा पाकिस्तान में उसकी निर्माणाधीन उन परियोजनाओं पर लगाया जाएगा, जिनमें चीनी लोग ही काम करेंगे।
- चीन के लिए यह समझौता अवश्य ही बहुत लाभ का है। इससे चीन को हिंद महासागर में प्रवेश मिल गया है। इसके माध्यम से चीन ने भारत और उसके पड़ोसी देशों के अलावा पश्चिम एशिया में अपना राजनैतिक और सैनिक प्रभुत्व बनाने के लिए एक उपनिवेश स्थापित कर लिया है।
- यही कारण है कि इसे चीनी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह देखा जा रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चीन और पाकिस्तान की सेनाओं का मिलन भी भारत के लिए चिंता का दूसरा विषय है।

संभावित प्रश्न

जिस तरह से इस क्षेत्र में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, उससे भारत को अपने पड़ोस में आर्थिक शक्ति के प्रदर्शन से पहले रणनीतिक लाभ-हानि पर विचार अवश्य कर लेना चाहिये। इस कथन के सन्दर्भ में भारत-नेपाल संबंधों पर एक समीक्षात्मक टिप्पणी करते हुए भारत को नेपाल के प्रति अपनी नीति दूरदर्शी बनाने हेतु क्या पहल किए जाने चाहिए? चर्चा कीजिये। **(250 शब्द)**

As China's influence in this area is increasing, India must consider strategic profit and loss before exhibiting its economic power in its neighborhood. In the context of this statement, what should be done by India to make a visionist policy towards Nepal, while critically commenting on the Indo-Nepal relations? Discuss. (250 Words)

ऊर्जा कमी की स्थिति में : 100% विद्युतीकरण के लक्ष्य पर "द हिन्दू"

12 मई, 2018

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। एवं ।।। (शासन व्यवस्था, बुनियादी ढांचा- ऊर्जा) से संबंधित है।

लेखक - अश्विनी के स्वैन (कार्यकारी निदेशक, सेंटर फॉर एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेस, नई दिल्ली)

जब तक सभी इच्छुक घरों के लिए विद्युतीकरण के लक्ष्य का अर्थ सार्वभौमिक पहुंच से संबंधित ना हो, तब तक इस पर संदेह कायम रहेगा।

भारत में अब 100% गांव विद्युतीकृत है, जो देश के विकास के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण रूप से मील का पत्थर साबित होगा। स्वतंत्रता के समय, जब प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं विद्युतीकरण को पूरा कर रही थीं, तब भारतीय संविधान सभा के सदस्य के. संथानम ने विद्युतीकरण को अछूता क्षेत्र कहा था। विद्युत विकास में क्षेत्रीय असंतुलन के जवाब में, बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र के नेतृत्व में, संविधान सभा ने देश में सार्वजनिक क्षेत्र के नेतृत्व वाले विद्युतीकरण के लिए आधार स्थापित किया था।

लेकिन समर्पित सार्वजनिक एजेंसियों के बावजूद, एक नियोजित दृष्टिकोण, एक सतत राजनीतिक जनादेश और केंद्र और राज्यों द्वारा जारी सार्वजनिक खर्च में कमी ने भारत को इस सन्दर्भ में सफलता प्राप्त करने में धीमा कर दिया है।

पिछले साल एक और महत्वपूर्ण बदलाव आया जब भारत ने शुद्ध अधिशेष और बिजली के निर्यातक होने का दावा किया (यह परिदृश्य कम से कम एक दशक तक जारी रखने का अनुमान लगाया गया)। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह उपलब्धि भारत में ऊर्जा की कमी का अंत कर सकती हैं?

देखा जाये तो, 31 मिलियन ग्रामीण परिवार और लगभग पांच मिलियन शहरी परिवार अभी भी ग्रिड से जुड़े हुए हैं, जो किसी भी देश में सबसे ज्यादा। साथ ही, जुड़े हुए ग्रामीण परिवारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अभी तक पर्याप्त मात्रा और आपूर्ति की गुणवत्ता प्राप्त नहीं कर पाया है।

केंद्र सरकार ने मार्च 2019 के अंत तक सभी शेष परिवारों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है और विद्युतीकरण की लागत को कवर करने के लिए बजटीय आवंटन किए हैं।

24×7 पावर फॉर ऑल पर केंद्र-राज्य संयुक्त पहल के हिस्से के रूप में, राज्य सरकारें अप्रैल, 2019 से सभी परिवारों को चौबीस घंटे की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन स्वच्छ, भरोसेमंद और किफायती ऊर्जा तक पहुंच की आकांक्षा सभी बाधाओं और गिरावट से मुक्त नहीं है।

केंद्र द्वारा किये गये प्रयासों के कारण विद्युत विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को संतुलित करने का प्रयास किया है जो भारत के शुरुआती योजनाकारों से संबंधित है। लेकिन, इसके बावजूद बिजली के उपयोग में क्षेत्रीय असंतुलन जारी है। सात राज्य (उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, झारखंड, असम, राजस्थान और मध्य प्रदेश) में 90% गैर-विद्युतीकृत परिवार हैं।

संयोग से, इन राज्यों को सामाजिक विकास सूचकांक में भी निचला स्थान दिया गया है और साथ ही ये गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी का लगभग दो तिहाई हिस्सा है। आर्थिक गरीबी और ऊर्जा की कमी के बीच यह सहमति सार्वभौमिक पहुंच के लक्ष्य के लिए बाधक साबित होगी।

लागत कारक

आपूर्ति की लागत के लिए कौन भुगतान करेगा, वह भी एक महत्वपूर्ण सवाल होगा। इन सात राज्यों में बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पहले ही अत्यधिक ऋणी हैं, मार्च, 2016 तक सभी डिस्कॉम के जमा ऋण 42% थे। उनके ऋण राज्यों की संचित देनदारियों के 17% के लिए खाते हैं। जारी राज्य आर्थिक सहायता (ओडिशा को छोड़कर) के बावजूद, ये सभी डिस्कॉम लगातार नुकसान में चल रहे हैं, जो बिजली वितरण कारोबार में लगभग 47% नुकसान को दर्शाता है।

राज्य सरकार के उपक्रम 2015-16 में अपने संचयी सकल राजकोषीय घाटे का 10% था और सभी राज्यों के कुल आर्थिक सहायता का 40% था। सब्सिडी के बाद इन डिस्कॉम के घाटे में सालाना सकल राजकोषीय घाटे में 19% की वृद्धि हुई है। इन राज्यों और डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति अतिरिक्त सब्सिडी को समायोजित करने के लिए बाध्य लगती है।

दूसरी तरफ, इन राज्यों में मौजूदा सब्सिडीकृत लाइफलाइन शुल्क गरीबों के लिए असुरक्षित दिखाई देते हैं और सार्वभौमिक (या उच्च) पहुंच वाले राज्यों की तुलना में निश्चित रूप से हैं। इस संदर्भ को देखते हुए, यह नामुमकिन लगता है कि मार्च, 2019 तक सभी इच्छुक परिवारों को विद्युतीकरण के लक्ष्य का सार्वभौमिक पहुंच के साथ लाभ प्राप्त हो सकेगा।

वितरण में चुनौतियां

अन्य प्रमुख चुनौती वितरण नेटवर्क क्षमता से है। भारत में विद्युतीकरण विस्तार के दृष्टिकोण का पालन करता आया है, जो क्षमता बढ़ाने और ग्रिड भविष्य को तैयार करने पर बहुत अधिक जोर दिए बिना अक्सर राजनीतिक विचारधाराओं द्वारा संचालित होता है।

नतीजतन, वितरण बुनियादी ढांचा अतिरंजित है, क्योंकि मांग बढ़ रही है, जिससे तकनीकी नुकसान और लगातार टूटने का उच्च स्तर बन गया है। कई राज्यों में वितरण नेटवर्क क्षमता बिजली उपलब्ध कराने के लिए अपर्याप्त है।

इसके बाद भी, डिस्कॉम बिजली की कटौती करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि उनकी अनुबंधित पीढ़ी की क्षमता कम हो गई है। मौजूदा नाजुक वितरण नेटवर्क में नया भार जोड़ना केवल आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता से समझौता करेगा। जसके परिणामस्वरूप ग्रामीण गरीबों के लिए चौबीस घंटे के दौरान लगातार कटौती हो सकते हैं।

24×7 पावर फॉर ऑल पर राज्य रणनीति दस्तावेज वितरण नेटवर्क क्षमता में आवश्यक वृद्धि की आवश्यकता और मात्रा को उजागर करते हैं। जबकि केंद्र सरकार 2001 से बजटीय आवंटन के साथ कई योजनाएं ला चुकी है, उपलब्ध फंडिंग समर्थन बढ़ती आवश्यकता से कम रहा है। इसके अलावा, कई राज्य सीमित वित्त पोषण का उपयोग करने में असफल रहे हैं।

ग्रामीण और शहरी वितरण नेटवर्क को क्रमशः बढ़ाने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत

विकास योजना (आईपीडीएस) के तहत वर्तमान आवंटन, केवल आवश्यकता का एक अंश है। इसके अलावा, इन अनुदानों का वितरण बहुत धीमा रहा है, डीडीयूजीजेवाई के तहत 17% और आईपीडीएस के तहत 31% अनुदान, सुस्त कार्यान्वयन को दर्शाता है।

पूर्व विद्युतीकरण योजनाओं की कम उपलब्धि को असंगतता और केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग की कमी पर अक्सर दोषी ठहराया गया है। यह देखते हुए कि सात कम पहुंच वाले राज्यों के साथ-साथ केंद्र एक ही राजनीतिक दल (और सहयोगियों) द्वारा चलाया जाता है, सार्वभौमिक पहुंच के लक्ष्य पर एक मजबूत राजनीतिक सर्वसम्मति प्रतीत होती है।

यह आवश्यक पूंजीगत निवेश, संचरण और वितरण नेटवर्क में समय पर उन्नयन और कम लाभकारी भार की सेवा को कवर करने की लागत को कवर करने के लिए केंद्र और राज्यों की क्षमता पर निर्भर करेगा।

GS World टीम...

सौभाग्य योजना?

16,320 करोड़ रुपए की लागत वाली योजना सौभाग्य का उद्देश्य अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करते हुए सभी घरों में बिजली पहुँचाना और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी शेष गैर-विद्युतीकृत घरों में बिजली कनेक्शन सुलभ कराना है, ताकि देश में सभी घरों में बिजली पहुँचाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

योजना से क्या अपेक्षित है?

रौशनी के लिये केरोसिन का प्रयोग न करने से पर्यावरण में सुधार

- शैक्षणिक गतिविधियों में प्रगति
- उत्तम स्वास्थ्य सेवाएँ
- रेडियो, टेलीविजन और मोबाइल द्वारा बेहतर संपर्कता
- आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में वृद्धि
- विशेष रूप से महिलाओं सहित सभी के जीवन स्तर में सुधार

इस योजना के तहत केंद्र सरकार से 60% अनुदान राज्यों को मिलेगा, जबकि राज्य अपने कोष से 10% धन खर्च करेंगे और शेष 30% राशि बैंकों से बतौर ऋण के रूप में प्राप्त करना होगा।

विशेष राज्यों के लिये योजना का 85% अनुदान केंद्र सरकार देगी, जबकि राज्यों को अपने पास से केवल 5% धन लगाना होगा और शेष 10% बैंकों से कर्ज लेना होगा।

ऐसे लगभग सभी साढ़े तीन करोड़ निर्धन परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा, जिनके पास अभी कनेक्शन नहीं है।

इस योजना का लाभ गाँव के साथ-साथ शहर के लोगों को भी मिलेगा। ये मुफ्त बिजली कनेक्शन गरीब परिवारों को प्रदान किये जाएंगे।

केंद्र सरकार द्वारा बैटरी सहित 200 से 300 वाट क्षमता का सोलर पावर पैक दिया जाएगा, जिसमें हर घर के लिये 5 एलईडी बल्ब, एक पंखा भी शामिल है।

बिजली के इन उपकरणों की देख-रेख 5 सालों तक सरकार अपने खर्च पर करवाएगी।

बिजली कनेक्शन के लिये 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना को आधार माना जाएगा। जो लोग इस जनगणना में शामिल नहीं हैं, उन्हें 500 रुपए में कनेक्शन दिया जाएगा और इसे 10 किश्तों में वसूला जाएगा।

सभी घरों को बिजली पहुँचाने के लिये प्री-पेड मॉडल अपनाया जाएगा।

ग्रामीण विद्युतीकरण से जुड़े प्रमुख मुद्दे

बुनियादी ढाँचे और गाँव के कुछ सार्वजनिक केंद्रों के विद्युतीकरण के अलावा, गाँव के कुल परिवारों की संख्या में से केवल 10% परिवारों के पास विद्युत कनेक्शन होने के आधार पर एक गाँव को विद्युतीकृत माना जाता है, भले ही 90% परिवारों के पास बिजली कनेक्शन न हो।

हालाँकि, भारत ने अब पूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, लेकिन भारत के ग्रामीण परिवारों (अनुमानित 31 मिलियन) का लगभग पाँचवां हिस्सा अभी भी बिजली की सुविधा से वंचित है।

केवल उत्तर प्रदेश राज्य में अंधेरे में रहने वालों की संख्या 13 मिलियन से अधिक है।

इसके अलावा, आधिकारिक आँकड़ों में कई गाँवों को विद्युतीकृत माना जाता है, किंतु वहाँ शिकायतें दर्ज की गई हैं कि गाँवों की अनदेखी के कारण ट्रांसमिशन तारों जैसे प्रमुख घटक की चोरी की घटनाएँ भी बढ़ गई हैं। सरकार का कहना है कि ग्रामीण विद्युतीकरण की 20 साल पुरानी परिभाषा में परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सौभाग्य योजना के माध्यम से पूर्ण विद्युतीकरण और हर घर तक बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

जनगणना वाले कुल 19,679 गाँवों का विद्युतीकरण होना था, लेकिन राज्य सरकारों ने रिपोर्ट दी है कि 1305 गाँवों में कोई नहीं रहता। शेष 18,374 गाँवों का विद्युतीकरण किये जाने के बाद 100 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। देश के लगभग 18 करोड़ (17,99,41,456) घरों में से 17% (3,13,65,992) तक बिजली पहुँचनी बाकी है।

विद्युत मंत्रालय के बारे में

विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 2 जुलाई, 1992 से स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू किया। इससे पूर्व इसे ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के नाम से जाना जाता था।

विद्युत, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-III में प्रविष्टि 38 पर दिया गया समवर्ती सूची का विषय है।

विद्युत मंत्रालय प्रमुख रूप से देश में विद्युत ऊर्जा के विकास के लिये उत्तरदायी है। यह परिदृश्य आयोजना, नीति निर्धारण, निवेश निर्णय हेतु परियोजनाओं की कार्रवाई, विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी, प्रशिक्षण एवं जनशक्ति विकास और तापीय, जलविद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के संबंध में प्रशासन एवं कानून बनाने से संबंधित कार्य करता है।

यह मंत्रालय विद्युत अधिनियम, 2003, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रशासन और सरकार के नीति उद्देश्यों के अनुरूप, समय-समय पर यथा आवश्यक इन अधिनियमों में संशोधन करने हेतु उत्तरदायी है।

डिस्कॉम (Distribution Companies)

डिस्कॉम विद्युत वितरण कम्पनियाँ हैं।

भारत की विद्युत व्यवस्था को तीन भागो में बाँटा गया है-

1. विद्युत उत्पादन (Power Production)
2. विद्युत संचरण (Power transmission)
3. विद्युत वितरण (Power Distribution)

संभावित प्रश्न

ग्रामीण विद्युतीकरण को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये बहुत ही महत्त्वपूर्ण समझा जाता है। साथ ही ग्रामीण भारत में आर्थिक एवं मानवीय विकास तभी संभव है जब बिजली की आपूर्ति व्यापक हो। इस कथन के सन्दर्भ में बिजली जैसी मानवीय मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ती हेतु सरकार द्वारा क्या पहल किये जाने चाहिए? चर्चा कीजिये। (200 शब्द)

Rural electrification is considered very important for the development of rural areas. Also, economic and human development in rural India is possible only when the power supply is widespread. In the context of this statement, what initiatives should be taken by the government to meet human basic needs like electricity? Discuss.

सर्वोच्च न्यायालय बनाम राज्य निर्वाचन आयोग

14 मई, 2018

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

''हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें उसने पश्चिम बंगाल राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) से पंचायत चुनाव लड़ने के लिए ई-मेल के जरिए दाखिल नामांकन पत्र स्वीकार करने के लिए कहा था।'' इस कथन के संदर्भ में अंग्रेजी समाचार पत्र **'द हिन्दू' और 'इंडियन एक्सप्रेस'** में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे GS World टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

इंडियन एक्सप्रेस

''बंगाल स्थानीय निकाय चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव से प्रेरित मालूम पड़ता है और राज्य चुनाव आयोग को संशोधन करने का एक अवसर भी प्रदान करता है।''

पश्चिम बंगाल में स्थानीय निकायों के चुनावों की विडंबना: राज्य स्थानीय स्व-सरकार में अग्रणी था, फिर भी, दशकों से कोलकाता में पार्टी द्वारा कार्यालय में हिंसा और धमकी के कारण पंचायत चुनाव की वैधता को कमजोर बना दिया गया है। कोलकाता में कार्यालय इस वर्ष भी, 34 प्रतिशत सीटों में केवल तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) उम्मीदवार शामिल थे और राज्य विपक्षी दलों (बीजेपी और सीपीएम) ने राज्य सरकार के कथित अतिसंवेदनशीलताओं के खिलाफ अदालत का रुख किया।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाना (जिसने ईमेल के माध्यम से नामांकन स्वीकार किया) और राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) को टीएमसी के अप्रत्याशित सीटों के नतीजे घोषित न करने का आदेश देना, चतुरता के साथ एक बेहतर राह पर चलने की प्रक्रिया को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट में उच्च न्यायालय के फैसले की अपील करते हुए, एसईसी ने कहा था कि ई-नामांकनों को अनुमति देना अपरिवर्तनीय हानि और क्षति का कारण बनेगा, क्योंकि यह राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार की मशीनरी द्वारा विपक्षी उम्मीदवारों की धमकी पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति को कमजोर बना देगा।

राज्य निर्वाचन आयोग की प्रतिष्ठा को कायम रखते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशीय खंडपीठ ने यह भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया था कि 14.5.2018 होने वाले चुनाव पूर्ण निष्पक्षता के साथ हो।

साथ ही अदालत ने इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया है कि स्थानीय चुनाव सत्ताधारी पार्टी द्वारा शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा बन कर रह गये हैं। हांलाकि, 2013 की तुलना में इस वर्ष चुनावों के दौरान कम हत्याएं हुई हैं, जो बस एक छोटी सांत्वना है, इस तथ्य को देखते हुए कि विपक्ष ने सार्वजनिक स्थान से पीछे हटना शुरू कर दिया है।

डराने धमकाने के पैमाने को इस तथ्य के रूप में देखा जा सकता है कि सीपीएम और बीजेपी राज्य के कुछ क्षेत्रों में टीएमसी की ताकत को कमजोर बनाने हेतु साथ आते हैं, जब पार्टियों के बीच थोड़ा विचारधारात्मक या राजनीतिक संबंध है।

विवादास्पद, असंबद्ध सीटों में घोषणा को छोड़कर, जिसमें सीपीएम का दावा है कि इसके 800 उम्मीदवारों को अपना नामांकन दाखिल करने से रोका गया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी वेक-अप कॉल के रूप में कार्य करना चाहिए।

यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी, पहले पश्चिम बंगाल में कांग्रेस द्वारा और बाद में सीपीएम द्वारा राजनीतिक गतिशीलता को बदलने के बजाय, इसे केवल अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश राज्य सरकार और एसईसी दोनों के लिए एक चेतावनी और अवसर दोनों है।

इन चुनावों को स्पष्ट रूप से देखा जाएगा और इसलिए प्रशासन को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विचलन की अनुमति नहीं देनी चाहिए। न्यायालय ने लोगों के अधिक जुड़े रहने वाले प्रतिनिधियों के लिए कार्यालय का शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने हेतु एसईसी पर अपना विश्वास बनाये रखा है।

द हिन्दू

''सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश कि 34% उम्मीदवारों ने निर्विवाद रूप से चुनाव जीता है, चिंताजनक हैं।''

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) को पंचायत चुनाव के नतीजों को घोषित नहीं करने का आदेश दिया है, जहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने 34% या 16,000 से अधिक सीटों को निर्विरोध जीत लिया है।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में जस्टिस ए.एम. खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ के पीठ ने कहा, याचिकाकर्ता [एसईसी] उन निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में परिणामों को सूचित नहीं करेंगे जहां कोई चुनावी प्रतियोगिता नहीं हुई है।

पीठ ने कहा, 'उच्च न्यायालय के आदेश में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में पढ़ा गया है। उच्च न्यायालय का राज्य निर्वाचन आयोग को ई-मेल के जरिये दायर नामांकन पत्र को स्वीकार करने का निर्देश देना और 34 फीसदी उम्मीदवारों का निर्विरोध जीतना--दोनों बातें चिंताजनक है।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने राज्य मतदान पैनल से 14 मई को शेष सीटों में स्थानीय निकाय चुनाव के साथ आगे बढ़ने को कहा। बेंच ने कहा, निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में चुनाव प्रक्रिया सभी पहलुओं में पूरी की जाएगी और परिणाम कानून के अनुसार अधिसूचित किए जा सकते हैं।

निष्पक्षता की अवधारणा

बेंच ने टिप्पणी की कि राज्य निर्वाचन आयोग और इसके तंत्र यह देखेंगे कि चुनाव पूर्ण निष्पक्षता के साथ हो, जो लोकतंत्र में चुनाव की निष्पक्षता की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए था।

यह आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर आया, जहाँ राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव उम्मीदवारों द्वारा ई-मेल के माध्यम से दायर पंचायत चुनावों के लिए नामांकन पत्र को स्वीकार करने के लिए कहा गया था।

8 मई को, उच्च न्यायालय ने एसईसी को उन सभी उम्मीदवारों के नामांकन स्वीकार करने का निर्देश दिया, जहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) द्वारा याचिका पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी उम्मीदवारी जमा की थी। सीपीआई और बीजेपी दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने विरोध-पत्र दायर की, इस मुद्दे पर किसी आदेश को पारित करने से पहले सुनना चाहते थे।

एसईसी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने उच्च न्यायालय के आदेश का विरोध करते हुए कहा कि प्रति नियमों के अनुसार उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच करने के लिए उम्मीदवारों को नामांकन पत्रों की जांच करनी होगी।

सीपीआई (एम) ने दावा किया कि इसके कई उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोका गया था और इसलिए ई-मेल के माध्यम से अपने दस्तावेज एसईसी को भेजे गए थे। माकपा और भाजपा के वकीलों ने आरोप लगाया कि उनके कई उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने की अनुमति नहीं दी गई। इसकी वजह से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के 34 फीसदी उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत गए।

क्या है मामला?

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के ईमेल से नामांकन दर्ज कराने के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदान 14 मई को ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वो कोर्ट के आदेश के बिना 34 फीसदी उन उम्मीदवारों के नतीजे घोषित नहीं करेगा, जिनके सामने कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं हुआ।

वीवीपीएटी मशीन क्या है और यह कैसे काम करती है?

वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपीएटी एक प्रकार की मशीन होती है, जिसे ईवीएम के साथ जोड़ा जाता है।

यह मशीन वोट डाले जाने की पुष्टि करती है और इससे मतदान की पुष्टि की जा सकती है। इस मशीन को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा डिजाइन किया गया था।

वीवीपीएट के साथ प्रिंटर की तरह का एक उपकरण इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़ा होता है। इसके तहत इसमें मतदाता द्वारा उम्मीदवार के नाम का बटन दबाते ही, उस उम्मीदवार के नाम और राजनीतिक दल के चिन्ह की पर्ची अगले दस सेकेंड में मशीन से बाहर निकल जाती है।

इसके बाद यह एक सुरक्षित बक्से में गिर जाती है। पर्ची एक बार दिखने के बाद ईवीएम से जुड़े कंटेनर में चली जाती है। ईवीएम में लगे शीशे के एक स्क्रीन पर यह पर्ची सात सेकेंड तक दिखती है।

वीवीपीएट का सबसे पहले प्रयोग 2013 में नागालैंड के निर्वाचन में किया गया था।

वीवीपीएटी की मदद से प्रत्येक मत से संबंधित जानकारियों को प्रिंट करके मशीन में स्टोर कर लिया जाता है और विवाद की स्थिति में इस जानकारी की मदद से इन विवादों का निपटारा किया जा सकता है।

चुनावी बॉण्ड

- चुनावी बॉण्ड केवल अधिसूचित बैंकों द्वारा ही जारी किये जा सकेंगे।
- ये बॉण्ड कुछ विशिष्ट मूल्य वर्ग (Specified Denomination) में ही होंगे।
- बॉण्ड को किसी भी रजिस्टर्ड राजनीतिक दल को ही दिया जा सकेगा जिसे वे अपने अकाउंट के माध्यम से मुद्रा में रूपांतरित कर पाएंगे।
- यह बॉण्ड मूलत: एक बीयरर बॉण्ड (Bearer Bond) के रूप में होगा।
- यह एक ऋण सुरक्षा है। चुनावी बॉन्ड का जिक्र सर्वप्रथम वर्ष 2017 के आम बजट में किया गया था।
- दरअसल, यह कहा गया था कि आरबीआई एक प्रकार का बॉन्ड जारी करेगा और जो भी व्यक्ति राजनीतिक पार्टियों को दान देना चाहता है, वह पहले बैंक से बॉन्ड खरीदेगा फिर वह जिस भी राजनैतिक दल को दान देना चाहता है, दान के रूप में बॉन्ड दे सकता है।
- राजनैतिक दल इन चुनावी बॉन्ड की बिक्री अधिकृत बैंक को करेंगे और वैधता अवधि के दौरान राजनैतिक दलों के बैंक खातों में बॉन्ड के खरीद के अनुपात में राशि जमा करा दी जाएगी।
- गौरतलब है कि चुनाव बॉन्ड एक प्रामिसरी नोट की तरह होगा, जिस पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि चुनाव बॉन्ड को चौक या ई-भुगतान के जरिये ही खरीदा जा सकता है।

संबंधित चिंताएँ

कालेधन और भ्रष्टाचार की जड़ समझे जाने वाले राजनीतिक दलों के चंदे में नकदी की सीमा 20 हजार से घटाकर दो हजार करना व चुनाव बांड जारी करना निश्चित रूप से एक महत्त्वपूर्ण सुधार है, लेकिन इससे कुछ चिंताएँ भी जुड़ी हुई हैं। सरकार की योजना ये है कि जो भी व्यक्ति किसी पार्टी को वैध तरीके से अर्जित पैसा देना चाहे वो बैंक जाकर उतनी रकम का चुनावी बांड खरीद लेगा। दरअसल, होगा यह कि-

1. इस चुनावी बांड पर न खरीदने वाले का नाम होगा, न ही उस दल का जिसे बांड दिया जाएगा।
2. राजनैतिक दलों को यह नहीं बताना पड़ेगा कि उन्हें किस व्यक्ति और कंपनी से दान मिला है।
3. राजनैतिक दलों को ये भी नहीं बताना पड़ेगा कि उसे कुल कितनी रकम के बांड मिले हैं।

सरकार इन संशोधनों के माध्यम से चुनाव में पारदर्शिता लाने की बात कर रही है, लेकिन बॉण्ड से चंदा दिये जाने के कारण काले धन के प्रयोग को और अधिक बल मिल सकता है, जिससे स्पष्ट तौर पर पारदर्शिता बाधित होगी।

चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए अन्य उपाय?

- राजनीतिक दलों के लिये नकद योगदान पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिये। गौरतलब है कि नकद रूप में 2000 रुपए से कम चंदा स्वीकार करना अभी भी कानूनी है। अत: नकदी की व्यवस्था खत्म कर देने से न केवल 2,000 रुपए की नकदी सीमा के दुरुपयोग को रोकने में सहायता मिलेगी, बल्कि इससे डिजिटल इंडिया के प्रचलन को भी धक्का नहीं लगेगा।
- पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एस. कृष्णमूर्ति ने सुझाव दिया है कि चुनाव आयोग को बॉण्ड जारी करने की बजाय अवैध धन के उपयोग की रोकथाम के लिये एक राष्ट्रीय चुनाव निधि स्थापित करने पर विचार करना चाहिये। इस निधि को दान करने वाले सभी कॉर्पोरेट को 100% कर छूट मिल सकती है। 1998 में इंद्रजीत गुप्त समिति के द्वारा भी कुछ इसी प्रकार का सुझाव दिया गया था जिसमें सबके लिये राज्य के द्वारा ही वित्त पोषण करने का प्रस्ताव दिया गया था।
- सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सार्वजनिक अधिकारियों के रूप में सभी राजनीतिक दलों को लाना, जिससे चुनाव वित्तपोषण प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

संभावित प्रश्न

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के अलावा लोकतंत्र के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में यह तेजी से देखा गया है कि इसको कैसे पीछे धकेल दिया गया है। इस संबंध में, चुनाव सुधारों के लिए किए कार्यों और इसमें सुधारों की गुंजाइश के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। (250 शब्द)

There is no substitute to free and fair election for a democracy, however in recent years it has increasingly been seen how this has taken backseat. In this light explain nature of electoral reforms that have been undertaken and further scope of reforms. (250 words)

क्या ग्लोबल वार्मिंग को निष्क्रिय करना संभव है?

15 मई, 2018

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) से संबंधित है।

"द हिन्दू"

लेखक - सुजाता बिरवान (वैज्ञानिक)

''दो दशकों से अधिक समय से गहन जलवायु वार्ता के बावजूद निराशा कम नहीं हुई है।''

पेरिस समझौते (पीए) पर प्रगति का यह एक महत्वपूर्ण वर्ष है, जिस पर दिसंबर, 2015 में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP-21) नामक जलवायु बैठक में चर्चा की गई थी। पेरिस समझौता नवंबर 2016 में लागू हुआ। दो सप्ताह की लंबी बैठक हाल ही में बॉन (30 अप्रैल से 10 मई) में संपन्न हुई, जहां पेरिस समझौते लागू करने के लिए परिचालन दिशानिर्देशों पर चर्चा की गई और सभी पार्टियों द्वारा सहमति दी गयी।

इसमें एक आम निरंतर ढांचा यह था कि प्रत्येक देश अपनी प्रतिबद्धताओं को कैसे परिभाषित करेगा और इस सन्दर्भ में किस तरह कार्य करेगा। इसमें कुछ प्रस्तावों को भी शामिल किया गया है कि कैसे कुछ स्तर का लचीलापन प्रदान करते समय कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है और पारदर्शिता को कायम रखा जा सकता है।

यह बैठक यूएनएफसीसीसी कार्यान्वयन के लिए सहायक निकाय (एसबीआई) का 48 वां सत्र है और वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह (एसबीएसटीए) के लिए सहायक निकाय है, जिसे एसबी 48 कहा जाता है। लक्ष्यों की अपर्याप्त प्रगति के साथ, दिसंबर 2018 में केटोवाइस, पोलैंड में सीओपी-24 से पहले बैंकॉक में एक और अंतरिम बैठक प्रस्तावित की गई है। नियम पुस्तिका पर एक अच्छा मसौदा सीओपी से पहले तैयार हो जाना चाहिए।

आदर्श रूप से, ये दिशानिर्देश ऐसी होनी चाहिए जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के अगले स्तर के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य विकसित करने में मदद करे। समृद्ध देशों से धन का एक नियमित और भरोसेमंद प्रवाह भी होना चाहिए ताकि विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई लागू की जा सके। तभी देश दीर्घकालिक विकास के मार्ग के साथ विकसित हो सकते हैं।

बाधाएं-

बॉन मीटिंग में अवरोध का अनुमान लगाया गया था। एनडीसी के मुद्दे पर, सवाल नियम पुस्तिका का दायरा था। विकासशील देश चाहते हैं कि वे न्यूनीकरण लक्ष्य, अनुकूलन और एनडीसी के लिए कार्यान्वयन के साधनों को कवर करें। विकसित या समृद्ध देश चाहते हैं कि नियम पुस्तिका में न्यूनीकरण (ग्रीनहाउस गैसों में कमी) को सीमित किया जाये। लेकिन चूंकि अधिकांश देशों को वार्मिंग दुनिया में अनुकूलन कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है और उन्हें अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को लागू करने के लिए समर्थन की आवश्यकता होती है, इसलिए यह आवश्यक है कि इन्हें भी शामिल किया जाए।

वास्तव में, अधिकांश एनडीसी को उन्हें परिचालित करने के लिए समर्थन की आवश्यकता होती है। 'कार्यान्वयन के साधन' गरीब देशों में क्षमता बनाने के लिए वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के बारे में हैं और हमेशा विवादास्पद रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पर विभिन्न सत्रों और चर्चाओं पर यह मुद्दा हमेशा बाधक बना है।

कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन में, यह सहमति हुई कि 2020 से, अमीर देश हर साल कम से कम 100 अरब डॉलर गरीब और विकासशील देशों को प्रदान करेंगे। लेकिन, इसके बहुत कम संकेत है कि ये फंड उपलब्ध हो पाएंगे। वित्त पर चर्चा करने के बजाये इन्होने दाताओं की संख्या में वृद्धि कैसे करें जो धन प्रदान करेंगे; किन देशों को शायद इन फंडों से बाहर रखा जाना चाहिए और क्या ये फंड आधिकारिक विकास सहायता से अलग हैं, जैसे मुद्दे पर चर्चा की।

यूएनएफसीसीसी की आम लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत के अनुसार, वार्मिंग को सीमित करने के लिए कार्यों को महत्वाकांक्षी बनाने की आवश्यकता है।

अपूर्ण कार्य-

हानि और क्षति (एलएंडडी) से संबंधित मुद्दे वार्ता में एक और राह का रोड़ा हैं। एल एंड डी उन गरीब देशों को सहायता प्रदान करने का माध्यम है जो जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभाव से गुजर रहे हैं, लेकिन वार्मिंग और इसके प्रभावों के लिए जिम्मेदार ग्रीनहाउस गैसों में बहुत कम योगदान दिया है।

कम से कम विकसित देशों और छोटे द्वीपों के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो पहले ही समुद्र स्तर की वृद्धि से एक बड़े संकट का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन कोष में थोड़ी प्रगति हुई थी जिसका प्रयोग एल एंड डी का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है।

प्रतिभागी किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक समझौते पर नहीं आ सकते थे और इस प्रकार पेरिस समझौता के पूर्ण कार्यान्वयन के मार्गदर्शन के लिए एक मसौदा दस्तावेज तैयार नहीं किया गया। कुछ टिप्पणीकारों ने कहा है कि चर्चाओं की गति धीमी थी और तत्काल आवश्यकता की अनुपस्थिति थी।

दो दशकों से अधिक समय से गहन जलवायु वार्ता के बावजूद सभी पक्षों पर अनुभवी वार्ताकारों की बढ़ती निराशा को देखते हुए, ऐसा लगता है कि युवाओं पर, विशेष रूप से समृद्ध देशों में दबाव महत्वपूर्ण है। जब तक वे सरकारों और कार्यान्वयन के साधनों के लिए न्यूनीकरण, अनुकूलन और समर्थन की दिशा में अपने देश की जिम्मेदारियों को याद नहीं करते, मानव जाति के लिए उचित रूप से सुरक्षित स्तर के तहत ग्लोबल वार्मिंग से निपटना असंभव है।

ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने हेतु उपलब्ध विकल्प

- ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने हेतु पिछले कुछ समय से बहुत से विकल्पों के संदर्भ में विचार किया जा रहा है। इन्हीं विकल्पों में से एक विकल्प यह भी है कि या तो किसी खुले स्थान पर बहुत से छोटे-छोटे परावर्तक दर्पण या फिर एक बहुत बड़े परावर्तक दर्पण (reflectors giant mirrors) को स्थापित किया जाना चाहिये, ताकि पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाली सौर विकिरणों को पुन: परावर्तित किया जा सके।
- सौर विकिरणों के एक हिस्से को पृथ्वी पर पहुँचने से पहले रोकने का लाभ यह होगा कि इससे पृथ्वी के तापमान में कमी लाने में सहायता प्राप्त होगी।
- इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे व्यापक विचारों में जिस विकल्प के संदर्भ में सबसे अधिक विचार किया जा रहा है, वह स्ट्रेटोस्फियर (stratosphere) में सल्फेट एयरोसोल (sulphate aerosols) के कणों को अंत:क्षेपित (Inject) करने का विकल्प है।
- देखा जाये तो, सल्फेट एयरोसोल के कण सूर्य के प्रकाश के बहुत अच्छे परावर्तक होते हैं। इसके संबंध में बहुत से जलवायुवीय मॉडलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यदि 1 फीसदी सौर विकिरण को भी वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर दिया जाता है तो एक बहुत बड़ी मात्रा में पृथ्वी के तापमान को बादल से रोका जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त, पृथ्वी के तापमान में तत्काल कमी लाने के संदर्भ में उच्च तुंगता वाले बादलों (जो कि पृथ्वी की सतह से करीबन 10 किमी. की ऊँचाई पर स्थित होते हैं) की मात्रा में कमी करना, एक अन्य प्रभावकारी विकल्प है। इन बादलों को पक्षाभी बदल कहा जाता है।
- वस्तुत: ये बर्फ के कणों से बने होते हैं। कार्बन डाईऑक्साइड की भाँति ये बादल भी ग्रीन हाउस गैसों के धारक होते हैं।
- ये सौर विकिरणों को बिना किसी व्यवधान के सीधे पृथ्वी की सतह तक पहुँचने में सहायता प्रदान करते हैं। परंतु पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाली उच्च तरंगदैर्ध्य अवरक्त विकिरणों को रोक लेते हैं जोकि तापमान में वृद्धि करने का अहम कारण साबित होती हैं ।
- यदि इन बादलों को तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से कम कर दिया जाता है तो यह पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाली उच्च तरंगदैर्ध्य अवरक्त विकिरणों को सीधे अंतरिक्ष में जाने देंगे, जिससे पृथ्वी के तापमान में आश्चर्यजनक कमी आ सकती है।

बॉन सम्मेलन

पृष्ठभूमि

- वर्ष 1992 में 'रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन' (Rio Earth Summit) में तीन सम्मेलन स्वीकार किए गए।
- ये अभिसमय थे-जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय, संयुक्त राष्ट्र जैवविविधता अभिसमय और मरुस्थलीकरण का सामना करने हेतु सम्मेलन।
- 21 मार्च, 1994 को 'जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन (UNFCCC) प्रभावी हुआ।
- जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकना यूएनएफसीसीसी का मुख्य लक्ष्य है।
- 197 देश, जिन्होंने सम्मेलन की अभिपुष्टि की है उन्हें 'सम्मेलन का पक्षकार' कहा जाता है।
- पक्षकारों का सम्मेलन यूएनएफसीसीसी का सर्वोच्च निर्णयन निकाय है जिसका प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है।

सम्मेलन के प्रमुख परिणाम

- **तलानोआ से दुनिया को बचाने की कवायद :** तलानोआ के जरिए पैरिस समझौते को 2020 में लागू होने से पहले सभी देश मिलकर बातचीत करेंगे। तलनोआ एक किस्म की कबीलाई पंचायत है। यह दो हिस्सों में होगा। पहला तैयारी के स्तर पर और दूसरा राजनीतिक सहमति बनाने के लिए। जिसके परिणामस्वरूप 2020 में एनडीसी (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान) के अगले दौर को निर्धारित किया जाएगा।
- **वर्ष 2020 के पूर्व की कार्रवाई :** जलवायु सम्मेलन में विकासशील देशों ने पैरिस समझौते से जुड़े कार्यों को 2020 से पूर्व प्रचारित करने पर अन्य देशों की सहमति हासिल की है। इसके अंतर्गत वर्ष 2018 और 2019 में दो स्टॉकटेक होंगे, जिसमें इनके नियमों को प्रचारित किया जाएगा।
- **कृषि पर प्रभाव :** सम्मेलन में तय हुआ कि कॉप-26 के लिए सभी देश जलवायु परितवर्तन से कृषि में पड़ने वाले प्रभावों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, यह सभी देशों के लिए अनिवार्य होगी। इसमें मिट्टी के स्वास्थ्य और उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए अनुकूलन मूल्यांकन विधियों पर बात होगी।
- **महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की योजना :** कॉप-23 में आयोजित लीमा वर्क कार्यक्रम के बाद निर्णय लिया गया कि 2019 में होने वाले जलवायु सम्मेलन के लिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए।
- स्वदेशी लोगों के लिए मंच: अप्रैल-मई 2018 में होने वाली इंटर कोप के लिए तय हुआ है कि पैरिस समझौते के कार्यान्वयन में स्वदेशी लोगों की आवाज को शामिल करने के लिए मंच मुहैया करवाया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग लोगों को शिक्षित करने, क्षमता बनाने और अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय जलवायु क्रिया नीतियों के बारे में जागरूक किया जाएगा।

क्यों महत्त्वपूर्ण है बॉन सम्मलेन?

- अमेरिका जैसे देश का पेरिस समझौते से बाहर हो जाना स्वाभाविक तौर पर बहुत बड़ा झटका है। हालाँकि बॉन सम्मलेन में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि अमेरिका की अनुपस्थिति जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों से समझौता करने का कारण नहीं बन सकती।
- दरअसल, जलवायु परिवर्तन से जुड़े इन सम्मेलनों से अब तक बहुत कुछ हासिल किया गया है। 1992 में रियो में हुए पहले सम्मेलन के बाद से दुनिया में अब तक कार्बन उत्सर्जन घटाने की दिशा में ठीक-ठाक प्रगति हुई है।

- बॉन सम्मेलन को सर्वाधिक उपस्थिति वाला कॉप सम्मेलन माना जा रहा है। ऐसा इसलिये कि अब निजी क्षेत्र, स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारों के प्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। COP सम्मेलनों ने अप्रत्यक्ष ढंग से तमाम सेक्टरों के लिये रास्ते खोले हैं।
- कार्बन उत्सर्जन की समस्या का निदान उत्सर्जन कम करते हुए हरित तकनीकों को बढ़ावा देने से हो सकता है, जिसके लिये विकासशील देशों को मजबूत वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी और बॉन सम्मलेन में इसकी पहचान करनी होगी।

क्या है पेरिस समझौता?

- यदि कम शब्दों में कहा जाए तो पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।
- वर्ष 2015 में 30 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक 195 देशों की सरकारों के प्रतिनिधियों ने पेरिस में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये संभावित नए वैश्विक समझौते पर चर्चा की।
- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य के साथ संपन्न 32 पृष्ठों एवं 29 लेखों वाले पेरिस समझौते को ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिये एक ऐतिहासिक समझौते के रूप में मान्यता प्राप्त है।

पेरिस समझौते में तय लक्ष्य

- पेरिस समझौते का मुख्य उद्देश्य वैश्विक औसत तापमान को इस सदी के अंत तक औद्योगिकीकरण के पूर्व के समय के तापमान के स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होने देना है।
- पेरिस समझौता मूलत: मानवीय गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा को सीमित करने पर आधारित है। साथ ही, यह समझौता उत्सर्जन को कम करने के लिये प्रत्येक देश के योगदान की समीक्षा करने की आवश्यकता का उल्लेख भी करता है।
- इसके अंतर्गत ही राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contribution) की संकल्पना को प्रस्तावित किया गया है और प्रत्येक राष्ट्र से यह अपेक्षा की गई है कि वह ऐच्छिक तौर पर अपने लिये उत्सर्जन के लक्ष्यों का निर्धारण करे।
- पेरिस समझौते में प्रावधान है कि विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये गरीब देशों को 'जलवायु वित्त' (Climate Finance) प्रदान करके सहायता करनी चाहिये।
- यद्यपि समझौते में रिपोर्टिंग की आवश्यकता जैसे कुछ बाध्यकारी तत्त्व हैं, परन्तु समझौते का अन्य महत्त्वपूर्ण पक्ष जैसे उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करना, बाध्यकारी नहीं है।

क्यों महत्त्वपूर्ण है पेरिस समझौता?

- ग्रीनहाउस गैस-उत्सर्जन से संबंधित वर्तमान प्रतिबद्धता (क्योटो प्रोटोकॉल) 2020 में समाप्त हो जाएगी। अत: पेरिस समझौते से ही तय होगा कि वर्ष 2020 के बाद क्या किया जाना चाहिये।
- भारत ने अपनी उत्सर्जन तीव्रता को कम करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिये कृषि, जल संसाधन, तटीय क्षेत्रों, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन के मोर्चे पर भारी निवेश की जरूरत है और इसके लिये समझौते में प्रावधान किया गया है कि विकसित देश अपने विकासशील समकक्षों को सालाना 100 बिलियन डॉलर देंगे।
- पेरिस समझौता भारत के लिये इस संदर्भ में महत्त्वपूर्ण है कि यहाँ भारत विकासशील और विकसित देशों के बीच अंतर स्थापित करने में कामयाब रहा है।
- हालाँकि यही वे बिंदु हैं जिनका हवाला देते हुए अमेरिका खुद को पेरिस समझौते से अलग करने की घोषणा कर चुका है।

पेरिस समझौते का आलोचनात्मक पक्ष

- संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि सभी देशों द्वारा कार्बन उत्सर्जन में कटौती के दावों को पूरा कर लिया जाता है तो भी, वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखने के लक्ष्य को पूरा करना संभव नहीं होगा।
- समझौते के अधिकांश प्रावधान 'वादे' तथा गैर-बाध्यकारी लक्ष्यों पर आधारित हैं, जबकि जरूरत दृढ़ प्रतिबद्धताओं की है।
- उत्सर्जन कटौती कम करने का एक मात्र जरिया देशों का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contribution, NDC) ही है। अत: वैश्विक बाध्यकारी नियमों के बिना उत्सर्जन में कटौती एक दुष्कर कार्य होगा।
- भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (India's Nationally Determined Contribution)।
- भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contribution, NDC) के तहत वर्ष 2030 तक अपनी उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के मुकाबले 33-35 फीसदी तक कम करने का लक्ष्य रखा है।
- भारत ने वृक्षारोपण और वन क्षेत्र में वृद्धि के माध्यम से 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन CO_2 के बराबर कार्बन सिंक बनाने का वादा किया है।
- भारत कर्क और मकर रेखा के बीच अवस्थित सभी देशों के एक वैश्विक सौर गठबंधन के मुखिया (anchor of a global solar alliance) के तौर पर कार्य करेगा।

संभावित प्रश्न

वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन एवं उससे उत्पन्न संकट विश्व के समक्ष प्रमुख चुनौती है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु किये गए अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए गए महत्त्वपूर्ण निर्णयों का विश्लेषण कीजिये।

(250 शब्द)

Climate change and the crisis that arises in the present time is a major challenge before the world. In view of the international efforts made to reduce global warming, analyze the important decisions taken by the Government of India in this direction.

(250 Words)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।।। (भारतीय अर्थव्यस्था) से संबंधित है।

"द हिन्दू"

लेखक - अरुण कुमार (प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज)

''समस्या रोजगार के तहत है। जब तक अवशिष्ट-नियोजितों को अनौपचारिक क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में स्थानांतरित नहीं किया जाता, तब तक इसे हल नहीं किया जा सकता।''

जनवरी के एक आलेख में, सौम्य कांती घोष और पुलक घोष ने दावा किया था कि औपचारिक क्षेत्र में सात मिलियन नए रोजगार का निर्माण हुआ हैं। उनका दावा कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ), राष्ट्रीय पेंशन योजना और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत पंजीकरण में वृद्धि पर आधारित था। सरकार और सत्तारूढ़ दल अब इस आंकड़े को व्यापक रूप से उद्धृत कर रहे हैं।

हांलाकि, नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने इन आंकड़ों को थोड़ा कम कर दिया था, लेकिन साथ ही में उन्होंने यह भी कहा था कि मुद्रा योजना द्वारा टैक्सी और ई-कॉमर्स से संबंधित उद्यमों में स्व-रोजगार के माध्यम से 36 मिलियन रोजगार का निर्माण हुआ हैं।

इनके द्वारा दिया गया यह बयान जीएसटी और विमुद्रीकरण के दोहरे झटके के परिणामस्वरूप कई रोजगारों को हुए नुकसान के तथ्य को झुठलाता है। इसके अलावा, मनरेगा योजना के तहत रोजगार तलाशने के लिए शहरों से ग्रामीण इलाकों में प्रवास करने वाले श्रमिकों और श्रमिकों की कमी और युवाओं को अपने कौशल के अनुरूप रोजगार नहीं मिलने की कई रिपोर्टें मौजूद है।

सामाजिक सुरक्षा के बिना, भारत में कुछ ही ऐसे होंगे जो बेरोजगार की समस्या को झेल सकते हैं। अक्सर जिन लोगों को औपचारिक रोजगार नहीं मिलता है, उनके पास बोझा ढ़ोने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है। इसलिए, हिस्सेदारी पर मुद्दा रोजगार के अधीन है। यदि रोजगार में सात मिलियन की वृद्धि हुई है, तो फिर अनौपचारिक क्षेत्र के रोजगार में गिरावट क्यों आई? यदि टैक्सी एग्रीगेटर्स नौकरियों की पेशकश कर रहे हैं, तो क्या ये पारंपरिक टैक्सी ड्राइवरों और निजी ड्राइवरों की कीमत पर हैं?

औपचारिक क्षेत्र में लगभग 50 मिलियन के आधार पर सात मिलियन नई नौकरियां 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हैं। लेकिन क्या इसकी संभावना है वो भी तब, जब जीएसटी के कार्यान्वयन और विमुद्रीकरण के बाद अर्थव्यवस्था की विकास दर कम हो गई थी?

अब सवाल उठता है कि ईपीएफ पंजीकरण में तेज वृद्धि क्यों दिखाई दे रही है? इसकी दो संभावनाएं हैं। पहला, यह कुछ विशेष कारणों से एकबारगी वृद्धि है। दूसरा, यह एक प्रवृत्ति है। लेकिन, फिर एक सवाल और उठता है कि औपचारिक क्षेत्र में कुल रोजगार केवल 50 मिलियन ही कैसे है? देखा जाये, तो 14 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ, 5.2 साल में रोजगार दोगुना हो जाएगा।

सार्वजनिक क्षेत्र का रोजगार लगभग 20 मिलियन पर स्थिर रहा है। इसलिए, निजी औपचारिक क्षेत्र में सात मिलियन की वृद्धि बड़े पैमाने पर हुई होगी। यह 3.5 वर्षों में रोजगार दोगुना होने के साथ लगभग 23 प्रतिशत की वृद्धि दर देगा और युवाओं के लिए उनके कौशल के अनुरूप नौकरियों की कोई कमी नहीं होगी।

ईपीएफओ पंजीकरण में वृद्धि के बारे में दो कारक बता सकते हैं। सबसे पहला, केवल नियोक्ता जिनके रोल पर 20 से अधिक कर्मचारी थे, उन्हें ईपीएफओ के तहत पंजीकरण करने की आवश्यकता थी। 2016 में, यह 10 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले नियोक्ताओं के लिए बदल दिया गया।

चूंकि भारत में, अधिकांश कंपनियां 20 से कम कर्मचारियों को रोजगार देती हैं, नामांकन के पात्र लोगों की संख्या में वृद्धि होगी। इसलिए, यह अनौपचारिक से औपचारिक रोजगार के लिए एक निश्चित बदलाव है, जो कुल रोजगार में वृद्धि का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

दूसरा कारक 2018-19 के केंद्रीय बजट में निहित है। सरकार पिछले तीन सालों से कर्मचारी भविष्य निधि में नामांकन को प्रोत्साहित कर रही है। इसने तीन साल तक सरकार द्वारा नए कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का 8.33 प्रतिशत योगदान देनेष जैसे रियायतों की पेशकश की है। इसने यह भी वादा किया है, कपड़ा, चमड़े और जूते जैसे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने वाले क्षेत्रों में सरकार द्वारा तीन वर्षों के लिए नए कर्मचारियों के लिए 12 प्रतिशत ईपीएफ का योगदान दिया जायेगा।

इसके अलावा, अन्य रियायतें भी शामिल हैं जिसमें, 'आयकर अधिनियम के तहत नए कर्मचारियों के लिए भुगतान किये गये वेतन का 30 प्रतिशत नियोक्ता को अतिरिक्त कटौती प्रदान की गयी है।' अब इन रियायतों को एक बार फिर से तीन वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार, यह फर्मों को नए कर्मचारियों को रोजगार देने और उन्हें ईपीएफ के तहत पंजीकृत करने पर अत्यधिक लाभ देगा।

संगठित क्षेत्र सीधे तौर पर लोगों को भर्ती नहीं कर रहा है। यह तेजी से अनुबंध पर श्रम देने का कार्य कर रहा है। जो ऐसा प्रतीत होता है कि असंगठित क्षेत्र द्वारा इस तरह से अनुबंध पर श्रम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि सरकार द्वारा दी गई रियायतों के कारण यह ईपीएफ के तहत पंजीकृत हो रहा है।

चूंकि रियायतें नए कर्मचारियों के लिए हैं, इसलिए यह संभव है कि पुराने कर्मचारियों को नए लोगों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है और नामांकित किया जा रहा है। यदि पुराने कर्मचारी ईपीएफ रोल पर रहते हैं, तो संख्या नए रोजगार के बिना भी बढ़ेगी। कई विश्लेषकों ने ईपीएफ डेटा में व्याप्त खामियों को इंगित किया है।

दावा किया जाता है कि जितने भी 25 साल से कम उम्र है; वे पहली बार काम कर रहे होते हैं। कक्षा 12 तक पहुंचने से पहले स्कूल से बाहर निकलने वाले ज्यादातर गरीब लोग काम करना शुरू कर देते हैं। प्रासंगिक आयु समूह (18-25) का केवल 26 प्रतिशत ही उच्च शिक्षा में नामांकित है। बाकि बचे हुए 15 साल की उम्र से पहले भी कार्यबल में शामिल हों जाते हैं। पंद्रह साल पहले, जनसंख्या में लगभग 22 मिलियन शामिल हुए थे और अब संभावित रूप से रोजगार की तलाश में होंगे।

लेकिन, यदि कुछ उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं और 75 प्रतिशत महिलाएं इस संख्या से हटा दी जाती हैं, तो नौकरी तलाशने वालों में आज लगभग 12 मिलियन अकुशल युवा शामिल होंगे और 3 मिलियन उच्च डिग्री के साथ होंगे। इन 15 मिलियन में से अधिकांश असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं, हालांकि कुछ अप्रत्यक्ष रूप से संगठित क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। जिन्हें अब नई योजना के तहत गिना जा सकता है।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा यह दावा करना की मुद्रा योजना के तहत बहुत रोजगार दिए गये है, वे केवल इस योजना के तहत दिए गये ऋण (45,000 रुपये) का औसत आकार है। एक औसत माइक्रो यूनिट 25 लाख रुपये से कम की पूंजी वाले 1.7 व्यक्तियों को रोजगार देती है। ऋण इकाई के पूंजीगत आधार को मजबूत कर सकता है, लेकिन शायद ही कोई नए रोजगार का निर्माण करेगा।

GS World टीम...

बेरोजगारी के मापन की विधियाँ

- **सामान्य स्थिति बेरोजगारी (Usual Status Unemployment)** : इस स्थिति में व्यक्ति को बेरोजगार तब माना जाता है, जब वह वर्ष के व्यस्त भाग अर्थात् 183 दिनों के लिये काम करना चाहता है और उसे 183 दिनों का भी रोजगार न मिले।
- **प्रचलित साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी (Current Weekly Status Unemployment)** : इस स्थिति के अंतर्गत उस व्यक्ति को बेरोजगार कहा जाता है, जो एक सप्ताह में एक घंटे के लिये भी काम पाने में असफल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन (ILO) जैसे निकाय रोजगार और बेरोजगारी के अध्ययन के लिये इसे ही आधार बनाते हैं।
- **प्रचलित दैनिक स्थिति बेरोजगारी (current daily status unemployment)** : इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को एक दिन में चार घंटे का काम उपलब्ध हो तो इसे आधे दिन का रोजगार माना जाता है। यह बेरोजगारी मापन की सबसे उपयुक्त विधि है।

भारत में बेरोजगारी की प्रवृत्ति

भारत में बेरोजगारी से संबंधित प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं-

- ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी का विस्तार अधिक है।
- पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में बेरोजगारी की दर अधिक है।
- कुल बेरोजगारी में शैक्षणिक बेरोजगारी का विस्तार अधिक है।
- अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी अधिक है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी निम्नलिखित तीन व्यापक रूपों में दिखाई देती है।

- **खुली और दीर्घकालिक बेरोजगारी** : कृषि क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों का एक बड़ा समूह कृषि कार्य करके जीवन-निर्वाह करता है। आज भी भारत के अविकसित कृषि क्षेत्रों में जनसंख्या के भारी दबाव के कारण बहुत से लोग रोजगार पाने में असफल रहते हैं और इस प्रकार दीर्घकालिक बेरोजगारी के शिकार रहते हैं।
- **मौसमी बेरोजगारी** : भारत में कृषि का मौसमी स्वरूप है। फसलों की बुआई एवं कटाई के समय लोगों को काम मिल जाता है और रोजगार की दर उच्च हो जाती है लेकिन बुआई और कटाई के बीच के समय में लोगों के पास कोई काम नहीं होता है और इस तरह वे बेरोजगार रह जाते हैं। बहुत से ग्रामीण उद्योग जैसे- चीनी मिलें, चावल और कपास उत्पादक इकाइयाँ इत्यादि कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण पर निर्भर हैं, अत: ये भी मौसमी रोजगार ही उपलब्ध करा पाते हैं।
- **प्रच्छन्न बेरोजगारी** : बेरोजगारी का यह ऐसा रूप है, जिसमें व्यक्ति स्वयं को बेरोजगार महसूस नहीं करते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से वे बेरोजगार ही होते हैं। भारत में भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। अत: प्रति व्यक्ति उत्पादकता घटती जाती है। ऐसी स्थिति जिसमें बड़े पैमाने पर श्रमिकों की उत्पादकता शून्य है अर्थात् उनका कार्य, कोई अतिरिक्त उत्पादन नहीं करता है। यदि उन्हें कृषि कार्य से हटा दिया जाए तो इस प्रकार की बेरोजगारी, प्रच्छन्न (छिपी) बेरोजगारी कहलाती है। इस बेरोजगारी का प्रमुख कारण जनसंख्या के बढ़ते दबाव के साथ वैकल्पिक रोजगार की अनुपलब्धता है।

शहरी क्षेत्रों में भी व्यापक पैमाने पर बेरोजगारी है, जिसमें निम्न प्रमुख हैं-

- **औद्योगिक श्रमिकों में बेरोजगारी** : औद्योगिक विकास की प्रक्रिया पर्याप्त रूप से इतनी तीव्र नहीं हो पाई है कि ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवासित समस्त श्रम इनमें समायोजित हो सके। औद्योगिक विस्तार का तरीका मुख्यत: पूंजी-गहन तकनीक (श्रम-बचत तकनीक) पर आधारित है। इस प्रकार की तकनीक द्वारा औद्योगिक उत्पादन में तो तीव्र वृद्धि हो सकती है, लेकिन रोजगार के अवसरों में नहीं। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग रोजगार की तलाश में अधिकांश शहरी औद्योगिक केंद्रों की तरफ आए हैं, वे रोजगार पाने में असफल रह जाते हैं और इस प्रकार औद्योगिक श्रमिकों के मध्य बेरोजगारी में वृद्धि हो जाती है।
- **शहरी शिक्षितों के मध्य बेरोजगारी** : विद्यालय एवं विश्वविद्यालयी स्तरों पर शहरी क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधाओं में विस्तार और सामाजिक प्रतिष्ठा जो कि शिक्षा से आती है तथा शिक्षण संस्थाओं में नामांकन वृद्धि ने बढ़ती हुई चेतना को त्वरित रूप से बढ़ा दिया है। प्रतिवर्ष ऐसे लाखों स्नातक निकल रहे हैं, जो श्रम बाजार में प्रवेश तो कर जाते हैं, लेकिन इनकी शिक्षा रोजगारोन्मुख नहीं होने के कारण योग्यतानुसार रोजगार प्राप्ति में प्रोत्साहित नहीं कर पाती है।
- **तकनीकी बेरोजगारी** : तकनीकी परिवर्तन सभी क्षेत्रों में तेजी से परिवर्तन लाता है। जो लोग परंपरागत तकनीकों का प्रयोग कर रहे थे, वे उद्योग, परिवहन एवं अन्य क्षेत्रों में अत्याधुनिक तकनीक के आने से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाने से बेरोजगार हो जाते हैं।
- शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में युवाओं के मध्य बेरोजगारी उच्चतम शिखर पर है। यदि इनको रोजगार दिया जाता है, तो राष्ट्रीय आय में इनका योगदान (अंश) उच्च हो सकता है। यदि इस आयु समूह के लोग अधिक समय के लिये बेरोजगार रह जाते हैं तो ये सामाजिक तनाव का कारण बन सकते हैं, अत: इस समस्या पर ध्यान देने की जरूरत है।

नोट-

भारत में बेरोजगारी का मापन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा किया जाता है।

* * *

संभावित प्रश्न

शिक्षित लोगों के बीच बेरोजगारी दर न केवल अशिक्षित की तुलना में अधिक है, बल्कि यह शिक्षा के उच्च स्तर के साथ भी बढ़ रहा है। इस कथन का विश्लेषण करते हुए भारत में शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारी दोनों को कम करने के उपायों का भी सुझाव दे। **(250 शब्द)**

The unemployment rate among the educated is not only higher compared to the uneducated; it also increases with higher levels of education. Examine why. Also suggest measures to reduce both educated and uneducated unemployment in India. **(250 Words)**

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) से संबंधित है।

"द हिन्दू"

लेखक - ऋत्विक दत्ता (पर्यावरण वकील)

"मसौदा वन नीति, 2018 वनों के संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से छुटकारा पाने का एक प्रयास है।"

मसौदा वन नीति, 2018, जिसे मार्च में सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया गया था, ने प्राकृतिक वनों के परिरक्षण और संरक्षण के माध्यम से पर्यावरण स्थिरता और जैव विविधता के संरक्षण का रख-रखाव का वादा करता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या पिछले 30 वर्षों में इतना कुछ बदल गया है जिसके कारण अब नयी नीति की आवश्यकता हो रही है?

मौजूदा नीति की प्रासंगिकता

उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर वन संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निहित है। वर्ष 2006 में, अदालत ने कहा था कि मौजूदा राष्ट्रीय वन नीति (एनएफपी), 1988 में 'सांविधिक स्वाद' है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे लाफार्ज उमियम माइनिंग (पी) लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया [(2011) 7 एससीसी 388] के मामले में दोहराया था, जिसमें कहा गया था कि इस अदालत के लिए यह समय आ गया है कि वह एनएफपी, 1988 जो दूरगामी सिद्धांतों को बताता है, जरूरी है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत अनुमतियों के अनुदान को नियंत्रित करे।

इस प्रकार, पहली बार सरकार को खनन, सड़कों और भव्य बांधों के निर्माण जैसी गतिविधियों के लिए वनों की कटाई के लिए मंजूरी देने पर विचार करते हुए एनएफपी, 1988 के प्रावधानों पर विचार करने के लिए बाध्य किया गया था।

मौजूदा एनएफपी में सबसे मजबूत प्रावधानों में से एक गैर वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि के क्षरण पर प्रतिबंधों के संबंध में है। नीति के अनुसार, 'किसी भी गैर-वन उद्देश्य के लिए वन भूमि का क्षरण सामाजिक और पर्यावरणीय लागत और लाभ के दृष्टिकोण से विशेषज्ञों द्वारा सबसे सावधानीपूर्वक जाँच के अधीन होना चाहिए (4.4.1)।'

मंजूरी देने से पहले 'विशेषज्ञों द्वारा सबसे सावधानीपूर्वक जाँच' और 'लागत और लाभ' की आवश्यकता मंजूरी देने से पहले की पूर्व शर्त है। इसके अलावा, नीति यह भी कहती है कि 'उष्णकटिबंधीय वर्षा/आर्द्र वन, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे क्षेत्रों में, पूरी तरह से संरक्षित किया जाना चाहिए (4.3.1)।'

पिछले कुछ वर्षों में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दी गई वन कटाई के आदेश को प्रभावित और संबंधित व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने चुनौती दी गई है। मंत्रालय के लिए ट्रिब्यूनल को स्पष्टीकरण देना काफी कठिन रहा कि पश्चिमी घाटों में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों और पूर्वोत्तर और अन्य क्षेत्र, जिसे वन नीति के संदर्भ में 'पूरी तरह से संरक्षित' होना है, को कैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील स्थानों में परिवर्तित होने की अनुमति दी गई है। संबंधित समूहों ने इस तरीके के बारे में सवाल उठाए हैं कि किस तरह से लागत-लाभ विश्लेषण किए गए हैं और विशेषज्ञों द्वारा 'विस्तृत जांच' कैसे की गई थी।

वन क्षरण के संबंध में ये विशिष्ट प्रावधान है जो सरकार के लिए सर दर्द बन गई है, जिसे एनएफपी, 1988 के तहत प्रतिबंधों के सन्दर्भ में वन क्षरण को न्यायसंगत बनाना मुश्किल हो रहा है।

इसलिए, गंभीर चिंता का विषय यह है कि इस वर्ष जारी किये गये मसौदा नीति ने वन भूमि के क्षरण के लिए सुरक्षा उपायों पर अनुभाग को पूरी तरह से हटा दिया है। वास्तव में, जहां तक वन भूमि का संबंध है यह वन क्षरण को खतरे के रूप में नहीं मानता है।

मसौदा नीति के तहत वन भूमि के क्षरण से पहले, लागत-लाभ विश्लेषण की कोई आवश्यकता नहीं है; विशेषज्ञों द्वारा कोई परीक्षा नहीं; विकल्पों की कोई आवश्यकता नहीं; और इस तथ्य का कोई जिक्र नहीं है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार जंगल के साथ-साथ अरुणाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में जंगलों को 'पूरी तरह से संरक्षित' किया जाना चाहिए।

विशेषज्ञों के बजाय, वानिकी के लिए केंद्रीय और राज्य बोर्डों पर विचार किया गया है, जिनकी अध्यक्षता 'वन प्रक्रियाओं' को सुनिश्चित करने के लिए एक विशिष्ट जनादेश के साथ संबंधित वन मंत्रियों द्वारा की जाती है।

सामान्य धारणा के विपरीत, एक नई वन नीति के लिए असली उद्देश्य वाणिज्यिक बागानों को प्रोत्साहित करना, समुदायों के अधिकारों को कमजोर करना (जो कानून के तहत संरक्षित हैं) या जलवायु परिवर्तन को कम करना और लकड़ी के उपयोग को प्रोत्साहित करना नहीं है।

सरल शब्दों में कहें तो इसका मुख्य उद्देश्य, विभिन्न गैर-वन प्रयोजनों जैसे खनन, सड़कों और बांधों के लिए वन विस्तृत भूमि और त्वरित जांच के बिना वन भूमि की तेजी से क्षरण को रोकना है। मसौदा नीति लाफार्ज में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नाकाम करने की कोशिश के अलावा कुछ भी नहीं है।

भारत को उन कार्यक्रमों की समीक्षा करनी चाहिए जिनसे वे जंगलों को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं और कई राज्यों में खासकर वन विकास निगमों द्वारा मॉनोकल्चर बागानों के पक्ष को दूर करना चाहिए। यहाँ वास्तविक प्रकृति को वापस लाने के लिए वैज्ञानिक सुधारों की जरूरत है।

भारत, जो एक उभरती अर्थव्यवस्था है, को अपनी आर्थिक अनिवार्यताओं का विस्तार करना चाहिए, साथ ही अपने कार्बन फूट प्रिंट को सीमित करते हुए और पेरिस समझौते में किए गए अपने वादे का पालन करते हुए अपने जैव-संसाधनों को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।

* * *

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मसौदा वन नीति, 2018 जारी की गई थी। इस नीति को मुख्यत: पुरानी नीतियों में रह गई खामियों और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नए प्रावधानों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
- देखा जाये तो, भारत विभिन्न प्रकार के वनों के साथ दुनिया में अत्यधिक विविधता वाले देशों में से एक है और देश का लगभग 20 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है।

नई मसौदा नीति की आवश्यकता क्यों?

- इसे वर्तमान और भावी पीढ़ी की पारिस्थितिक और आजीविका संबंधी सुरक्षा के संरक्षण हेतु लाया गया है।
- पारिस्थितिकी सुरक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने के लिये देश के कुल भू-क्षेत्र के कम-से-कम एक-तिहाई भाग पर वन और वृक्ष आच्छादन की आवश्यकता है।
- देश के 25 करोड़ लोगों को वनों से जलावन लकड़ी, चारा, बाँस जैसे वन उत्पादों की प्राप्ति होती है जो इनकी आजीविका के प्रमुख स्रोत हैं। अत: वनों के प्रभावी संरक्षण की सख्त आवश्यकता है।
- बदलती पर्यावरणीय दशाओं को देखते हुए पूववर्ती नीति में बदलाव आवश्यक थे।
- कार्बन स्थिरीकरण और जैव-विविधता में वनों का योगदान अति महत्त्वपूर्ण है जो इनके संरक्षण हेतु नीति निर्माण की महत्ता को दर्शाता है।

मसौदा वन नीति, 2018 के प्रमुख दिशा-निर्देश

- प्राकृतिक वनों के परिरक्षण और संरक्षण के माध्यम से पर्यावरण स्थिरता और जैव विविधता के संरक्षण का रख-रखाव।
- वनों की प्राकृतिक रूपरेखा से समझौता किये बिना इनके क्षरण को रोकना।
- पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं द्वारा लोगों की आजीविका में सुधार करना।
- वानिकी से संबंधित राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित योगदान लक्ष्यों (एनडीसी) की प्राप्ति में योगदान देना।
- नदियों के जलभराव क्षेत्रों और आर्द्रभूमि क्षेत्रों में एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन तकनीकों और कार्यों द्वारा अनाच्छादन तथा मृदा अपरदन को रोकना।
- भूमिगत जल-भंडारों के पुन: भरण और सतही जल के विनियमन से जलापूर्ति बढ़ाना ताकि वनों की मृदा और वनस्पति की सेहत अच्छी बनी रहे।
- गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिये वनों की भूमि के परिवर्तन को नियंत्रित करना और भूमि परिवर्तन संबंधी शर्तों के अनुपालन हेतु कड़ी निगरानी रखना।
- वनरोपण एवं पुनर्वनीकरण द्वारा देश भर में खासकर सभी अनाच्छादित एवं निम्नीकृत वन भूमियों और वनों के बाहर स्थित भूमियों पर वन/वृक्ष आच्छादन में वृद्धि करना।
- संरक्षित क्षेत्रों और अन्य वन्यजीवन समृद्ध क्षेत्रों का जैव-विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र समृद्धिकरण के प्राथमिक उद्देश्य के साथ प्रबंधन करना।
- शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में निवासियों की बेहतरी के लिये हरित क्षेत्रों का प्रबंधन और विस्तार करना।

मसौदा नीति में रह गई खामियाँ

- नई मसौदा नीति के प्रावधान काफी अस्पष्ट और उलझाऊ हैं। इस नीति में उत्पादन वानिकी की मुख्य बल क्षेत्र (New thrust Area) के रूप में पहचान की गई है।
- वन विकास निगमों को एक इस हेतु संस्थागत वाहन बनाया गया है। किंतु, एक नए नव उदारवादी मोड़ के तहत ये संस्थागत वाहन सार्वजनिक-निजी भागीदारी द्वारा वन भूमियों पर कॉर्पोरेट निवेश लाने का प्रयास करेंगे जो यहाँ बाजारीकरण हेतु संसाधनों के अनुचित दोहन को बढ़ावा दे सकता है।
- अतीत में, उत्पादन वानिकी ने हिमालय में प्राकृतिक ओक वनों को पाइन मोनोकल्चर से , मध्य भारत में प्राकृतिक साल वनों को सागौन पौधों से और पश्चिमी घाटों में आर्द्र सदाबहार वनों को यूकेलिप्टस और एकेसिया से प्रतिस्थापित कर दिया।
- इस सब ने विविधता को नष्ट कर दिया है, जलधाराओं को सुखा दिया और स्थानीय आजीविका को दुर्बल बना दिया। सार्वजनिक-निजी भागीदारी इस तरह के विनाश को और बढ़ावा दे सकती है और वनों से उत्पन्न लाभांश को कॉर्पोरेट जगत के हाथों में संकेंद्रित कर सकती है।
- यदि स्थानीय समुदायों को वन शासन में भागीदारी का मौका दिया जाए तो वे इस उत्पादन वानिकी मॉडल को चुनौती देंगे। अत: मसौदा नीति में विकेंद्रीकृत शासन के बारे में बहुत कम जिक्र किया गया है और 'सामुदायिक भागीदारी' शब्द का बेहद हल्के रूप में प्रयोग किया गया है।
- मसौदा नीति ग्राम सभाओं और जेएफएम समितियों के बीच 'तालमेल सुनिश्चित करने' की बात करता है, जबकि जेएफएम समितियों को सांविधिक रूप से सशक्त ग्राम सभाओं से प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है और औपनिवेशिक युग के भारतीय वन अधिनियम में सुधार करने की आवश्यकता है।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. 'भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2017' के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित वनाच्छादित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उसके घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें-

1. लक्षद्वीप
2. मिजोरम
3. अरुणाचल प्रदेश
4. केरल

कूट :

(a) 1-2-3-4
(b) 3-2-1-4
(c) 4-3-2-1
(d) 3-1-4-2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. क्या आपको लगता है कि वन नीति 1988 भारत के वनाच्छादित क्षेत्र को बढ़ाने में सफल रही थी? भारत के हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रस्तावित वन नीति अपनी रणनीति में पिछले नीति से किस प्रकार अलग है? आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

Do you think Forest policy 1988 was successful in enhancing the India's forest cover? How is the proposed Forest policy different from the previous one in its strategy to enhance India's green cover? Critically Analyze. (250 Words)

निर्वासन में पहचान

18 मई, 2018

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

"द हिन्दू"

लेखक - रोशनी शंकर (माइग्रेशन एण्ड असाइलम प्रोजेक्ट, नई दिल्ली)

''आधार की कमी के कारण भारत में शरणार्थियों को आवश्यक सेवाओं तक पहुंच बनाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूआईडीएआई को समावेश के प्रति अपनी वचनबद्धता का पालन करना होगा।''

वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट रोहिंग्या शरणार्थियों के बड़े पैमाने पर निर्वासन के लिए सरकार के आदेश के खिलाफ याचिका की सुनवाई कर रहा है। इस विषय पर घरेलू शरण कानून और सीमित न्यायिक प्रणाली की कमी को ध्यान में रखते हुए, यह मामला न्यायालय के लिए शरणार्थी मान्यता और संरक्षण पर बुनियादी सिद्धांतों को निर्धारित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करता है जो भारत के संवैधानिक मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को भी दर्शाता है।

उठाए जा रहे प्रमुख मुद्दों में से एक यह है कि भारत में रहने के दौरान रोहिंग्याओं को आवश्यक सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, इस मुद्दे पर सरकार का कहना है कि शरणार्थियों को पहले से ही स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आधार से इन सेवाओं को जोड़ने के कारण ये सुविधाएं उनके लिए अब अप्रभावी हो गयी है।

11 मई को अदालत ने दिल्ली और मेवाट में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के अंतरिम आदेश को पारित कर दिया, जिसके बाद रोहिंग्या शरण ाार्थी इनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं, अगर उन्हें आवश्यक सेवाओं से दूर रखा जा रहा है तो। हालांकि, शरणार्थियों के लिए आधार का सवाल अभी भी कायम है।

आधार मुख्य रूप से सामाजिक-आर्थिक समावेश के लिए एक उपकरण के रूप में माना गया था। भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के अनुसार, यह इस उद्देश्य के साथ है कि इसने एक साधारण नामांकन प्रणाली तैयार की है जो पहचान और निवास के साक्ष्य के रूप में दस्तावेजों की एक विस्तृत श्रृंखला स्वीकार करता है, ताकि आधार प्राप्त करना आसान हो सके। उदाहरण के लिए, बिना किसी दस्तावेज के उन लोगों के लिए, यूआईडीएआई उन लोगों के एक विस्तृत समूह से 'परिचय पत्र' स्वीकार करता है जो परिचयकर्ताओं के रूप में पूर्व-नामित हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समावेश के हित में - यूआईडीएआई ने आधार को नागरिकता से जोड़ा नहीं। आधार अधिनियम बताता है कि आवेदन करने की तारीख से पहले वर्ष में कम से कम 182 दिनों के लिए भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति आधार के पात्र है।

दरअसल, आधार मामले में, यूआईडीएआई ने स्पष्ट किया है कि उपरोक्त आवश्यकता को पूरा करने वाले विदेशी निर्धारित दस्तावेजों को जमा करके आधार प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार, उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर, यह उन शरणार्थियों को इसका लाभ प्रदान करेगा, जो सरकार और/या संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (जिसमें वे 'अवैध अप्रवासियों' के रूप में सूचीबद्ध नहीं हैं) में पंजीकृत है, साथ ही उन्हें निवास और दस्तावेजीकरण दोनों आवश्यकताओं को भी पूरा करना होगा।

हालांकि, अधिकांश आधार-केंद्र इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं हैं कि शरणार्थी आधार के लिए आवेदन करने योग्य हैं भी या नहीं। जबकि श्रीलंकाई और तिब्बती शरणार्थियों को उनके सरकार द्वारा जारी दस्तावेज के आधार पर आधार जारी किया गया है, अफगान, बर्मा और कांगोली समुदायों से शरणार्थी, जो नई दिल्ली में रह रहे हैं, ने रिपोर्ट की है कि उन्हें स्पष्टता की कमी के कारण स्थानीय केंद्रों द्वारा हटा दिया जा रहा है। इसके अलावा, उनके द्वारा रखे गए दस्तावेजों की पहचान या निवास के वैध प्रमाण के रूप में पहचाना नहीं जा रहा है।

इन शरणार्थियों के पास दस्तावेज के अलग-अलग सेट हैं - कुछ के पास विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय द्वारा जारी दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) है या बैंक पासबुक और अन्य के पास केवल उनका पासपोर्ट और यूएनएचसीआर जारी शरणार्थी कार्ड है। कई योग्य शरणार्थी, उनपर गलत तरीके से मुकदमा चलाये जाने के कारण डर गये हैं और इसलिए उन्होंने आधार के लिए आवेदन करना ही छोड़ दिया है।

हाल के महीनों में, आधार को तेजी से किसी भी सेवा तक पहुंचने के लिए पूर्व शर्त के रूप में लागू किया जा रहा है, जिसके कारण शरणार्थी उन सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। उदाहरण के लिए, मानवाधिकार कानून नेटवर्क की एक 2015 की रिपोर्ट में कहा गया है कि मेहर, हरियाणा में रोहिंग्या बच्चों को आधार कार्ड समेत दस्तावेजों की कमी के कारण स्थानीय सरकारी स्कूल में नामांकन की अनुमति नहीं दी गयी। हाल ही में, कुछ शरणार्थी बच्चों को उसी कारण से बोर्ड परीक्षाओं के लिए बैठने से मना कर दिया गया था।

इसके अलावा, कई शरणार्थियों को हर दिन कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जैसे सिम कार्ड प्राप्त करना, बैंक खाता खोलना, आवास किराए पर लेना, आजीविका के अवसरों की तलाश करना या यहां तक कि निजी अस्पतालों तक पहुंचना। इसके परिणामस्वरूप शरणार्थी मुख्यधारा के प्रणाली से लगातार बाहर होते जा रहे हैं और उनके साथ प्रतिदिन होते शोषण ने उन्हें हर क्षेत्र में बेहद कमजोर बना दिया है।

हांलाकि, कोई भी यह तर्क दे सकता है कि आधार के बहिष्कार की ऐसी समस्याओं का सामना कई भारतीय भी कर रहे है। हालांकि, राजीव धवन, एक वरिष्ठ वकील के रूप में, सुप्रीम कोर्ट में कहा कि रोहिंग्या शरणार्थियों में म्यांमार में नरसंहार की स्थिति से भागने वाले लोगों की एक 'विशेष श्रेणी' है; और कार्य, स्वास्थ्य, शिक्षा को प्राप्त करने के संबंध में पहचान दस्तावेजों की अनुपस्थिति होने के कारण 'बुरी से भी बुरी स्थिति' में हैं। वास्तव में, इस तरह का विवरण भारत में रहने वाले पूरे शरणार्थी समुदाय पर लागू होता हैं, जिनमें से सभी को संघर्ष, उत्पीड़न, यातना आदि के कारण अपने देशों से बाहर कर दिया गया था।

आधार की प्रयोज्यता और आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने की इसकी आवश्यकता स्पष्ट रूप से आधार अधिनियम की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रासंगिक बनाता है। सरकार को शरणार्थियों को समान दस्तावेज जारी करने पर विचार करना चाहिए ताकि कानूनी निवासियों के रूप में उनकी स्थिति की पुष्टि हो सके और यूआईडीएआई को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए शरणार्थियों को अधिक लचीलापन प्रदान करते हुए अपनी प्रतिबद्धता का पालन करना होगा।

इसके अलावा, अधिकारियों को शरणार्थियों के बारे में संवेदनशील होना चाहिए और पहचान स्थापित करने के लिए मौजूदा प्रणाली (जैसे परिचय प्रणाली आदि के माध्यम से पहचान स्थापित करना) को बड़े स्तर पर विस्तृत करना चाहिए।

* * *

GS World टीम...

चर्चा में क्यों?

- वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट रोहिंग्या शरणार्थियों के बड़े पैमाने पर निर्वासन के लिए सरकार के आदेश के खिलाफ याचिका की सुनवाई कर रहा है। सरकार का इस संबंध में कहना है कि चूंकि कुछ रोहिंग्या मुसलमान आतंकवादी घटनाओं में भी शामिल रहे हैं, ऐसे में उन्हें भारत में शरण नहीं दी सकती।

कोर्ट ने क्या कहा?

- न्यायालय ने कहा कि झुग्गी में रहने वाले नागरिकों और शरणार्थी कैंप में रहने वाले लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं हो सकता। साथ ही ये भी कहा कि उन्हें वापस भेजने का फैसला संविधान के मूल्यों के खिलाफ है।
- चाहे कोई भारत का नागरिक हो या न हो, भारत का संविधान प्रत्येक इंसान को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है और रोहिंग्याओं को यदि इस समय म्यांमार भेजा जाता है तो वहाँ सेना द्वारा इन्हें मार दिया जाएगा।
- साथ ही यह भी कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों की समस्या का एक 'बड़ा आयाम' है और शासन को इस मसले से निबटते समय 'बड़ी भूमिका' निभानी होगी।
- याचिका में कहा गया है कि उन्हें वापस भेजने का प्रस्ताव भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार), अनुच्छेद 21 (जीने और व्यक्तिगत आजादी का अधिकार) और अनुच्छेद 51(सी) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 51(सी) में अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संधियों के दायित्वों के अनुपालन का जिक्र किया गया है।

सरकार का क्या कहना है?

- रोहिंग्या मुस्लिमों पर केंद्र के 15 पन्नों के इस हलफनामे में केंद्र ने कहा था कि कुछ रोहिंग्या शरणार्थियों के पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों से संपर्क का पता चला है। ऐसे में ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से खतरा साबित हो सकते हैं।
- इसके साथ ही केंद्र ने आशंका जताई कि म्यांमार से अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों के भारत में आने से क्षेत्र की स्थिरता को नुकसान पहुंच सकता है। इस बात के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं कि काफी संख्या में रोहिंग्या मुस्लिम आतंकी संगठनों में शामिल हुए हैं।
- सरकार ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 19 में स्पष्ट है कि भारत की सीमा के किसी भी हिस्से में रहने, बसने और देश में स्वतंत्र रूप से कहीं भी आने जाने का अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध है। कोई भी गैरकानूनी शरणार्थी इस कोर्ट से ऐसा आदेश देने के लिए अनुरोध नहीं कर सकता है, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सामान्य रूप में मौलिक अधिकार देता है।

वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति

- भारत ने 1951 की शरणार्थियों के दर्जे से संबंधित संधि और 1967 के शरणार्थियों के दर्जे से संबंधित प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए याचिकाकर्ता इस मामले में इनका सहारा नहीं ले सकते हैं।
- केंद्र के अनुसार इन्हें वापस भेजने पर बैन संबंधी प्रावधान की जिम्मेदारी 1951 की संधि के तहत आती है। यह जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं देशों के लिए है जो इस संधि के पक्षकार हैं। चूंकि भारत इस संधि के प्रोटोकाल में पक्षकार नहीं है, इसलिए इनके प्रावधान भारत पर लागू नहीं होते हैं।

रोहिंग्याओं को क्यों वापस भेजना चाहती है सरकार?

- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में कहा था कि गैर-कानूनी तौर पर रह रहे 40 हजार रोहिंग्या देश से बाहर निकाले जाएंगे, क्योंकि देश में अलग-अलग जगहों पर रह रहे रोहिंग्या अब समस्या बनते जा रहे हैं।
- दरअसल, अवैध विदेशी नागरिकों का पता लगाना और उन्हें वापस भेज देना एक निरंतर प्रक्रिया है और गृह मंत्रालय 'विदेशी अधिनियम, 1946' की धारा 3(2) के तहत अवैध विदेशी नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है।

रोहिंग्या कौन हैं?

- रोहिंग्या 15 वीं शताब्दी के बाद से म्यांमार में रखाइन राज्य (जिसे अराकान के रूप में भी जाना जाता है) के लिए स्वदेशी हैं।
- सामूहिक रूप से वे मुस्लिम इंडो-आर्यन के अधीन आते हैं, जो पूर्व औपनिवेशिक और औपनिवेशिक अप्रवासन का मिश्रण है।
- हालांकि, म्यांमार सरकार के मुताब्रिक, बर्मा की आजादी और बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद वे अवैध रूप से इस राज्य में आ गये हैं।
- वे एक संगठित नरसंहार से पीड़ित हैं और दुनिया के सबसे सताए अल्पसंख्यकों में से एक हैं।
- 2015 संकट से पहले रोहिंग्या की जनसंख्या लगभग 1.1 से 1.3 मिलियन थी।
- 2012 में रखाइन राज्य में हुए सांप्रदायिक हिंसा, रोहिंग्या संकट 2015 और 2016-17 सैन्य विद्रोह के बाद इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान दिया जाने लगा।
- वर्तमान में 40000 रोहिंग्याओं का दूसरा घर भारत है।

रोहिंग्या शरणार्थी समस्या की पृष्ठभूमि

- दरअसल म्यांमार सरकार ने 1982 में राष्ट्रीयता कानून बनाया था, जिसमें रोहिंग्या मुसलमानों का नागरिक दर्जा खत्म कर दिया गया था। जिसके बाद से ही म्यांमार सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को देश छोड़ने के लिये मजबूर करती आ रही है।

GS World Committed to Excellence

- हालाँकि इस पूरे विवाद की जड़ करीब 100 साल पुरानी है, लेकिन 2012 में म्यांमार के रखाइन राज्य में हुए सांप्रदायिक दंगों ने इसमें हवा देने का काम किया।
- उत्तरी रखाइन में रोहिंग्या मुसलमानों और बौद्ध धर्म के लोगों के बीच हुए इस दंगे में 50 से ज़्यादा मुस्लिम और करीब 30 बौद्ध लोग मारे गए थे। इसी क्रम में कई रोहिंग्या मुसलमानों ने भारत में शरण ली थी।

म्यांमार से उनके पलायन के कारण

- 'बर्मा नागरिकता कानून, 1982' के द्वारा रोहिंग्या मुस्लिमों को म्यांमार की नागरिकता से वंचित कर दिया गया। इससे पूर्व भी म्यांमार सरकार की इनके प्रति नीति भेदभावपूर्ण रही है। नागरिकता एवं मौलिक अधिकारों के अभाव में ये लोग 'राज्यविहीन' हो गये हैं।
- रखाइन प्रांत म्यांमार का सबसे कम विकसित राज्य है, जहाँ अधिकांश परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं।
- संसाधनों की कमी, रोजगार के अवसरों की कम उपलब्धता एवं धार्मिक मतभेदों ने रोहिंग्या मुस्लिमों एवं बहुसंख्यक बौद्धों के मध्य दरारें बढ़ा दी जिसकी परिणति कई बार संघर्ष के रूप में हुई। सरकार ने इन संघर्षों को रोकने के पर्याप्त प्रयास नहीं किये जिससे स्थिति और बदतर होती गई एवं 2012 में सांप्रदायिक हिंसा में सैंकड़ों रोहिंग्या मारे गए एवं अब तक एक लाख से अधिक पलायन कर चुके हैं।
- म्यांमार सरकार ने विवाह, परिवार नियोजन, रोजगार, शिक्षा, धार्मिक चयन आदि की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाकर इनके खिलाफ भेदभाव को संस्थागत कर दिया।

रोहिंग्याओं के पक्ष में तर्क

- एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते भारत का यह दायित्व बनता है कि वह संकटग्रस्त लोगों के लिये अपने दरवाजे खुले रखे। जिस शरणार्थी को शरण देने की अनुमति दे दी गई है, उसे बकायदा वैधानिक दस्तावेज मुहैया कराए जाएँ, ताकि वह सामान्य ढंग से जीवन-यापन कर सके।
- हालाँकि, देशहित सर्वोपरि होता है और इससे समझौता नहीं किया जा सकता। शरणार्थियों के कारण संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, कानून व्यवस्था के लिये चुनौती उत्पन्न होती है। सरकार के समाने सबसे बड़ा सवाल यह है कि रोहिंग्याओं को म्याँमार में वह भेजेगी कैसे और म्याँमार उन्हें वापस लेगा क्यों?

क्या भारत में कोई शरणार्थी कानून है?

- भारत में कोई शरणार्थी विशिष्ट कानून नहीं है।
- यह मामला संसद द्वारा अधिनियमित 1946 के विदेशी अधिनियम के तहत आता है।
- यह विदेशी अधिनियम भारत में बिना उचित पहचान पत्र या कागजात के उपस्थिति को अपराध बनाता है।
- यह सरकार को देश में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी व्यक्ति को विस्तारित करने की शक्ति देता है, जब तक उस व्यक्ति को निर्वासित नहीं किया जाता।
- भारत 1951 संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन, या इसके 1967 प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं है ।
- शरण लेने वाले जिनकी याचिका स्वीकार की जाती है उन्हें सालाना नवीनीकरण करने के लिए दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) दिया जाता है। दीर्घकालिक वीजा उन्हें निजी क्षेत्र में काम करने और शिक्षा और बैंकिंग तक पहुंचने का अधिकार देता है।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रोहिंग्या शरणार्थियों को निर्वासित करने की भारत की योजनाओं के बारे में चिंता व्यक्त की है। रोहिंग्या शरणार्थियों के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. रोहिंग्या परंपरागत रूप से म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहने वाला अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय है।
2. रोहिंग्या लोगों को 'राज्य रहित अस्तित्व' के रूप में माना जाता है, क्योंकि म्यांमार सरकार ने 1982 में राष्ट्रीयता कानून बनाया था, जिसमें रोहिंग्या मुसलमानों का नागरिक दर्जा खत्म कर दिया गया था।
3. हाल ही में बांग्लादेश ने रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर कुतुपलोंग में बनाया हैं।
4. वर्ष 2017 में भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में म्यांमार से रोहिंग्या शरणार्थियों के बढ़ते घुसपैठ के कारण उत्पन्न हुए मानवीय संकट के जवाब में सहायता प्रदान करने हेतु ऑपरेशन 'इंसानियत' की शुरुआत की थी।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है?

(a) 1 और 3 (b) 1, 2 और 3
(c) 1, 2 और 4 (d) उपर्युक्त सभी

नोट : 17 मई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर (a) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. शरणार्थियों के संबंध में भारत में आधार के इस्तेमाल को लेकर मौजूद प्रावधानों की चर्चा करते हुए मुख्यतः रोहिंग्या के संबंध में उत्पन्न चिंताओं की चर्चा करें।

(250 शब्द)

Discussing the concerns related to Rohingya, mainly discussing the present provisions regarding the use of Aadhar in India in relation to refugees.

(250 words)

विवादित दावों को संतुलित करना

19 मई, 2018

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

"द हिन्दू"

लेखक -
सी. रंगराजन (भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे)
डी.के. श्रीवास्तव (वर्तमान में मुख्य नीति सलाहकार और 12वें वित्त आयोग के सदस्य थे)

''15 वें वित्त आयोग को समानता को स्थापित करने पर ध्यान देना होगा जिससे इसका लाभ सभी को प्राप्त हो सके।''

15 वें वित्त आयोग (एफएफसी) के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (टीओआर) के संदर्भ में, कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं (ए) 2011 की जनसंख्या का उपयोग करने के लिए जनादेश से संबंधित हैं; (बी) 'क्या राजस्व घाटा अनुदान' दिया जाना चाहिए; (सी) केंद्र और राज्यों के वित्त पर वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) का प्रभाव; (डी) राज्य उधार पर 'सशर्तता' का संदर्भ; और (ई) कुछ विवादास्पद संकेतकों के संबंध में प्रोत्साहन प्रदान करना।

1971 से 2011 तक बदलाव पर सवाल

दक्षिणी राज्यों ने आशंका व्यक्त किया है कि वर्ष 2011 की आबादी 1971 के आंकड़ों के उपयोग को प्रतिस्थापित करती है, तो वे तथाकथित 'जनसंख्या मानदंड' के तहत बहुत पीछे छूट जायेंगे। राज्य की आबादी न केवल उनकी आबादी की वृद्धि के कारण बल्कि प्रवासन के कारण भी बदलती है।

विभिन्न मानदंडों में लगातार वित्त आयोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जनसंख्या डेटा ने 'स्केलिंग' कारक के रूप में कार्य किया है - अर्थात जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा, राजकोषीय हस्तांतरण का परिमाण उतना ही बड़ा होगा। सिद्धांत रूप में, प्रति व्यक्ति के रूप में वित्तीय हस्तांतरण निर्धारित किया जाता है और फिर राज्य में रहने वाली पूरी आबादी की पूर्ति के लिए बढ़ाया जाता है।

प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) प्राप्त करने में, इसे हमेशा दिनांकित आबादी के बजाय वर्तमान का उपयोग करके गणना की जाती है। कोई अन्य प्रमुख संघ इस तरह के अभ्यास का उपयोग नहीं करता है। अच्छी तरह से स्थापित वित्तीय हस्तांतरण सिद्धांतों के साथ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख संघ सभी प्रासंगिक सूचनाओं का उपयोग करते हैं जो यथासंभव नवीनतम हो।

यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि जनसंख्या मानदंड से जुड़ा वजन 25% से 10% तक भिन्न है और यह 10 वीं से 14 वीं वित्त आयोग तक 62.5% से 50% तक दूरी सूत्र से जुड़ा हुआ है।

राजस्व घाटे अनुदान के संबंध में टीओआर यह नहीं दर्शाता है कि अनुच्छेद 275 (1) के तहत दिए गए अनुदान को बंद कर दिया जाना चाहिए। यह आलेख वित्त आयोग को पहले 'सिद्धांत' निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो राज्य के राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करता है और उसके बाद भुगतान की जाने वाली 'रकम' निर्धारित करता है। राजस्व घाटे अनुदान अक्सर अंतर-भरने के दृष्टिकोण का पालन करते हैं, भले ही कुछ आंशिक मानदंडों के आवेदन द्वारा नियंत्रित किया गया हो।

इस दृष्टिकोण को भारत में राजकोषीय हस्तांतरण पर प्रकाशित होने वाले प्रतिकूल प्रोत्साहनों के लिए साहित्य में अत्यधिक आलोचना की गई है। वास्तव में, अंतर भरने के आधार पर राजस्व घाटे अनुदान को बंद करना एक मजबूत मामला है, लेकिन अधिक स्वीकार्य सिद्धांतों के आधार पर अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान की अनुशंसा करना जारी रखना होगा।

क्षैतिज आवंटन

अधिकांश प्रमुख संघ इक्विटी और दक्षता के उद्देश्यों के अनुरूप वित्तीय राजकोषीय हस्तांतरण निर्धारित करने के लिए एक समान दृष्टिकोण का पालन करते हैं। वास्तव में, टीओआर के क्लॉज 5 के तहत 'राजस्व घाटे अनुदान' के संदर्भ से पहले, एफएफसी को इक्विटी, दक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित करने के लिए कहा गया है।

समानता के सिद्धांत के तहत, हस्तांतरण का उद्देश्य राजकोषीय क्षमताओं को 'बराबर' करना है, जिससे राज्यों को तुलनीय मानकों पर सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाता है बशर्ते वे खाता लागत और उपयोग अक्षमताओं के बाद तुलनीय कर प्रयास करें। समान अनुदान नीति तटस्थ हैं और उन्हें क्षेत्र-विशिष्ट नहीं होने की आवश्यकता है।

हालांकि 11 वीं और 12 वीं आयोगों ने क्षेत्र-विशिष्ट अनुदान प्रदान करने के लिए आंशिक रूप से समानता सिद्धांत का उपयोग किया था। यह 'इक्विटी' सिद्धांत का उपयोग है जिसके परिणामस्वरूप अपेक्षाकृत अच्छी तरह से राज्यों ने अपना हिस्सा खो दिया है। इसका कोई अन्य अर्थ नहीं है।

इस संदर्भ में, एक उल्लेखनीय समूह में खनिज समृद्ध राज्य शामिल हैं: झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और असम। इन कोयला समृद्ध राज्यों ने देश की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रदूषण भार जारी रखा है। माल ढुलाई के साथ, दक्षिणी राज्यों में कई थर्मल पावर प्लांट स्थापित किए गए थे, जो उनके औद्योगिक विकास को शक्ति प्रदान करते थे। इन खनिज समृद्ध राज्यों में उद्योगों की स्थापना के बावजूद अभी भी पर्यावरणीय बाधाएं मौजूद है।

वित्त आयोग के लिए राज्यों के विभिन्न समूहों के प्रतिस्पर्धी दावों को हल करने का कठिन कार्य है। इसे पॉलिसी तटस्थता और उचित सिद्धांतों का पालन करके हल किया जा सकता है। वित्त आयोग, जिसका कार्य आदर्श रूप से केंद्र और राज्यों के बीच एक समान उपचार प्रदान करना है, उसके द्वारा केंद्रीय नीति प्राथमिकताओं को बढ़ावा देना कहीं से उचित नहीं है। वास्तव में, जहां तक राज्य उधार का संबंध है, 12वीं वित्त आयोग की सिफारिश के बाद, प्रमुख राज्य केंद्र से उधार नहीं लेते हैं।

करों का विकास

14 वें वित्त आयोग ने राज्यों को 42% तक साझा करने योग्य करों का अनुपात बढ़ाया है। जो यह इंगित करता है कि यह वृद्धि बड़े पैमाने पर 'राज्यों को बिना शर्त हस्तांतरण के हिस्से को बढ़ाने' के लिए थी। शेयर पर निर्णय लेने में, न केवल संवैधानिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखना आवश्यक है बल्कि उन सभी लोगों के सन्दर्भ को ध्यान में रखना आवश्यक है जो सभी मुद्दों पर उपचार के लिए केंद्र सरकार की ओर देखते रहते हैं या केंद्र पर ही आश्रित रहते हैं। यह आर्थिक नियोजन के साथ शुरू हुआ था।

हर आर्थिक मुद्दा अब केंद्र के दरवाजे पर रहता है। शायद, हम ऐसी परिस्थिति तक पहुंच गये हैं, जहां संविधान को संशोधित किया जाना चाहिए, जिससे राज्यों को मिलने वाले हिस्से को सुनिश्चित किया जा सके और केवल क्षैतिज आवंटन के कार्य के साथ वित्त आयोग को अपने स्थान पर छोड़ देना चाहिए।

भारत में वित्तीय हस्तांतरणों को लंबे समय से दो प्रमुख अक्षमताओं द्वारा विशेषता दी गई है: दिनांकित आबादी के आंकड़ों का उपयोग और 'अंतर-भरने' वाले दृष्टिकोण। एक व्यापक समानता दृष्टिकोण को लागू करने से ही इन कमियों को दूर किया जा सकता है। इसके लिए राज्यों की राजकोषीय क्षमताओं का अनुमान लगाने की आवश्यकता है।

जीएसटी के मामले में, आय की बजाय उपभोग बेहतर कर आधार होगा। इसे गैर-जीएसटी करों के कर-आधारों द्वारा पूरक किया जाना चाहिए। केरल जैसे कुछ राज्यों के लिए उच्च स्वास्थ्य व्यय पर कब्जा करना चाहिए, जहां जनसंख्या बढ़ रही है। खनिज समृद्ध राज्यों के लिए, उनके पर्यावरणीय भार की लागत को शामिल किया जाना चाहिए।

मानदंडों का संतुलन आवश्यक है। भारत के अधिकांश भावी संभावित विकास उन राज्यों द्वारा संचालित किए जाएंगे जो प्रभावी रूप से अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग कर सकते हैं, जिन्हें इन राज्यों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के पर्याप्त प्रावधान से सहायता मिलेगी।

इससे उनकी वित्तीय क्षमताओं में तेजी से वृद्धि होगी, जिसके लिए समय के साथ अधिक समानता प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत कम पुनर्वितरण की आवश्यकता होगी।

GS World टीम...

वित्त आयोग

- केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्त के बंटवारे पर अपनी सिफारिशें देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग (Finance Commission) का गठन किया जाता है।
- संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अंतर्गत स्पष्ट रूप से वर्णित है कि, संविधान के लागू होने के दो वर्ष के अंदर और तत्पश्चात प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर या इस समय से पूर्व यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे, तो वह अपने आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा।
- इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अब तक परंपरा यह रही है कि पिछले वित्त आयोग के गठन की तिथि से पांच वर्षों के अंदर ही अगले वित्त आयोग का गठन कर दिया जाता है।

14वाँ वित्त आयोग

- अब तक 14वाँ वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ. वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में 14वें वित्त आयोग का गठन 2 जनवरी, 2013 को किया गया था।
- इस आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल, 2015 से पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू हैं।
- स्पष्ट है कि इस आयोग की सिफारिशें वित्त वर्ष 2019-20 तक के लिए वैध हैं।
- 14वें वित्त आयोग ने 15 दिसंबर, 2014 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी।

15वां वित्त आयोग

- 'वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951' [Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act] 1951, के उपबंधों के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड (1) के अनुसरण में भारत सरकार ने राष्ट्रपति की स्वीकृति से 27 नवंबर, 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की घोषणा की।
- 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह होंगे।
- श्री सिंह भारत सरकार के पूर्व सचिव एवं पूर्व संसद सदस्य हैं।
- वे वर्ष 2008-2014 तक बिहार से राज्य सभा के सदस्य रहे।

आयोग के अन्य सदस्य

- वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त चार अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

15वें वित्त आयोग के चार अन्य सदस्यों का विवरण निम्नवत है

1. शक्तिकांत दास (भारत सरकार के पूर्व सचिव), सदस्य
2. डॉ. अनूप सिंह (सहायक प्रोफेसर, जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय, वाशिंगटन डी.सी., अमेरिका सदस्य
3. डॉ. अशोक लाहिड़ी [अध्यक्ष (गैर-कार्यकारी, अंशकालिक) बंधन बैंक] सदस्य (अशंकालिक)
4. डॉ. रमेश चंद्र (सदस्य, नीति आयोग) सदस्य (अंशकालिक)

श्री अरविंद मेहता आयोग के सचिव होंगे।

- 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख या 30 अक्टूबर, 2019 तक, जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेंगे।

सिफारिश के विषय

15वां वित्त आयोग निम्नलिखित विषयों के बारे में सिफारिशें करेगा-

1. केंद्र और राज्यों के मध्य करों के शुद्ध आगमों (Net Proceeds of Taxes) के वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आबंटन के बारे में उल्लेखनीय है कि संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 के अधीन करों के शुद्ध आगमों का केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजन किया जाना है।
2. भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत और संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुक (Provisos) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 275 के अधीन राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में राज्यों को प्रदत्त की जाने वाली धनराशियां।
3. राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु आवश्यक अध्युपाय।
4. यह आयोग केंद्र और राज्यों की वर्तमान वित्त व्यवस्था, घाटे, ऋण स्तरों, नकदी शेष और राजकोषीय अनुशासन कायम रखने के प्रयासों की स्थिति की समीक्षा करेगा और मजबूत राजकोषीय प्रबंधन के लिए राजकोषीय समेकन (Fiscal Consolidation) की रूपरेखा की सिफारिश करेगा।

- यह आयोग अपनी सिफारिशें देने के लिए वर्ष 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों का प्रयोग करेगा।
- 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल, 2020 से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू होंगी।

भारत के वित्त आयोग

वित्त आयोग	समय	अध्यक्ष	समयावधि
पहला	1951	के.सी. नियोगी	1952-57
दूसरा	1956	के. संथानम	1957-62
तीसरा	1960	ए.के. चंदा	1962-66
चौथा	1964	पी.वी. राजमन्नार	1966-69
पांचवां	1968	महावीर त्यागी	1969-74
छठवां	1972	के. ब्रह्मानंद रेड्डी	1974-79
सातवां	1977	जे.एम. शेलैट	1979-84
आठवां	1983	वाई.वी. चह्वाण	1984-89
नौवां	1987	एन.के.पी. साल्वे	1989-95
दसवां	1992	के.सी. पंत	1995-2000
ग्यारहवां	1998	ए.एम. खुसरो	2000-2005
बारहवां	2003	सी. रंगराजन	2005-2010
तेरहवां	2007	विजय केलकर	2010-2015
चौदहवां	2012	वाई.वी. रेड्डी	2015-2020
पंद्रहवां	2017	एन.के. सिंह	2020-2025

क्या है विवाद?

- गौरतलब है कि चौदहवें वित्त आयोग के टर्म्स ऑफ रेफेरेंस में जनसंख्या के आंकड़ों को इस्तेमाल करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया था। इसके बावजूद राज्यों की जरूरतों का सटीक आंकलन करने के लिए 14वें आयोग ने 2011 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया और उसकी तुलना 1971 की जनगणना के आंकड़ों से की।
- ऐसे में जो नतीजा मिला उसके आधार पर 14वें आयोग ने 2011 की जनसंख्या को 10 फीसदी का वेटेज देते हुए राज्यों को केन्द्रीय राजस्व का 42 फीसदी धन आवंटित करने का काम किया। यह पूर्व में राज्यों को आवंटित सबसे अधिक राजस्व था।
- अब 15वें वित्त आयोग के टर्म्स ऑफ रेफेरेंस में केन्द्र सरकार ने नया निर्देश दिया है कि राज्यों को राजस्व का आवंटन करने के लिए ऐसे राज्यों का भी संज्ञान लिया जाए जिन्होंने जनसंख्या पर लगाम लगाने में अच्छी पहल की है। सरकार ने ऐसे राज्यों को इस काम के लिए अधिक आवंटन का निर्देश दिया है जिससे बाकी राज्यों को भी जनसंख्या पर लगाम लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

वित्त आयोग द्वारा राज्यों में राजस्व का आवंटन

- केन्द्र सरकार अपने राजस्व का एक बड़ा हिस्सा राज्यों में बांटता है, जिससे जिन राज्यों के पास न्यूनतम जीवन स्तर बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, वह केन्द्रीय राजस्व से यह काम कर सके। लिहाजा केन्द्र सरकार के राजस्व का यह बंटवारा करने के लिए केन्द्र सरकार हर 5वें वर्ष वित्त आयोग का गठन करती है।
- वित्त आयोग इस बंटवारे के लिए राज्यों की जरूरत का आंकलन करती है और सटीक आंकलन के लिए वह कई कसौटियों का इस्तेमाल करती है। इनमें राज्य की जनसंख्या और राज्य की कमाई दो अहम कसौटियां हैं। जहां जनसंख्या से राज्य की जरूरत निर्धारित की जाती है वहीं राज्य की जीडीपी से राज्य में गरीबी का आंकलन किया जाता है।

CS World Committed to Excellence

- इन दोनों कसौटियों के आधार पर ज्यादा गरीबी और अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को ज्यादा से ज्यादा संसाधन देने की कोशिश की जाती है जिससे वह राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं को अपने नागरिको तक पहुंचा सके।

15वें केंद्रीय वित्त आयोग के समक्ष चुनौतियाँ

- देश के कुछ राज्यों में पर्याप्त मात्रा में निजी निवेश होता है, वहीं कुछ राज्यों में निजी निवेश की कमी है। निजी निवेश के इस असंतुलित वितरण के कारण राज्यों के बीच असमानता बढ़ रही है। नए आयोग को बढ़ती असमानता पर गंभीरता से विचार करना होगा।
- विद्युत-वितरण कंपनियों के आर्थिक पुनरुद्धार के लिये केंद्र द्वारा शुरू की गई "उदय" योजना का भार राज्यों की वित्तीय स्थिति पर पड़ रहा है। आयोग को इस हेतु भी उपाय करने होंगे।
- देश के कई राज्यों के समक्ष आज सूखा, बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात जैसी कई प्राकृतिक आपदाओं की चुनौती है। नए आयोग को आपदा प्रबंधन के लिये राज्यों को समुचित कोष उपलब्ध कराने का प्रयत्न करना होगा।
- समावेशी विकास के लक्ष्यों को पूरा करने और जलवायु-परिवर्तन से निपटने की सरकारी प्रतिबद्धताओं की पूर्ति हेतु एक सुसंगत वित्तीय रणनीति बनाने पर ध्यान देना होगा।
- राज्यों के बीच करों के क्षैतिज वितरण के लिये अब तक लगभग 50 वर्ष पुरानी 1971 की जनगणना के आँकड़ों को आधार बनाया जाता रहा है। आयोग द्वारा अब 2011 की जनगणना के आँकड़ों को आधार रूप में लिया जा सकता है, परंतु दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों को इससे होने वाले नुकसान का ध्यान भी आयोग को रखना होगा।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है?

(a) अनुच्छेद 323
(b) अनुच्छेद 280
(c) अनुच्छेद 256
(d) अनुच्छेद 378

2. निम्नलिखित में से कौन सी भूमिकाएं/कार्य/जिम्मेदारियां वित्त आयोग के दायरे में नहीं आती हैं?

1. केंद्र और राज्यों के मध्य करों के शुद्ध आगमों (Net Proceeds of Taxes) के वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आबंटन के बारे में
2. केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान सहायता के लिए सिद्धांतों की सिफारिश करना
3. भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश करना कि संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए एवं राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन।
4. चुनाव की तैयारी और आवधिक संशोधन करना।

कूट-

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) केवल 3 और 4
(d) केवल 4

3. निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित है?

1. 15 वाँ वित्त आयोग - एनके सिंह
2. 13 वाँ वित्त आयोग - विजय केलकर
3. 12 वाँ वित्त आयोग - एएम खुसरो

कूट:

(a) 1 और 2
(d) केवल 1
(c) 1 और 3
(d) कोई नहीं

नोट : 18 मई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर (d) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. 15 वें वित्त आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (टीओआर) को स्पष्ट करते हुए बताये कि क्या यह राजकोषीय संघवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन करता हैं? आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

(250 शब्द)

Explaining the 15th Finance Commission's Terms of Reference (TOR), tell whether it violates the principles of fiscal federalism? Critically analyze.

(250 words)

GS World Committed to Excellence

लंबित पड़े मामलों के बोझ तले दबे न्यायालय

21 मई, 2018

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

"द हिन्दू"

लेखक -
अमृता पिल्लई, श्रियम गुप्ता और नितिका खेतान
(शोधकर्ता, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, दिल्ली)

''बेहतर प्रबंधन और प्रौद्योगिकी अदालत की सुस्त पड़ी प्रक्रियाओं को बदलने में मदद कर सकते हैं।''

मई की शुरुआत में बॉम्बे हाईकोर्ट ने तब सबका ध्यान अपनी ओर खीचा था, जब ग्रीष्म अवकाश से पहले आखिरी कार्य दिवस पर अधिकतर न्यायाधीश जहां शाम पांच बजे तक लंबित मामलों और अत्यावश्यक सुनवाई से जुड़े मामलों को निपटा रहे थे तो वहीं एक न्यायाधीश ने अपनी अदालत में सुबह तक सुनवाई की थी। हालांकि यह अदालत के 156 साल के इतिहास में एक दुर्लभ अवसर था, लेकिन, यह घटना भारत में अदालतों के लिए सामान्य प्रणालीगत मुद्दों पर प्रकाश डालता है।

हांलाकि न्यायाधीशों ने जो किया, वह एक अच्छा उदाहरण भी पेश करते हैं और साथ ही साथ यह प्रशंसनीय भी है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के उपाय, शायद ही लंबित पड़े मामलों का पूरी तरह से निपटारा करने में सहायक सिद्ध होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि, इसे केवल अदालत की प्रक्रियाओं के परिवर्तन के माध्यम से ही संबोधित किया जा सकता है।

चिंता के दो क्षेत्र

हालांकि सामान्य स्वीकृति यह है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली लंबित पड़े मामलों से पीड़ित है और पुरातन तरीकों के उपयोग करने के कारण, न्यायिक सुधार पर छिड़ चुकी बहस नियुक्तियों और रिक्तियों जैसे क्षेत्रों पर ही केंद्रित है। अब समय आ चुका है कि संगठनात्मक बाधाएं और सुस्त पड़ी अदालत की प्रक्रियाएं जो मामले में देरी का कारण बनती हैं, का बेहतर रूप से अध्ययन किया जाये।

देखा जाये तो ऐसे कई क्षेत्र हैं, जहाँ ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन, फिलहाल हमे अभी दो क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो अदालत की दक्षता को बहुत प्रभावित करते हैं अर्थात मामलों का सूचीकरण और अदालत के बुनियादी ढांचे।

इसे वैज्ञानिक रूप से निर्धारित करने की आवश्यकता है जिसमें प्रतिदिन कितने मामलों को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, ताकि तनाव ना बढ़े। एक दिन में एक न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध 100 से अधिक मामलों को देखना असामान्य नहीं है। जब एक न्यायाधीश पर अत्यधिक बोझ डाला जाता है, तो इससे न केवल निर्णय की गुणवत्ता पर असर पड़ता है, बल्कि इसका यह भी अर्थ निकलता है कि कई मामलों को अनिवार्य रूप से अनदेखा कर देने की संभावना अधिक है।

और अंततः ऐसा प्रबंधन होने के कारण सूचीबद्ध मामलों (आमतौर पर सुनवाई के अंतिम चरण पर पहुँच चुके मामले) को असमान दर पर छोड़ दिया जाता है जिसके बाद यह सुस्त पड़ी हुई प्रणाली में फंस कर रह जाता है।

इसके परिणाम तरह-तरह के हैं और गंभीर हैं, जो न्यायाधीशों, वकीलों, रजिस्ट्री कर्मचारियों और अंत में, मामले निपटान को प्रभावित करते हैं। सुनवाई के लिए कौन से मामले सामने आएंगे, इस संबंध में अनिश्चितता का मतलब यह हुआ कि न तो न्यायाधीश और न ही वकील अपनी तैयारी के लिए एक बेहतर योजना बना सकते हैं।

यह स्थिति वकील को अदालत में इंतजार करते हुए समय बर्बाद करने के लिए मजबूर करती है और उन्हें कई मामलों की एक साथ सूची को स्थगित करने के लिए बहाने बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। रजिस्ट्री कर्मचारी भी अनछुए मामलों के प्रवाह को व्यवस्थित करने के बजाय पहले से लंबित पड़े मामलों को दोबारा सूचीबद्ध करने के विशाल कार्य को प्रबंधित करने में व्यस्त रहते हैं।

दूसरा मुद्दा बुनियादी ढांचा है अर्थात न्यायाधीशों के लिए कर्मचारियों का अपर्याप्त समर्थन बुनियादी न्यायालय सुविधाओं की कमी के लिए। अनुसंधान और सचिवीय समर्थन के बिना, न्यायाधीश समय-समय पर अपने कार्यों को करने में असमर्थ हैं। उदाहरण के लिए, एक निजी साक्षात्कार में, एक न्यायाधीश ने कहा कि भले ही वह एक दिन में करीब 70 मामलों को सुन सके, फिर भी आशुलिपिकों के आदेशों को पूरा करने में दो दिन लग गए।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकाशित एक 2016 की रिपोर्ट से पता चला है कि मौजूदा बुनियादी ढांचे में 20,558 की अखिल भारतीय स्वीकृत शक्ति के खिलाफ केवल 15,540 न्यायिक अधिकारियों को समायोजित किया जा सकता है। बुनियादी ढांचे की कमी से न्याय तक पहुंच के बारे में गंभीर चिंताएं भी बढ़ती हैं।

नेशनल कैपिटल रीजन में जिला अदालतों पर हाल ही में एक विधि अध्ययन में पाया गया था कि पीने के पानी, उपयोग करने योग्य वाशरूम, बैठने और कैंटीन सुविधाओं जैसी बुनियादी जरूरतें अक्सर अदालत परिसरों में उपलब्ध नहीं होती हैं।

ऐसी चुनौतियों के समाधान के लिए अदालतों को कैसे प्रशासित किया जाता है, इसमें मौलिक बदलाव की आवश्यकता होगी।

आधुनिकीकरण को देख रहे हैं

न्यायालय को मामलों के संचालन और न्यायिक समय को अनुकूलित करने के लिए प्रबंधन सिद्धांतों को लागू करते हुए और अधिक व्यापक होना होगा। इसमें, रणनीतिक सोच में सक्षम बाहरी सहायता एजेंसियों को न्यायिक अधिकारियों के साथ काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि संस्थान को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिल सके। यह देश भर में कार्यकारी विभागों में पहले से ही व्यापक रूप से अपनाया जाने वाला अभ्यास है।

अदालतों ने आंशिक रूप से इस आवश्यकता को महसूस किया है और अदालत के प्रबंधकों (एमबीए स्नातकों) के लिए समर्पित पदों को अदालत के संचालन में सुधार करने में मदद के लिए बनाया है। लेकिन अधिकांशतः, अदालत के प्रबंधकों का उपयोग इसकी पूरी क्षमता के अनुरूप नहीं किया जाता है।

न्यायिक नीति निर्माताओं को अनुभवजन्य डेटा और कोर्टरूम प्रौद्योगिकी पर अपनी निर्भरता का विस्तार करना होगा। न्यायालय से संबंधित डेटा रिकॉर्डिंग और विश्लेषण करना, पीड़ित अदालतों के लिए किसी भी समस्या को हल करने का पहला कदम है जो बुनियादी ढांचे में सुधार करते हुए मामलों के सूचीकरण की समस्या को दूर करने तक सफल साबित होगा।

दूसरा, अदालत की प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए और प्रौद्योगिकी की भूमिका महत्वपूर्ण है। अदालतों द्वारा केस रिकॉर्ड और फाइलिंग को डिजिटाइज करने के लिए वर्षों से कई तरह का पहल किया जाता रहा हैं; केस सूचना प्रणाली (सीआईएस) 2.0 वर्तमान में पूरे देश में लागू की जा रही है।

लेकिन एक न्यायाधीश के रूप में सही ढंग से बताया गया है कि अदालतों में प्रौद्योगिकी का उपयोग अकेले डिजिटलीकरण रिकॉर्ड तक ही सीमित नहीं रह सकता है। सीआईएस जैसी पहलों को फाइल-ट्रैकिंग और ज्ञान प्रबंधन प्रणालियों के साथ पूरक किया जाना चाहिए, जिससे अदालतों को कार्य करने का इष्टतम स्तर प्राप्त करने में मदद मिल सके।

भारत में अदालतों के लिए शीघ्र न्याय देने के लिए, नेतृत्व विचार में बदलाव होना चाहिए और जहां सहायता की आवश्यकता है, वहां मदद करने की भी इच्छा होनी चाहिए।

* * *

GS World टीम...

चर्चा में क्यों?

- भारत में न्यायालयों के विभिन्न स्तरों पर लाखों मामले लंबित पड़े है एवं उनकी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। न्याय प्राप्ति में खर्च होने वाले समय और धन की मात्रा को देखते हुए न्याय उपलब्ध कराने के वैकल्पिक साधनों की आवश्यकता है।

अदालतों में जजों और लंबित पड़े मामलों की स्थिति

- देशभर की अदालतों में जजों के 6379 हजार पद खाली हैं। वहीं देशभर की अदालतों में 2.60 करोड़ मामले लंबित पड़े हुए हैं। सबसे अधिक यूपी की अदालतों में 60 49 151 केस लंबित हैं।

रात में सुनवाई के लिए तात्कालिकता का क्या नियम है?

- रात में सुनवाई तात्कालिकता के आधार पर होती है। ऐसा कोई मामला जिसे रात में नहीं सुना गया तो आपके पास कुछ घंटों बाद उस मामले में कानूनी अधिकारों के इस्तेमाल का समय ही नहीं बचेगा। उदाहरण के तौर पर आपको शाम को कोई नोटिस या आदेश (घर तोड़ने, फांसी देने) आदि का मिलता है जिसका अनुपालन कुछ घंटों के भीतर सुबह अदालत खुलने से पहले तक होना है तो आप रात में अदालत के समक्ष जा सकते हैं। क्योंकि सुबह आदेश पालन होने के बाद उसके खिलाफ सुनवाई का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा।
- इसके आगे केस की तात्कालिकता कोर्ट रजिस्ट्रार तय करते हैं, कोर्ट व्यक्ति याचिका दायर करेगा तो पहले रजिस्ट्रार की उसके मैरिट देखेंगे। इसके बाद मुख्य न्यायधीश को इस बारे में सूचित करेंगे। मुख्य न्यायधीश उस पर आखिरी फैसला लेंगे कि वह सुनने योग्य है या नहीं। फिर सुनवाई के लिए जजों की पीठ का गठन व समय तय होता है।
- यह कानून आम जनता या वीआईपी सभी पर एक सामान लागू है। यहां एक बात गौर करने वाली यह भी है कि सुनवाई के बाद कोर्ट को यह लगा कि याची ने अदालत का समय बर्बाद किया है तो उस पर कोर्ट जुर्माना भी लगा सकती है।

नोट - निचली अदालतों में भी हैं प्रावधान।

सर्वोच्च न्यायालय

- संघात्मक शासन के अंतर्गत सर्वोच्च, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय का होना आवश्यक बताया जाता है। भारत भी एक संघीय राज्य है और इसलिए यहाँ भी एक संघीय न्यायालय का प्रावधान है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का व्याख्याता, अपील का अंतिम न्यायालय, नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक, राष्ट्रपति का परामर्शदाता और संविधान का संरक्षक है। भारतीय न्यायव्यवस्था के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय 26 जनवरी, 1950 को अस्तित्व में आया और भारत के गणतंत्र बनने के दो दिन बाद यानी 28 जनवरी, 1950 को इसने काम करना प्रारंभ किया।

सर्वोच्च न्यायालय का गठन

- संविधान के अनुसार भारत की शीर्ष न्यायपालिका यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान के अनुसार इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा अधिक-से-अधिक सात न्यायाधीश होते हैं। संसद् कानून द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है। न्यायाधीशों की संख्या में समय-समय पर बढ़ोतरी की जाती रही है। वर्ष 1956 में 11, 1960 में 14, 1978 में 18 तथा 1986 में 26 तक की वृद्धि कर दी गयी। वर्तमान समय में उच्चत्तम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश (कुल 31 न्यायाधीश) हैं। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अवश्य लेता है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएँ

सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश वही व्यक्ति हो सकता है, जो-

- भारत का नागरिक हो।
- कम-से-कम 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो।
- कम-से-कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो या।
- राष्ट्रपति के विचार में सुविख्यात विधिवेत्ता (कानूनज्ञाता) हो।

कार्यकाल तथा वेतन

1. सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं।
2. 65 वर्ष की आयु के पूर्व भी वे राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर पद मुक्त हो सकते हैं।
3. राष्ट्रपति उनको अवकाश-प्राप्ति से पूर्व भी संसद् द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव के बाद पद से हटा सकते हैं। अभी तक इस प्रक्रिया द्वारा सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं गया है।
4. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.80 लाख रुपये प्रति माह तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2.50 लाख रूपये प्रति माह निर्धारित किया गया है।
5. सर्वोच्च न्यायालय के वेतन तथा भत्ते भारत की संचित निधि (Consolidated Fund) पर भारित हैं। सामान्य परिस्थितियों में न्यायाधीशों के कार्यकाल में उनके वेतन एवं भत्ते कम नहीं किये जा सकते हैं।

न्यायाधीशों की नियुक्ति

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार "राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से, जिनसे परामर्श करना वह आवश्यक समझे, परामर्श करने के पश्चात् उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा।" इसी अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश से जरुर परामर्श किया जाएगा। संविधान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के सम्बन्ध में अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया है। पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किये जाने की परम्परा रही है। हालाँकि संविधान इस पर खामोश है। पर इसके दो अपवाद भी हैं अर्थात् तीन बार वरिष्ठता की परम्परा का पालन नहीं किया गया। एक बार स्वास्थ्यगत कारण व दो बार कुछ राजनीतिक घटनाक्रम के कारण ऐसा किया गया। 6 अक्टूबर, 1993 को उच्चतम न्यायालय द्व ारा दिए गए एक निर्णय के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए।

न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति/पदमुक्ति/महाभियोग

- भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। 65 वर्ष की आयु के पूर्व भी वे राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर पद मुक्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनको अवकाश-प्राप्ति से पूर्व भी संसद् द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं। अभी तक इस प्रक्रिया द्वारा सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं गया है। लेकिन सौमित्र सेन राज्यसभा में महाभियोग झेलने वाले पहले न्यायाधीश जरुर हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है लेकिन राष्ट्रपति ऐसा आदेश साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर एक ही सत्र में विशेष बहुमत जो संसद् के प्रत्येक सदन की कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित तथा मत देने वालों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन पर ही दे सकता है।

उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र

सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को 5 वर्गों में बाँटा जा सकता है-

i) प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार

- उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता संविधान के अनुच्छेद 131 में वर्णित की गयी है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है वैसे मुकदमे जो किसी दूसरे न्यायालय में न जाकर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं। जैसे-
  - क) भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद
  - ख) केंद्र तथा एक या उससे अधिक राज्यों व एक अथवा उससे अधिक राज्यों के बीच होने वाले विवाद
  - ग) दो या उससे अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद
  - घ) मौलिक अधिकारों को कार्यान्वित करने से सम्बंधित विवाद

ii) अपीलीय क्षेत्राधिकार

- वे सभी मुकदमे जो सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख निचली अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील के रूप में आते हैं, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अन्दर आते हैं। इसके अंतर्गत तीन तरह की अपीलें सुनी जाती हैं- संवैधानिक, फौजदारी और दीवानी।
  - क) संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अपील तब सुन सकता है, जब वह इस बात को प्रमाणित कर दे कि इस मामले में कोई विशेष वैधानिक विषय है जिसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय में होना आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय स्वयंमेव इसी प्रकार का प्रमाणपत्र देकर अपील के लिए अनुमति दे सकता है।

ख) फौजदारी अभियोग में सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के निर्णय, अंतिम आदेश अथवा दंड के विरुद्ध अपील तभी की जा सकती है यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि इस पर निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया जाना आवश्यक है।

ग) दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील इन अवस्थाओं में हो सकती है- अ) यदि उच्चतम न्यायालय यह प्रमाणित करे कि विवाद का मूल्य 20,000 रु. से कम नहीं है, अथवा ब) मामला अपील के योग्य है; स) उच्च न्यायालय स्वयं भी फौजी अदालतों को छोड़कर अन्य किसी न्यायालय के विरुद्ध अपील करने की विशेष अनुमति दे सकता है।

iii) परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार

- संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श सम्बन्धी क्षेत्राधि कार भी प्रदान किया है। अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उपस्थित हुआ है जो सार्वजनिक महत्त्व का है तो उक्त प्रश्न पर वह सर्वोच्च न्यायालय परामर्श मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को स्वीकार करना या न करना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है।

iv) अभिलेख न्यायालय

- सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ है कि इसके द्वारा सभी निर्णयों को प्रकाशित किया जाता है तथा अन्य मुकदमों में उसका हवाला दिया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 129 घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उनको अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होगी।

v) रिट न्यायालय (Writ Court)

- मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को रिट अधिकारिता प्राप्त है। अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त इस अधिकारिता का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में राज्य के विरुद्ध उपचार प्रदान करने के लिए करता है। उच्चतम न्यायालय की इस अधिकारिता को कभी-कभी उसकी आरंभिक अधिकारिता माना जाता है। यह इस अर्थ में आरंभिक है कि व्यथित पक्षकार को उच्चतम न्यायालय को याचिका प्रस्तुत करके अभ्यावेदन करने का अधिकार है। उसे इस न्यायालय में अपील के माध्यम से आने की जरुरत नहीं है।

उपर्युक्त शक्तियों के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय को कुछ अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, जो निम्नलिखित हैं:-

क) यह अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के परामर्श से नियुक्त करने का अधिकार रखता है।

ख) राष्ट्रपति की स्वीकृति से यह न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया सम्बन्धी नियम बनाता है।

ग) राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के आदेशों का पालन करते समय किए गए खर्च सम्बन्धी सभी झगड़ों के लिए यह मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है।

घ) यह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव से सम्बंधित विवाद निपटाता है।

ड़) यह संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों को उसके पद से हटाने की सिफारिश करता है।

भारतीय न्यायिक प्रणाली के सामने चुनौतियां

- न्यायपालिका में भ्रष्टाचार: सरकार की किसी भी अन्य संस्था की तरह भारतीय न्यायिक प्रणाली भी समान रुप से भ्रष्ट है। हाल ही में हुए विभिन्न घोटालों जैसे सीडब्ल्यूजी घोटाला, 2जी घोटाला, आदर्श सोसायटी घोटाला और बलात्कार सहित समाज में हो रहे अन्य अत्याचारों ने नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों और आम जनता सभी के आचरण पर जोर डाला है और भारतीय न्यायपालिका के काम के तरीकों में भी कमियां दिखाई हैं। यहां जवाबदेही की कोई व्यवस्था नहीं है। मीडिया भी अवमानना के डर से साफ तस्वीर पेश नहीं करता है। रिश्वत लेने वाले किसी जज के खिलाफ बिना मुख्य न्यायाधीश की इजाजत के एफआईआर दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है।
- लंबित मामलों का बैकलॉग: भारतीय कानून प्रणाली में दुनिया में सबसे ज्यादा लंबित मामलों का बैकलॉग है जो कि लगभग 30 मिलियन मामलों का है। इनमें से 4 मिलियन हाई कोर्ट में, 65000 सुप्रीम कोर्ट में हैं। यह आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी से कानून प्रणाली की अयोग्यता का पता चलता है। जजों की संख्या बढ़ाने, और ज्यादा कोर्ट बनाने की बात हमेशा की जाती है, पर इसे लागू करने में हमेशा देर या कमी होती है।
- पारदर्शिता की कमी: भारतीय न्यायिक प्रणाली की एक और समस्या उसमें पारदर्शिता की कमी है। यह देखा गया है कि सूचना के अधिकार को पूरी तरह से कानून प्रणाली से बाहर रखा गया है। इसलिए न्यायपालिका के कामकाज में महत्वपूर्ण मुद्दों, जैसे न्याय और गुणवत्ता को ठीक से नहीं जाना जाता है।
- विचाराधीन कैदियों की मुश्किलें: भारतीय जेलों में बंद कैदियों में से ज्यादातर विचाराधीन हैं जो कि उनके मामलों के फैसले आने तक जेल में ही बंद रहते हैं। कुछ मामलों में तो ये कैदी अपने ऊपर दायर मामलों की सजा से ज्यादा का समय सिर्फ सुनवाई के इंतजार में ही जेल में निकाल देते हैं। इसके अलावा अदालत में खुद के बचाव का खर्च और दर्द वास्तविक सजा से भी ज्यादा होता है। वहीं दूसरी ओर अमीर लोग पुलिस को अपनी ओर कर लेते हैं जिससे पुलिस अदालत में लंबित मामले के दौरान गरीब व्यक्ति को परेशान या चुप कर सकती है।
- समाज से परस्पर संवाद नहीं: यह बहुत जरुरी है कि किसी भी देश की न्यायपालिका समाज का अभिन्न अंग हो और उसका समाज से नियमित और प्रासंगिक परस्पर संवाद होता रहे। कुछ देशों में न्यायिक निर्णयों में आम नागरिकों की भी भूमिका होती है।

CS World Committed to Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सत्य नहीं है/हैं?

1. उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं जो नागरिकों के केवल मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं।
2. उच्च न्यायालय उन मुद्दों पर रिट जारी कर सकते हैं जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ-साथ अन्य कारणों से भी संबंधित हैं।
3. भारत के उच्चतम न्यायालय की तुलना में उच्च न्यायालयों के लिए रिट के संबंध में अधिकार क्षेत्र व्यापक है।
4. उच्चतम न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार को संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कभी कम नहीं किया जा सकता है।

कूट :

(a) केवल 1
(b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 4
(d) इनमें से कोई नहीं

2. निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के संबंध में सत्य नहीं है/हैं?

1. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से महाभियोग के द्वारा उनके वर्तमान कार्यकाल से हटाया जा सकता है।
2. हटाने जाने के केवल दो आधार हैं: अक्षमता या दुर्व्यवहार साबित होने पर।
3. अब तक, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा हटाया नही गया है।
4. न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम (1968) द्वारा विनियमित है।

कूट :

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 4
(d) इनमें से कोई नहीं

3. बन्दी-प्रत्यक्षीकरण से आप क्या समझते है?

(a) गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष लाया जाना चाहिए और अगर गिरफ्तारी के आधार दोषपूर्ण पाए जाते हैं तो व्यक्ति को स्वतंत्र करने का अधिकार है।
(b) यह तब जारी किया जाता है जब एक अधिकारी को अपने कर्तव्यों का दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है।
(c) यह उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किया जाता है जब उन्हें लगता है कि निचली अदालतों ने अधिकार क्षेत्र की अपनी शक्तियों से परे निर्णय लिया है।
(d) यह तब जारी किया जाता है जब अदालत को पता चलता है कि अधिकारी अवैध रूप से कथित पद पर कार्यरत है।

नोट : 19 मई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b), 2(d), 3(a) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. न्यायालय में लंबित पड़े मामले तथा समय पर न्याय की प्राप्ति न होना, न सिर्फ न्यायिक अधिकारों का हनन है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का भी हनन है। इस कथन के सन्दर्भ में वर्तमान में लंबित मामलों को देखते हुए न्यायिक प्रक्रिया में आवश्यक सुधारों हेतु तर्क सहित उपाय सुझाएं। (250 शब्द)

The pending cases in the court and failure to get justice at time is not only the abuses of judicial rights but also democratic values. Presenting pending matters in relation to this statement, please give your opinion for necessary reforms in the judicial process. (250 words)

एक गवर्नर को क्या करना चाहिए?

22 मई, 2018

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

लेखक - कपिल सिब्बल (पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता)

''सर्वोच्च न्यायालय को अब संस्थान को राजनीतिक तंत्र से बचाने के लिए खुद को संबोधित करना होगा।''

इसमें कोई संदेह नहीं था कि चुनाव के बाद कांग्रेस-जेडी (एस) गठबंधन बड़ी संख्या के साथ थी। केवल 104 के साथ बीजेपी संदिग्ध उपायों (सरकार बनाने के लिए) को छोड़कर बहुमत का निर्माण नहीं कर सका। ऐसी परिस्थितियों में, संवैधानिक अधिकारियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वें कार्यालय की शपथ के अनुसार कार्य करे और स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करने के बजाय संविधान की रक्षा और उसकी गरिमा को बनाए रखे।

राज्यपाल के पद का उपयोग और दुरुपयोग सन 1980 के दशक में विपक्ष की राजनीति में व्यापक विवाद का विषय बना। वह संवाददाताओं के लिए बेहतरीन वक्त था। खासतौर पर उस समय जब आंध्र प्रदेश के राज्यपाल राम लाल ने एनटी रामाराव की निर्वाचित और बहुमत वाली सरकार को बर्खास्त करके एन भास्कर राव को सत्ता की कुर्सी पर बिठा दिया। उनके इस कदम को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्पष्ट मंजूरी हासिल थी।

इस आलेख में गवर्नर द्वारा संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन करने के फैसले की जांच की गयी है जिसमें सबसे पहला, गवर्नर को नरेंद्र मोदी-अमित शाह के कठपुतली के रूप में देखा जा रहा है, चाहे मामला गोवा, मणिपुर या मेघालय या अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड का हो, हर जगह गवर्नर को कठपुतली के रूप में इस्तेमाल किया गया है।

इन राज्यों में भाजपा अकेली सबसे बड़ी पार्टी नहीं थी किन्तु उसने क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर चुनाव के पश्चात गठबंधन किया और अपनी सरकार बनाई तथा उच्चतम न्यायालय ने इस संदर्भ में गोवा राजभवन के निर्णय को वैध बताया था।

दूसरा और शायद अधिक गंभीर कि इस वजह से आम आदमी पर काफी प्रभाव पड़ेगा। आज लोग चुनावी राजनीति की प्रकृति को समझने लगे हैं। लेकिन जब वे संस्थानों को निरंतर विचलित होते देखते हैं, तब उनका न केवल संस्थानों पर से, बल्कि लोकतंत्र पर से भी विश्वास उठ जाता हैं, जो वास्तव में चिंताजनक है।

चिंता का तीसरा तत्व वह तरीक़ा है जिसमें राज्यपाल ने 17 मई को बी एस येदियुरप्पा को शपथ ग्रहण कराने का फैसला किया और बाद में विधानसभा के फ्लोर पर अपना बहुमत साबित कर दिया। यह फैसला देर शाम को लिया गया था।

राज्यपाल को पता था कि कांग्रेस-जेडी (एस) गठबंधन द्वारा इस आदेश को चुनौती देने की संभावना है और अगली सुबह 9 बजे शपथ ग्रहण कराने के बाद, यह अदालत के लिए भी मुश्किल हो जाता कि वह इस मुद्दे में हस्तक्षेप करे। सौभाग्य से, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई का आदेश दे दिया।

कांग्रेस ने जिस तरह आनन-फानन में जनता दल-सेक्युलर को समर्थन देने की घोषणा की, उसे देखते हुए बीएस येद्दयुरप्पा के नेतृत्व में सरकार गठन की संभावनाएं समाप्त सी हो गई थीं, लेकिन राज्यपाल ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाकर इन संभावनाओं को फिर उभार दिया था।

उन्होंने येद्दयुरप्पा को न केवल सरकार गठन के लिए आमंत्रित किया, बल्कि उन्हें बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय भी दे दिया। चूंकि बहुमत परीक्षण के लिए जरूरत से ज्यादा समय दिया गया, इसलिए इस आशंका को बल मिला कि उन्हें जोड़-तोड़ के लिए मौका दिया जा रहा है।

कांग्रेस राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई और वहां उसे राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने येद्दयुरप्पा को 15 दिन के बजाय अगले 30 घंटों में बहुमत साबित करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से येद्दयुरप्पा का काम और कठिन हो गया। यह अच्छा हुआ कि उन्होंने शक्ति परीक्षण के पूर्व एक भावुक भाषण देकर त्यागपत्र देने की घोषणा की।

विश्वास मत प्रस्ताव पेश करने के पहले ही येद्दयुरप्पा के त्यागपत्र की घोषणा काफी कुछ वैसी ही रही जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने 13 दिन तक सरकार चलाने के बाद की थी। येद्दयुरप्पा का इस्तीफा यह बताता है कि उनके पास इसके अलावा और कोई उपाय नहीं रह गया था और उन दावों में कोई दम नहीं था कि उनके पास पर्याप्त संख्याबल है और वे अवश्य बहुमत जुटा लेंगे।

सरकारिया आयोग की सिफारिशों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि गठबंधन राजनीति के तौर-तरीके तय किए जाएं। अभी तो गठबंधन राजनीति के नाम पर मनमानी राजनीति की जा रही है और एक तरह से जनता के साथ छल किया जा रहा है।

राज्यपाल की नियुक्ति के लिए उसके गैर-राजनीतिक होने की शर्त का पालन शुरू से ही नहीं हुआ। न उसके सामाजिक कद या निर्विवाद होने के नियम को कभी ध्यान में रखा गया। बाद में तो स्थिति यहां तक बिगड़ गई कि एक दिन पहले ही जो मंत्री या मुख्यमंत्री है, दूसरे दिन वह राजभवन की शोभा बढ़ा रहा है। असंवैधानिक होने के लिए इस तरह के गठन को आयोजित करने वाले न्यायिक फैसले को प्रस्तुत करना असंभव होगा।

सीखने के लिए दो सबक हैं। सबसे पहला, राज्यपाल की संस्था को राजनीतिक दलों की तंत्रों से संरक्षित किया जाना चाहिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को, एक बार और सभी के लिए, ऐसी स्थितियों में गवर्नरों की भूमिका पर स्पष्ट फैसला देना चाहिए। राजनीतिक नैतिकता में गिरावट के इस युग में, संवैधानिक मूल्य संकट में हैं। इसलिए ऐसे मामलों में, अदालतों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए।

* * *

क्या है मामला?

- हाल ही में कर्नाटक में हुए चुनाव के बाद राज्यपाल वजुभाई वाला, भाजपा तथा कांग्रेस-जद (एस) के बीच चले खेल ने हमारे शासकों के लोकतांत्रिक स्वभाव को उजागर कर दिया है। राजनीतिक स्तर पर शासन प्रत्यक्ष-परोक्ष सौदेबाजी का साधन बन गया है। संवैधानिक स्तर पर बेंगलूर की घटनाओं ने राज्यपाल की भूमिका पर पुन: प्रश्न चिह्न लगा दिया है।
- इस संवैधानिक संकट की शुरूआत राज्यपाल द्वारा भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने और उसे अपना बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय देने के साथ हुई। भाजपा विधानसभा में अकेली सबसे बड़ी पार्टी है। उसके 104 विधायक हैं किन्तु उसके पास बहुमत से 8 विधायक कम हैं।

राज्यपाल

- अनुच्छेद 153 के अनुसार हर एक राज्य में एक राज्यपाल होना जरुरी होता है

कैसे चुने जाते हैं राज्यपाल?

- राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5वर्षों की अवधि के लिए की जाती है

कौन दिलाता है शपथ?

- उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश

क्या राज्यपाल को हटाया या स्थान्तरित भी किया जा सकता है?

- जी हाँ राष्ट्रपति अगर चाहे तो राज्यपाल को अवधि से पहले ही हटा सकते हैं या फिर दूसरे राज्य में परिवर्तन कर सकते हैं अनुच्छेद 156 के अनुसार

राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए?

1. भारत का नागरिक होना चाहिए
2. कम से कम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए
3. संसद अथवा राज्य के किसी भी विधानमंडल का सदस्य न हो
4. किसी भी लाभ के पद पर न हो
5. राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए
6. राज्य के स्थानीय घनिष्ठ राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए

राज्यपाल की प्रमुख संवैधानिक शक्तियाँ

- अनुच्छेद 153 में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा।
- अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी।
- अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन है।
- अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि निर्धारित की गई है।
- अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को मिली क्षमादान आदि शक्तियों का उल्लेख है।
- अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिये राज्यों में एक मंत्रिपरिषद एवं इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा, लेकिन राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी कार्यों में वह मंत्रिपरिषद के सुझाव लेने के लिये बाध्य नहीं होगा।
- अनुच्छेद 164(1) में मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को दिया गया है।
- अनुच्छेद 213(1) में राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन है।

स्वविवेकीय शक्तियाँ

- कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है और ऐसे मामलों में वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करता है।
- विदित हो कि भारतीय संविधान में केवल राज्यपाल को ही स्वविवेक की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, लेकिन संविधान में इन शक्तियों को परिभाषित नहीं किया गया है और इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल के पास कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं तथा न्यायालय इन शक्तियों पर प्रश्नचिह्न नहीं लगा सकता।
- राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर आसीन होने के बाद किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
- 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति के लिये मंत्रियों की सलाह की बाध्यता तय कर दी गई, लेकिन राज्यपाल के लिये इस तरह का कोई उपबंध नहीं है।

बोम्मई फैसला

- सर्वोच्च न्यायालय के कई ऐसे फैसले हैं, जिनका समाज और राजनीति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इन्हीं में से एक है- 11 मार्च, 1994 को दिया गया राज्यों में सरकारें भंग करने की केंद्र सरकार की शक्ति को कम करने वाला ऐतिहासिक फैसला।
- सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय ने केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 356 के व्यापक दुरुपयोग पर विराम लगा दिया।
- धारा 356 के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिये दिये गए इस फैसले को बोम्मई जजमेंट के नाम से जाना जाता है।
- कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस.आर. बोम्मई के फोन टैपिंग मामले में फँसने के बाद तत्कालीन राज्यपाल ने उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुँचा था।
- नजीर माने जाने वाले इस फैसले में न्यायालय ने कहा, ''किसी भी राज्य सरकार के बहुमत का फैसला राजभवन की जगह विधानमंडल में होना चाहिये। राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले राज्य सरकार को शक्ति परीक्षण का मौका देना होगा।''
- इस मामले में 9-सदस्यीय संविधान पीठ ने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संदर्भ में दिशा-निर्देश तय किये।

राज्यपालों की भूमिका पर समितियों व आयोगों की अनुशंसाएँ

- केंद्र-राज्यों के संबंधों पर अब तक तीन आयोग और दो समितियाँ गठित की जा चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद राज्यपाल का पद विवाद से बाहर नहीं आ पाया है। 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग, 1969 में राजमन्नार समिति, 1970 में भगवान सहाय समिति और 1988 में सरकारिया आयोग तथा 2011 में पुंछी आयोग ने राज्यपालों की भूमिका को लेकर कई प्रकार की सिफारिशें दी थीं।
- राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श से हो इसके लिये संविधान के अनुच्छेद 155 में संशोधन किया जाए।
- राज्यपाल द्वारा अपने स्वविवेक के अधीन प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का पर्याप्त स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये।
- इस संवैधानिक प्रावधान को तत्काल निरस्त कर देना चाहिये कि मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगी।
- विधानसभा में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल को विधानसभा का अधिवेशन बुलाना चाहिये और अधिवेशन में बहुमत से चुने गए व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करना चाहिये।

- राज्यपाल के पद पर नियुक्त किये जाने वाला व्यक्ति किसी दूसरे राज्य से होना चाहिये।
- राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाने वाले व्यक्ति ने राजनीति, विशेषकर उस राज्य की राजनीति में अधिक भाग न लिया हो।
- जिस राज्य में विपक्षी दल की सरकार हो वहाँ केंद्र में शासक दल के किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये।

सरकारिया आयोग

- सरकारिया आयोग का गठन जून, 1983 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजिन्दर सिंह सरकारिया थे। इसका कार्य भारत के केन्द्र-राज्य सम्बन्धों से सम्बन्धित शक्ति संतुलन पर अपनी संस्तुति देना था।
- कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.आर. बोम्मई ने अपनी सरकार की बर्खास्तगी को 1989 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और राज्य विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने के उनके आग्रह को राज्यपाल द्वारा ठुकरा देने के निर्णय पर सवाल उठाया था।
- सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय एक पीठ ने बोम्मई मामले में मार्च, 1994 में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया और राज्यों में केंद्रीय शासन लागू करने के संदर्भ में दिशा-निर्देश तय कर दिये थे।
- न्यायमूर्ति राजिन्दर सिंह सरकारिया ने केंद्र-राज्य संबंधों और राज्यों में संवैधानिक मशीनरी ठप हो जाने की स्थितियों की व्यापक समीक्षा की और 1988 में सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में उन्होंने इस संदर्भ में समग्र दिशा-निर्देश सामने रखे।

राज्यपाल के सम्बंध में सिफारिशें

- राज्यपाल के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति को राज्य, जिसमें वह नियुक्त किया जाए, के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए तथा उसे राज्य की राजनीति में रुचि नहीं रखना चाहिए। उसे ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जो सामान्य रूप से या विशेष रूप से नियुक्त किये जाने के पहले राजनीति में सक्रिय भाग न ले रहा हो।
- राज्यपाल का चयन करते समय अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को समुचित अवसर दिया जाना चाहिए।
- राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति का चयन करते समय राज्य के मुख्यमंत्री से प्रभावी सलाह लेने की प्रक्रिया को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए।
- किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, जो कि केन्द्र में सत्तारूढ़ का दल का सदस्य हो, जिसमें शासन किसी अन्य दल के द्वारा चलाया जा रहा हो।
- यदि राजनीतिक कारणों से किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था टूट रही हो, तो राज्यपाल को यह देखना चाहिए कि क्या उस राज्य में विधानसभा में बहुमत वाली सरकार का गठन हो सकता है।
- यदि नीति सम्बन्धी किसी प्रश्न पर राज्य की सरकार विधानसभा में पराजित हो जाती है तो शीघ्र चुनाव कराये जा सकने की स्थिति में राज्यपाल को चुनाव तक पुराने मंत्रीमण्डल को कार्यकारी सरकार के रूप में कार्य करते रहने देना चाहिए।
- यदि राज्य सरकार विधानसभा में अपना बहुमत खो देती है तो राज्यपाल को सबसे बड़े विरोधी दल को सरकार बनाने का आमंत्रण देना चाहिए, और विधानसभा में बहुमत साबित करने का निर्देश देना चाहिए। यदि सबसे बड़ा दल सरकार गठित करने की स्थिति में न हो, तो राज्यपाल को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करनी चाहिए।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. 7 वें संविधान संशोधन 1956 के तहत एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
2. राज्यपाल राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है।
3. संविधान का भाग-VI जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू नहीं है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) 1 और 3
(c) 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

2. निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी को सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (AFSPA) के तहत एक क्षेत्र को अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित करने की शक्ति प्राप्त है?

(a) भारत के राष्ट्रपति
(b) राज्य के गवर्नर
(c) (a) और (b) दोनों
(d) सशस्त्र बलों को

3. निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यपाल के कार्यकाल की शर्तों के बारे में सत्य नहीं है?

1. एक राज्यपाल अन्य राज्य के राज्यपाल के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए लोकसभा या राज्यसभा या राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में कार्य कर सकता है।
2. राज्यपाल को किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
3. एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
4. राज्यपाल अपने आधिकारिक कृत्यों के संबंध में किसी भी देनदारियों से व्यक्तिगत रूप से प्रतिरक्षित है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए-

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 3 (d) उपर्युक्त सभी

नोट : 21 मई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d), 2(d), 3(a) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलने और सरकार बनाने के समर्थन के आरोपों के बीच राज्यपाल पद का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया। राज्यपाल के कार्यों का उल्लेख करते हुए बताये कि क्या राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति का एक साधन बन गया है? चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

In the Karnataka assembly elections, the issue of the Governor's position once again came to the limelight between the allegations of no party getting majority and the support for the formation of the government. Describing the functions of the governor state that whether the office of the governor has become a means of fulfilling the political objectives of the central government? Discuss. (250 Words)

GS World Committed To Excellence

निपा वायरस : एक गंभीर समस्या

23 मई, 2018

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) से संबंधित है।

*''हाल ही में, केरल के कोझीकोड में सरकार ने एक अज्ञात इन्फेक्शन के चलते हाई अलर्ट घोषित कर दिया है, जिसमें पाया गया कि यह रहस्यमय मौतें 'निपा वायरस' के अटैक के कारण हो रही है।'' इस कथन के संदर्भ में अंग्रेजी समाचार पत्र **'द हिन्दू' और 'इंडियन एक्सप्रेस'** में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे **GS World** टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध कराकर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।*

द हिन्दू
(निपा परीक्षण)

''घातक प्रकोप को सीमित करने के लिए संक्रमण नियंत्रण की सदियों पुरानी प्रथाएं महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।''

केरल के कोझिकोड के आसपास घातक निपा वायरस (एनआईवी) का प्रकोप सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति का प्रतिक्रिया देने की भारत की क्षमता का एक परीक्षण है। वर्ष 2018 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निपा को 10 प्राथमिकता वाले रोगजनकों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है, जो तत्काल शोध की आवश्यकता को जाहिर करते हैं, ताकि इस घातक वायरस और इसके खिलाफ उपलब्ध दवाओं की कमी को दूर किया जा सके।

एक आरएनए (राइबोन्यूक्लिक एसिड) वायरस के रूप में, निपा के उत्परिवर्तन की असाधारण दर है यानी, यह आसानी से इंसानों के बीच अधिक कुशलतापूर्वक फैलने के लिए अनुकूल हो सकती है। इस तरह के अनुकूलन के साथ यह वास्तव में एक खतरनाक सूक्ष्मजीव के रूप में खुद को प्रदर्शित करता है।

निपा से अब तक 70% लोगों की जान जा चुकी है, जो इससे संक्रमित थे। शुक्र है, दक्षिण एशिया में अब तक के अधिकांश प्रकोपों में वायरस ने 'संचरण की धीमी श्रृंखला' को प्रदर्शित किया है। निपा वायरस को 'निपा वायरस एन्सेफलाइटिस' भी कहा जाता है।

निपा वायरस मनुष्यों के संक्रमित सुअर, चमगादड़ या अन्य संक्रमित जीवों से संपर्क में आने से फैलता है। यह वायरस एन्सेफलाइटिस का कारण बनता है। यह इंफेक्शन फ्रूट बैट्स के जरिए लोगों में फैलता है। खजूर की खेती करने वाले लोग इस इंफेक्शन की चपेट में जल्दी आते हैं। 2004 में इस वायरस की वजह से बांग्लादेश में काफी लोग प्रभावित हुए थे।

इसका नेचुरल होस्ट फ्रूट बैट (चमगादड़) होता है जिससे एक बार वायरस फैलने के बाद, यह मनुष्यों के लिए, मुख्य रूप से इस वायरस से संक्रमित मरीजों के साथ घनिष्ठ संपर्क में रह रहें लोगों को, जैसे अस्पताल के कर्मचारियों और परिवार के सदस्य जो मरीज के साथ हमेशा संपर्क में रहते है, उनका भी इसकी चपेट में आने की संभावना अधिक हो जाती है। प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चला है कि कोझिकोड में आया यह प्रकोप भी संचरण की धीमी श्रृंखला को प्रदर्शित कर रहा है।

अब तक निपा के कारण मरने वाले 11 लोगों की पुष्टि हुई है, जिसमें से तीन एक ही परिवार से थे। हालांकि शोधकर्ता अभी भी जांच कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ और शोधकर्ताओं का शक परिवार के बगल में पाए गये कुएं में रह रहे चमगादड़ों पर ज्यादा है।

यह उपमहाद्वीप में ऐतिहासिक रूप से शुरू होने के तरीके के साथ फिट बैठता है। भारत में सबसे पहले यह वायरस जनवरी 2001 में सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) में फैला था, जबकि अप्रैल, 2007 में पश्चिम बंगाल के नादिया तक पहुंच गया था।

संक्रमण की अगली लहर ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ संपर्कों और देखभाल करने वालों, जैसे नर्सों के बीच हुई है; कोझिकोड में भी वही पैटर्न पाया गया है। लेकिन ये प्रारंभिक रिपोर्ट हैं और इसलिए, आने वाली नई जानकारी वर्तमान वायरस के बारे में जो कुछ हम जानते हैं उसे बदल सकती है। संक्रमण के लक्षण वाले कई रोगी अवलोकन में हैं। जब नैदानिक जांच पूरी हो जाती है, तो यह निर्धारित किया जा सकता है कि वायरस वास्तव में कितना संक्रामक है।

इंडियन एक्सप्रेस
(निपा वायरस)

केरल के कोझीकोड और मालापुरम जिले में निपा वायरस के चलते 2 सप्ताह में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। पुणे विरोलॉजी इंस्टीट्यूट ने दो ब्लड सैंपल्स की जांच के बाद उनमें निपा वायरस होने की बात कही है।

केरल के कोझीकोड जिले में निपा वायरस से तीन लोगों की मौत के मामले की जांच के लिये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित चिकित्सकों के एक उच्च स्तरीय दल को वहां भेजा गया है। मंत्रालय ने नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (एनसीडीसी) के निदेशक के नेतृत्व में एक मल्टी डिसिप्लीनरी टीम का गठन किया है।

यह एक ऐसा इंफेक्शन है जो फ्रूट बैट्स के जरिए मनुष्यों के अलावा जानवरों को भी अपनी चपेट में ले लेता है। सबसे पहले साल 1998 में पहली बार मलेशिया के कांपुंग सुंगई निफा में इसके मामले सामने आए थे। यह इंफेक्शन सबसे पहले सुअरों में देखा गया लेकिन बाद में यह वायरस इंसानों तक भी पहुंच गया। साल 2004 में बांग्लादेश में इंसानों पर निपा वायरस ने हमला करना शुरू किया।

देखा जाये तो इस बीमारी में मरने वालों की संख्या बहुत अधिक है, जिसके कारण इसे नजरअंदाज करना अत्यधिक भारी पड़ सकता है। भारत में पिछले दो प्रकोपों में, पश्चिम बंगाल में, 2001 में सिलीगुड़ी में 72 मामलों में से 42 मौतें हुई थीं और 30 में से पांच मौतें 2007 में नादियाँ में हुए थे।

निपा वायरस खजूर की खेती करने वाले लोग फ्रूट बैट की चपेट में आ जाते हैं, जिससे एक शख्स से दूसरे शख्स में यह वायरस फैलता है। निफा वायरस के शुरुआती दौर में पीड़ित शख्स को सांस लेने की दिक्कत के साथ इंसेफ्लाइटिस जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस बीमारी से पीड़ित शख्स को इंटेंसिव सपोर्ट केयर के जरिए देखभाल की जाती है।

अगर यह पाया जाता है कि इसका संक्रमण व्यापक है, तो अधिकारियों को इसके विस्तार से निपटने के लिए बेहतर रणनीतियों के साथ तैयार रहना होगा। अच्छी खबर यह है कि केरल के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों ने अब तक असाधारण दक्षता के साथ काम किया है।

डब्ल्यूएचओ के अनुसार, रिबावार्नी रोग से जुड़ी उल्टी और बेहोसी के लक्षणों को कम कर सकती है। संक्रमित व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती और अलग रखने की आवश्यकता है। मानव-से-मानव संचरण को रोकने के लिए विशेष देखभाल की जानी चाहिए। वायरस का पता लगाने और उचित नियंत्रण उपायों को शुरू करने के लिए निगरानी प्रणाली की स्थापना की जानी चाहिए।

वायरस का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। इसके खिलाफ सबसे अच्छा बचाव संक्रमण नियंत्रण के पुराने सिद्धांत हैं, जिसमें भारतीय अस्पतालों ने अभी तक महारत हासिल नहीं की है। केरल के स्वास्थ्य अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन सिद्धांतों को व्यापक रूप से अपनाया जाए और इस पर नियंत्रण किया जा सके।

इससे पीड़ित लोगों के ब्रेन में सूजन आ जाती है। बुखार, सिरदर्द, उल्टी और चक्कर आना भी इस इंफेक्शन के लक्षण हैं। इस वायरस से पीड़ित व्यक्ति कोमा में जा सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। यह इंफेक्शन इतना खतरनाक है कि इससे पीड़ित व्यक्ति 24 से 28 घंटों में कोमा में पहुंच सकता है।

इस वायरस से बचाव के लिए रिबावायरिन नामक दवाई का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला इंफेक्शन है इसलिए इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनानी चाहिए या अधिक सावधानी बरतने से ही इस खतरनाक वायरस से बचा जा सकता है।

GS World टीम...

क्या होता है निपा वायरस?

- निपा वायरस, मनुष्यों और जानवरों में फैलने वाला एक गंभीर इंफेक्शन है। यह वायरस एन्सेफलाइटिस का कारण बनता है। निपा वायरस, हेंड्रा वायरस से संबंधित है, जो घोड़ों और मनुष्यों के वायरल सांस संक्रमण से संबंधित होता है।
- यह इंफेक्शन फ्रूट बैट्स के जरिए लोगों में फैलता है। खजूर की खेती करने वाले लोग इस इंफेक्शन की चपेट में जल्दी आते हैं। 2004 में इस वायरस की वजह से बांग्लादेश में काफी लोग प्रभावित हुए थे।

कैसे फैलता है निपा वायरस?

- निपा वायरस वास्तव में सबसे पहले चमगादड़ों में आता है। इसके बाद यह फलों यानी फ्रूट्स तक पहुंचता है। जब इंसान इन फलों का सेवन करता है तो ये उसके शरीर में पहुंच जाता है।

कब लगा था पता?

- सबसे पहले इस वायरस की जानकारी करीब 20 साल पहले 1998 में मलेशिया के काम्पुंग सुंगेई निपा में मिली थी। बाद में इस जगह के नाम पर ही इस वायरस को वहां के डॉक्टरों ने निपा नाम दे दिया। मेडिकल टर्म में छपट कहा जाता है। खास बात ये है कि मलेशिया में सुअरों में भी यह वायरस पाया गया था। 2004 में बांग्लादेश में भी इसके मरीज पाए गए थे।

  तब ये पता लगा था कि ताड़ी पीने की वजह से यह बीमारी फैल रही है। बाद में पता लगा कि इंसान से इंसान में भी यह वायरस पहुंचता है। हालांकि, यह पहला मौका है जब भारत में इसके केस सामने आए हों। भारत में कैसे हुई पुष्टि?
- केरल में इस वायरस के फैलने का शक होने पर कुछ मरीजों के ब्लड सैम्पल नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट पुणे भेजे गए। वहां से पता लगा कि यह निपा वायरस ही है। केरल सरकार की गुजारिश पर हेल्थ मिनिस्ट्री तीन एक्सपर्ट्स की टीम केरल पहुंच गई है। माना जा रहा कि केरल में ताड़ी या जमीन पर गिरे फल खाने से ही यह बीमारी इंसानों तक पहुंची होगी।

कैसे होते हैं लक्षण?

- इस वायरस से ग्रसित होने पर सांस लेने में गंभीर दिक्कत होती है। इसके अलावा दिमाग या सिर में तेज जलन और दर्द होता है।

क्या है इलाज?

- फिलहाल, इस वायरस से निपटने के लिए किसी तरह का वैक्सीन नहीं है। संबंधित दवाओं से ही इसका इलाज किया जा रहा है।

कैसे बच सकते हैं?

- सुअरों या चमगाड़ों से दूर रहें। ताड़ी जैसे नशीले पदार्थों से बिल्कुल दूर रहें। जमीन पर गिरे फल ना खाएं। सांस लेने में दिक्कत या सिर में जलन या तेज दर्द होने पर अपने डॉक्टर से संपर्क करें।

जूनोसिस

- ग्रीक भाषा का एक शब्द है- Zoion/जोईऑन। इसका अर्थ होता है- पशु और इस जोईऑन से कई अन्य ऐसे अंग्रेजी के शब्द बने हैं जो हम आम बोलचाल की भाषा में भी यूज करते हैं। जैसे, जू, जुओलॉजी, जूटोपिया आदि, इन सभी शब्दों में जीवन या प्राणियों की बात होती है।

विषाणु

- विषाणु अकोशिकीय अतिसूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं, शरीर के बाहर तो ये मृत-समान होते हैं परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं। इन्हे क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा किया जा सकता है।
- एक विषाणु बिना किसी सजीव माध्यम के पुनरुत्पादन नहीं कर सकता है। यह सैकड़ों वर्षों तक सुशुप्तावस्था में रह सकता है और जब भी एक जीवित माध्यम या धारक के संपर्क में आता है, उस जीव की कोशिका को भेद कर आच्छादित कर देता है और जीव बीमार हो जाता है।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. हाल ही में समाचारों में चर्चित निपा वायरस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए–

1. यह वायरस साधारणत: जानवरों से इंसानों में फैलता है।
2. भारत में इस वायरस का सबसे पहला मामला, 2001 में सिलिगुड़ी (पश्चिम बंगाल) में देखा गया था।
3. इस वायरस की सबसे पहली पहचान 1998 में मालदीव के निपा इलाके में हुई थी।
4. इस वायरस का मुख्य स्रोत फल खाने वाली चमगादड़ है, जिन्हें Fruit Bat भी कहते है।

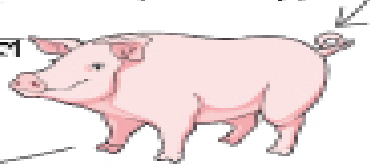

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 1 और 4 (b) 1, 3 और 4
(c) 1, 2 और 4 (d) उपर्युक्त सभी

2. हाल ही में निपा वायरस (दिमागी बुखार) की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो गई। यह वायरस हाल ही में किस राज्य में चर्चा का विषय रहा?

(a) कर्नाटक
(b) केरल
(c) आन्ध्र प्रदेश
(d) बिहार

नोट : 22 मई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d), 2(c), 3(a) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. पिछले कुछ दिनों से दक्षिण भारत के राज्यों में निपा वायरस का कहर देखा जा रहा है। इसकी तीव्रता को स्पष्ट करते हुए यह बताए कि इसके फैलने के लिए कौन-कौन से जिम्मेदार कारक है। अभी तक सरकार इससे निपटने के लिए कौन-से कदम उठायी है। सविस्तार बताऐ। (250 शब्द)

The havoc of Nipah virus is seen in the states of South India from few days. Which factors are responsible for its spread by explaining its intensity? What steps have been taken by Government till how to deal with this. Elaborate. (250 Words)

21वीं शताब्दी में प्राकृतिक पूंजी

24 मई, 2018

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

लेखक - फिरोज वरुण गांधी (संसद सदस्य, भाजपा)

विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ साल पहले भारत को वायु प्रदूषण के कारण सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 8.5% अर्थात 550 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा था; इस हिसाब से जल प्रदूषण और भूमि क्षरण जैसे बाह्य कारक की लागत संभवत: और अधिक होगी। कमोडिटी निर्यात के माध्यम से, हम प्रभावी ढंग से प्राकृतिक व्यापार को अपने व्यापार भागीदारों को स्थानांतरित करते हैं, जिससे मरुस्थलीकरण का खतरा बढ़ जाता है और जमीन में काफी गिरावट आती है।

एक शताब्दी के भीतर, यदि इन प्रवृत्तियों को जारी रखा जाता है तो हमारे खाद्य उत्पादन में 10-40% की कमी देखी जा सकती है। इसलिए जब हम सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के बारे में आवाज उठाते हैं, तो हमें अपने राष्ट्रीय खातों में प्राकृतिक पूंजी में गिरावट पर भी विचार करना चाहिए।

अनुमान लगाना एक चुनौती है

अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में एक वर्ष से अधिक धन अर्जित करने के लिए राष्ट्रीय खाता रखने का विचार स्वीकार किया जाता है। संभावित और वास्तविक आर्थिक उत्पादन के बीच के अंतर को हाइलाइट करते हुए, ऐसे राष्ट्रीय खाते (सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल बचत) अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का एक उपाय प्रदान करते हैं और सामाजिक-आर्थिक नीतियों का आधार बनाते हैं।

सकल घरेलू उत्पाद की गणना से देश में आर्थिक गतिविधि का संकेत मिलता है और बढ़ती सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अक्सर अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा की ओर अग्रसर होती है। हालांकि, ऐसे अनुमान अक्सर प्राकृतिक पूंजी में बदलाव को निरंतर और अविभाज्य मानते हुए बहिष्कृत करते हैं। ऐसी प्राकृतिक पूंजी अक्सर आत्म-उत्पादित (पानी, स्वच्छ हवा) होती है, लेकिन ह्रास से बचने के लिए एक स्थायी तरीके से संभालने की जरूरत है।

प्राकृतिक पूंजी अन्य पारिस्थितिक तंत्र जैसे मत्स्य पालन और जंगलों को कवर कर सकती है, अन्य छिपी और अनदेखी सेवाओं के अलावा - उदाहरण के लिए, मिट्टी, नाइट्रोजन निर्धारण, पोषक तत्व रीसाइक्लिंग, परागण और समग्र जलविद्युत चक्र। इनके बाजार मूल्य का अक्सर शून्य हो जाने के साथ इस तरह के पारिस्थितिक तंत्र का मूल्यांकन चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

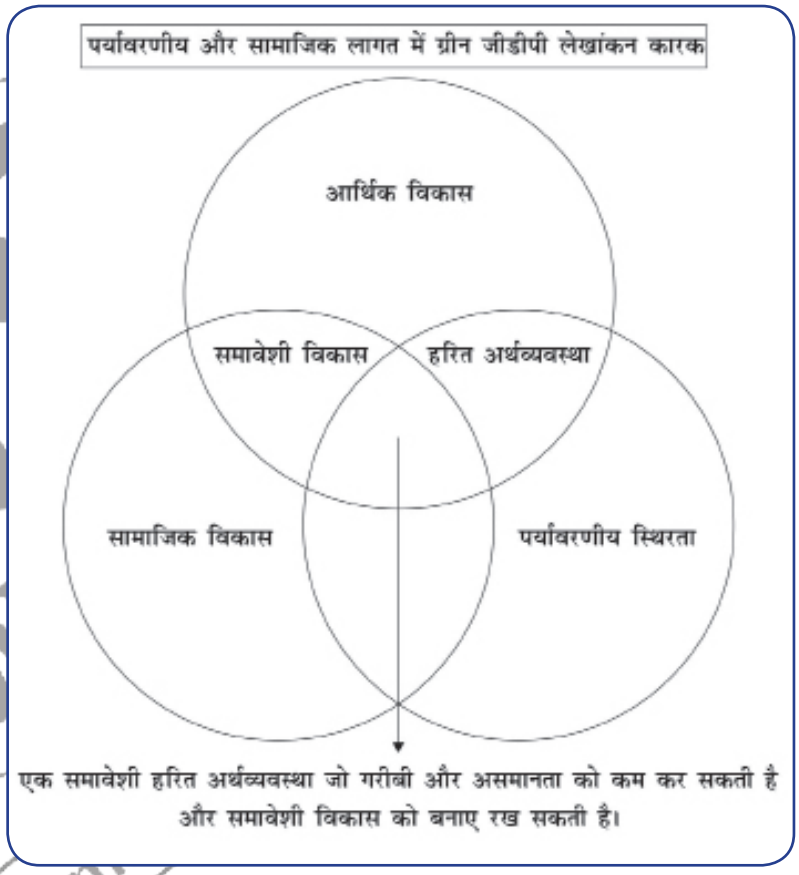

एक समावेशी हरित अर्थव्यवस्था जो गरीबी और असमानता को कम कर सकती है और समावेशी विकास को बनाए रख सकती है।

जब प्रदूषण होता है, तो यह वास्तव में हमारी प्राकृतिक पूंजी को नुकसान पहुँचता है, उदाहरण के लिए, एसिड बारिश के कारण वनों को नुकसान होता है और औद्योगिक कचड़े पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। एक आधुनिक अर्थव्यवस्था में, प्राकृतिक पूंजी के लिए इस तरह के मूल्यह्रास का अनुमान लगाना एक बड़ी चुनौती है।

भौम जल बेसिन पर विचार करें। भारत में अधिकांश भौम जल बेसिन को अप्रतिबंधित निष्कर्षण के अधीन किया जाता है जब तक कि पानी निकालने का मामूली मूल्य यूनिट निष्कर्षण लागत से कम न हो।

अब कई अर्थशास्त्रियों ने 'पर्यावरण कुजनेत्स वक्र' (Environmental Kuznets Curve) के लिए दबाव डाला है, जो यह दर्शाता है कि प्रति व्यक्ति जीडीपी और स्थानीय हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की एकाग्रता के बीच संबंध एक उलटा यू वक्र है।

इस तरह के एक रिश्ते ने इस पद को जन्म दिया है कि विकासशील देशों के लोग प्राकृतिक पर्यावरण पर विशिष्ट भार नहीं लगा सकते हैं और प्रदूषण को सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के स्वीकार्य दुष्प्रभाव के रूप में मानना चाहिए।

हालांकि, यह उलटा यू वक्र मुख्य रूप से स्थानीय प्रदूषकों से संबंधित है जो अल्पकालिक क्षति (सल्फर, छोटे कण) का कारण बनता है, न कि प्रदूषकों के लिए जो लंबी अवधि और फैलाने वाली लागत (कार्बन डाइऑक्साइड) का कारण बनता है। इसके अलावा, उलटा यू वक्र उत्सर्जन के व्यवस्थित परिणाम को छुपाता है।

भारत नियमित रूप से वायु प्रदूषण के उच्च स्तर से पीड़ित है जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय परिवहन, स्वास्थ्य और जीवनशैली पर अतिरिक्त लागत अधिरोपित करता है। जब आर्थिक विकास कृषि, खनन या यहां तक कि शहरी विस्तार के लिए जंगलों, आर्द्रभूमि और वुडलैंड्स के विनाश की ओर अग्रसर होता है, तो यह आम तौर पर पारंपरिक निवासियों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। पारिस्थितिकीय पतन जल्द ही आ सकता है, सूडान में दरफुर क्षेत्र और अफ्रीका के हॉर्न देश इसके उदाहरण हैं। सभी तेजी से सामाजिक-आर्थिक गिरावट के अधीन है।

किये जा रहे कुछ प्रयास

भारत ने अतीत में 'हरित जीडीपी' आंकड़ों का अनावरण करने की मांग की है। वर्ष 2009 में, केंद्र ने घोषणा की कि वह एक 'हरित सकल घरेलू उत्पाद' प्रकाशित करेगा जिसमें हमारे जंगलों, घास के मैदानों और प्राकृतिक स्टॉक को कम करने और घटाने की पर्यावरणीय लागत शामिल होगी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक विशेषज्ञ कार्यक्रम, पर्यावरण सांख्यिकी 2013 का एक सारांश भी जारी किया गया है।

समूह ने सिफारिश की कि भारत व्यापक राष्ट्रीय संपत्ति को मापने की प्रणाली में बदलाव करेगा, जिसमें मानव पूंजी, पूंजीगत उपकरण और प्राकृतिक पूंजी जैसे मद शामिल हैं।

12वीं पंचवर्षीय योजना ने राष्ट्रीय स्तर पर भूजल संसाधन मानचित्रण शुरू किया है, जबकि भूमि उपयोग, जंगलों और खनिज संपदा पर डेटा के लिए एक समान फोकस आवश्यक है। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय खातों में सीमित फैशन में ऐसे पर्यावरणीय विचार शामिल हैं।

जीडीपी में मूल्य शामिल है: निकाले गए खनिज; लकड़ी, ईंधन वाली लकड़ी और गैर लकड़ी के उत्पादों; कुछ फसलों के लिए खेती की संपत्तियों का प्राकृतिक विकास; और गोबर खाद से उत्पादन। इसके अलावा, 'सकल नियत पूंजी निर्माण में सिंचाई कार्यों और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के साथ भूमि के सुधार से आउटपुट का अनुमान शामिल हैं।'

भारत को 'हरित जीडीपी' आंकड़े प्रकाशित करना चाहिए जो आर्थिक शोषण और पर्यावरणीय गिरावट के कारण प्राकृतिक पूंजीगत स्टॉक के मूल्यह्रास को ध्यान में रखते हैं। यह यूएन की पर्यावरण-आर्थिक लेखा प्रणाली द्वारा प्रदान किए गए टेम्पलेट का पालन कर सकता है।

कुछ अध्ययनों ने भारत में प्राकृतिक पूंजी द्वारा दी गई पारिस्थितिक सेवाओं को दस्तावेजीकरण करने की कोशिश की गयी है। लेकिन हमें ऐसी पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के संभावित मूल्य के अनुभवजन्य अध्ययनों के लिए 'अधिक बढ़ावा' देने की आवश्यकता है।

इस ढांचे के अनुरूप हमारे राष्ट्रीय खातों को अनुकूलित करने से हमारे विकास में पर्यावरण के मूल्य को शामिल करने में मदद मिलेगी, जबकि हमें हरित अर्थव्यवस्था के व्यवहार्य संक्रमण पथ को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी।

Green GDP Means
1 monetization of the loss of biodiversity
2 accounting for costs caused by climate change
3 substracting resource depletion, environmental degradation from traditional GDP figures
4 helping to manage both economies as well as resources

Green GDP Does not mean
1 Monetary value of the Forests etc.
2 Growth of Green Investments.

हरित जीडीपी

- आमतौर पर सकल घरेलू उत्पाद का आकलन करते समय मानव विनिर्मित पूंजीगत आस्तियों के उपभोग (पूंजी ह्रास) को समायोजित किया जाता है। यदि इसमें प्राकृतिक संसाधनों के दोहन एवं उपभोग को भी शामिल कर लिया जाए तो जो नए आँकड़े प्राप्त होंगे वे पर्यावरणीय समायोजित सकल घरेलू उत्पाद या हरित जीडीपी कहलाएंगे।

क्या यह सकल घरेलू उत्पाद के समान है?

- हरित जीडीपी पारंपरिक सकल घरेलू उत्पाद की तरह नहीं है। हरित जीडीपी का यह भी मतलब नहीं है कि इसके जरिए दुनिया या देश के जंगलों-वनोपज या वन्यजीव की कीमत लगाई जाए। हरित जीडीपी का मतलब हरित निवेश से भी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुताबिक हरित जीडीपी का मतलब जैविक विविधता की कमी और जलवायु परिवर्तन के कारणों को मापना है।
- हरित जीडीपी का मतलब पारंपरिक सकल घरेलू उत्पाद के उन आँकड़ों से है, जो आर्थिक गतिविधियों में पर्यावरणीय तरीकों को स्थापित करते हैं। किसी देश की हरित जीडीपी से मतलब है कि वह देश सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिये किस हद तक तैयार है। इसका मतलब यह है कि हरित जीडीपी पारंपरिक जीडीपी का प्रति व्यक्ति कचरा और कार्बन के उत्सर्जन का पैमाना है। जो कितना घट या बढ़ रहा है।

किस देश ने इसे पहले अपनाया?

- दुनिया में चीन पहला देश है। जिसने 2004 में पहली बार अपने सकल घरेलू उत्पाद में हरित जीडीपी का फॉर्मूला और पैमाना पेश किया था। आर्थिक विकास में पर्यावरण नुकसान की कीमत को लेकर पहली बार चीन ने ही 2006 में 2004 के आँकड़े जारी किए थे।
- हरित जीडीपी का आँकड़ा जारी करने की दिशा में भारत की सोच 2009 में बढ़ी, जब तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने कहा था कि भारत के वैज्ञानिक भी हरित जीडीपी का अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद भारत में तब के सांख्यिकी प्रमुख प्रणब सेन की अध्यक्षता में जीडीपी में हरित जीडीपी के आँकड़ों पर अध्ययन शुरू हुआ और पहली बार इसकी सूची इस साल यानी 2015 में जारी की गई।

उद्देश्य

- लगातार बिगड़ती आबोहवा और बढ़ते प्रदूषण की वजह से किसी न किसी को आगे आना ही होगा और अब समय आ गया है कि दुनिया को हरित अर्थव्यवस्था यानी ग्रीन इकोनॉमी में निवेश बढ़ाना ही होगा। यानी अपने औद्योगिक उत्पादन के लिये ऐसे ईंधन का इंतजाम करना और उसका इस्तेमाल बढ़ाना होगा, जिससे पृथ्वी का प्राकृतिक मिजाज बना रहे और पारिस्थितिकीय संतुलन भी बना रहे हैं। हरित सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रीन जीडीपी की अवधारणा इसी विचार पर केंद्रित है।

पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार की हालिया

- सरकार ने दिसंबर 2015 में, जनवरी 2018 से प्रभावी होने के लिए कोयले से निकाले गए बिजली संयंत्रों के लिए नए, सख्त पर्यावरणीय मानकों को अधिसूचित किया है।
- चरण 1 मानदंडों को छोड़कर 1 अप्रैल, 2020 से भारत स्टेज VI उत्सर्जन मानदंडों को लागू करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
- 2017 में, ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, ताकि 2030 तक देश में केवल बिजली के वाहनों का उत्पादन और उसे बेचा जा सके।
- बिजली के नवीकरणीय स्रोतों में संक्रमण को तेज करने के लिए, राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत सरकार ने 2021-22 तक 20 जीडब्ल्यू से 100 जीडब्ल्यू तक सौर क्षमता स्थापित करने के लक्ष्य को संशोधित किया है।
- केंद्र ने भारत के सुप्रीम कोर्ट को भी आश्वासन दिया है कि अत्यधिक प्रदूषित गंगा 2018 तक साफ हो जाएगी।

भारत में पर्यावरण लेखांकन का इतिहास और स्थिति

- 1990 के दशक के आरंभ में भारत के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा पर्यावरण सांख्यिकी (एफडीईएस) के विकास के लिए एक ढांचा विकसित किया गया था।
- सुप्रीम ऑडिट संस्थानों (आईएनटीओएसएआई) के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मार्गदर्शन के बाद, सीएजी 2002 से भारत में पर्यावरण लेखा परीक्षा आयोजित करता है।
- इस प्रकार, भारत में, केंद्रीय स्तर पर अनुपालन लेखा परीक्षा और प्रदर्शन लेखा परीक्षा के व्यापक ढांचे के भीतर पर्यावरण स्तर पर राज्य स्तर पर राज्य लेखाकार जनरलों (लेखा परीक्षा) द्वारा आयोजित किया जाता है।

ग्रीन जीडीपी की गणना में चुनौतियां

- प्राकृतिक पूंजी पर पर्याप्त सूक्ष्म स्तर का डेटा नहीं है। इसके लिए, अंतर-मंत्रालयी (inter-ministerial) समूह डेटा घाटे में सुधार करने हेतु समाधान की तलाश में है।
- उदाहरण के लिए, भौम जल स्तर की कुल मात्रा या विभिन्न क्षेत्रों जहां पानी का उपयोग अधिक किया जाता है, जैसे मुद्दों पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
- प्राकृतिक पूंजी दुनिया के प्राकृतिक संपत्तियों का स्टॉक है जिसमें भूविज्ञान, मिट्टी, वायु, पानी और सभी जीवित चीजें शामिल हैं। यहाँ पूंजी का अर्थ है कि मनुष्य सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्राप्त करते हैं, जिन्हें अक्सर पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है, जो मानव जीवन को संभव बनाते हैं।
- ग्रीन जीडीपी की गणना एक जटिल प्रक्रिया है और इसलिए डेटा अंतराल को सुधारने के लिए अच्छे बजटीय आवंटन की आवश्यकता है।

- इसके अलावा, आर्थिक विकास के बाह्य कारकों को पारंपरिक जीडीपी संख्याओं में शामिल नहीं किया गया है, जिसका मौद्रिक मूल्य बड़ा है।
- 2013 में, विश्व बैंक के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया था कि वायु प्रदूषण के कारण, भारत को 550 अरब डॉलर या सकल घरेलू उत्पाद का 8.5% से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा था।
- भारत जीवाश्म ईंधन जैसे उत्पादों के सबसे बड़े आयातकों में से एक है जिसका स्थायित्व भविष्य में ज्ञात नहीं है। फिर भी, इसके द्वारा प्रदूषण लागत जीडीपी में शामिल नहीं है और लंबी अवधि में, इसका अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है।
- डब्ल्यूडब्ल्यूएफ- 'लिविंग प्लेनेट' की एक और रिपोर्ट- से यह पता चलता है कि भारत की कुल भूमि का 25% मरुस्थलीकरण से गुजर रहा है, जबकि 32% गिरावट का सामना कर रहा है। यह भारत की कृषि अर्थव्यवस्था की भविष्य की खाद्य उत्पादन क्षमता पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने के लिए बाध्य है क्योंकि सदी के अंत तक फसल उत्पादन में 10-40% की कमी हो सकती है।
- चीन और नॉर्वे ने पहले ही ग्रीन एकाउंटिंग के साथ प्रयोग शुरू कर दिए है। हालांकि, चीन ने 2007 में इसे छोड़ दिया, (2004 में शुरू हुआ) यह महसूस करने के बाद कि पर्यावरणीय लागत में फैक्टरिंग देश के अनुमानित 'आर्थिक विकास' पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है।

कुजनेत्स वक्र

- कुजनेत्स वक्र, साइमन कुजनेत्स की उस प्राक्कल्पना की आरेखीय प्रस्तुति है जिसके अनुसार कोई देश जब विकास करता है तो बाजार की ताकतों द्वारा संचालित आर्थिक असमानता का एक प्राकृतिक चक्र उत्पन्न हो जाता है।
- आरंभिक चरण में असमानता में वृद्धि दिखायी देती है और फिर एक निश्चित औसत आय के बाद यह कम होने लगती है। यह वक्र यह प्रदर्शित करता है कि जब आर्थिक विकास शुरु होता है तो कुछ लोग ही आय वृद्धि से लाभान्वित होते हैं, इसलिए आर्थिक विकास के साथ-साथ आय के वितरण में विषमता कम होने लगती है जिसके कारण यह उल्टे 'यू' (U) आकार का हो जाता है।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. 'हरित जीडीपी' (Green GDP) से आपका क्या अभिप्राय है/हैं?

1. वनों का मौद्रिक मूल्य।
2. अर्थव्यवस्था में ग्रीन निवेश की वृद्धि।
3. जैव विविधता के मुद्रीकृत नुकसान को दिखाते हुए खाते, जिसकी लागत में वृद्धि जलवायु परिवर्तन के कारण हुई है।
4. आर्थिक गतिविधियों की पर्यावरणीय लागत के लिए समायोजित पारंपरिक जीडीपी आंकड़े।

नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनें:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 4
(c) केवल 3 और 4
(d) केवल 4

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. ग्रीन जीडीपी पर्यावरणीय कारकों को मानता है।
2. सकल घरेलू उत्पाद एनडीपी के समान है।

निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

नोट : 23 मई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(b) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. 'ग्रीन जीडीपी' और 'प्राकृतिक पूंजी' से आप क्या समझते हैं? इसकी गणना कैसे की जाती है? एक राष्ट्र के लिए 'ग्रीन जीडीपी' लागू करने से संबंधित चुनौतियां क्या हैं? चर्चा कीजिये।

(250 शब्द)

What do you understand by Green GDP and Natural capital? How is it calculated? What are the challenges pertaining to implementing 'Green GDP' for a nation? Examine.

(250 Words)

2. हाल ही में हुए जलवायु परिवर्तन समझौते ने सभी देशों का ध्यान 'ग्रीन जीडीपी' पर केंद्रित किया है। भारत की अर्थव्यवस्था के संबंध में ग्रीन जीडीपी और इसके महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

The recent climate change agreement has brought back the focus on 'Green GDP'. Critically analyse the need for Green GDP and its significance with respect to India's economy.

(250 Words)

होमबॉयर्स और दिवालियापन कोड

25 मई, 2018

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

रियल एस्टेट डेवलपर्स द्वारा उनके पैसे का हिस्सा बनने वाले गृह खरीदारों को कुछ राहत मिली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऋणशोधन एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जो एक कानून है जिसे नवंबर, 2016 में लागू किया गया था, ताकि असफल व्यवसायों पर लगाम लगाया जा सके।

यह अध्यादेश खासतौर पर अचल संपत्ति क्षेत्र और छोटे एवं मझोले उद्यमों (एसएमई) से जुड़ी आईबीसी की प्रक्रियाओं की विसंगतियों को दूर करना चाहता है। ये दोनों क्षेत्र अर्थव्यवस्था में वृद्धि के प्रमुख स्रोत हैं और देश के मध्य वर्ग के विस्तार के लिए अचल संपत्ति क्षेत्र में स्थिरता और पारदर्शिता दोनों आवश्यक हैं।

हालांकि सरकार ने संशोधन के विशिष्ट विवरणों को प्रकट करने से इनकार कर दिया है, लेकिन कानून में बदलाव से दिवालिया कंपनियों से बकाया राशि वसूलने की बात सामने आई है जिससे घर के खरीदारों को बेहतर सुविधा प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा गठित एक 14 सदस्यीय पैनल ने पिछले महीने सिफारिश की थी कि दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया के दौरान गृह खरीदारों को वित्तीय लेनदारों के रूप में माना जाना चाहिए।

ऐसे सुझाव भी सामने आए हैं कि अगर संहिता की धारा 9 में बदलाव में वक्त लगता है तो सरकार के सामने एक विकल्प यह भी है कि वह मकान खरीदने वालों को न्यासियों की एक नई श्रेणी में डाल दे ताकि उनके हितों का संरक्षण किया जा सके।

हांलाकि, यह अभी तक ज्ञात नहीं है कि संशोधित कानून के तहत बैंकों और अन्य वित्तीय उधारदाताओं की तुलना में घर के खरीदारों के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा।

लेकिन इन पारंपरिक उधारदाताओं के लिए ऐसा कठोर कदम उठाने का एक ठोस कारण है। आर्थिक रूप से बोलते हुए, गृह खरीदार लेनदार नहीं हैं, बल्कि केवल रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए ग्राहक हैं। बैंकों और संस्थागत निवेशकों जैसे पारंपरिक लेनदारों के विपरीत, वे अतिरिक्त रिटर्न की अपेक्षा में अपने पैसे की पेशकश नहीं करते हैं।

होमबॉयर्स केवल अच्छे वितरण प्राप्त करना चाहते है जिस चीज का उनको वादा किया गया था। इस प्रकार घर खरीदने वालों को बढ़ावा देना अनुचित है, जिन्होंने अब तक अनिश्चित उद्यम पर अपने पैसे का जोखिम नहीं उठाया है।

अब तक, घर के खरीदारों को अपने अधिकारों को कायम रखने के लिए अदालतों के दरवाजे पर दस्तक देना पड़ा है, जबकि अन्य हितधारकों को उनकी लागत पर काफी लाभ हुआ है। स्वाभाविक सी बात है कि बैंक इस बात से नाराज हैं कि मकान खरीदने वाले लोग अपने निवेश के अनुपात में प्रक्रिया पर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जेपी के मामले में मकान खरीदने वालों ने कंपनी में बैंकों की तुलना में 37 अरब रुपये अधिक लगाए थे।

यह भी स्पष्ट नहीं है कि मकान खरीदने वालों के प्रतिनिधि का चयन कैसे किया जाएगा और ऋणदाता समिति के प्रभाव और उसके सहज रूप से काम करने से क्या तात्पर्य है। संशोधन, यदि यह उम्मीदों को पूरा करता है, तो आईबीसी और रियल एस्टेट विनियमन अधिनियम (रेरा) के बीच असंगतताओं को भी कम कर सकता है।

सरकार ने वर्ष 2022 तक सबको आवास देने का लक्ष्य तय किया है। इसलिए मकान खरीदने वालों के लिए पारदर्शिता और सुरक्षा प्राथमिकता होनी ही चाहिए। अचल संपत्ति क्षेत्र को विकसित और आधुनिक बनाने के प्रयास में ही वर्ष 2016 में अचल संपत्ति नियमन एवं विकास अधिनियम (रेरा) लाया गया था। माना जा रहा था कि यह कानून मकान खरीदने वालों को गड़बड़ी करने वाले डेवलपरों से सुरक्षा प्रदान करेगा।

परंतु देखा जाए तो आईबीसी और रेरा एक दूसरे के साथ सुसंगत नहीं नजर आते। खासतौर पर आईबीसी के तहत आशंका यह थी कि मकान खरीदने वालों को असुरक्षित ऋणदाता माना जाएगा, क्योंकि अगर कोई अचल संपत्ति कंपनी दिवालिया होगी तो परिसंपत्ति वितरण में उनका नंबर बहुत पीछे आएगा।

इसके चलते पहले ही कई तरह की कानूनी दिक्कतें सामने आनी शुरू हो गई। जब राष्ट्रीय कंपनी कानून पंचाट (एनसीएलटी) ने इलाहाबाद में जेपी इन्फ्राटेक को दिवालिया प्रक्रिया में भेजा, लेकिन मकान खरीदने वालों ने इस मामले को देश की सर्वोच्च अदालत में चुनौती दे दी। सर्वोच्च न्यायालय ने आईबीसी की प्रक्रिया में मकान खरीदने वालों का पक्ष रखने के लिए एक न्यायिक मित्र की नियुक्ति कर दी।

देखा जाये तो, रेरा को घरों की समय पर और ईमानदार डिलीवरी सुनिश्चित करके खरीदारों के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य के साथ पेश किया गया था, लेकिन उन्हें दिवालियापन की कार्यवाही में विभिन्न हितधारकों के बीच अपेक्षाकृत कम स्थिति के साथ संतुष्ट होना पड़ा।

वास्तव में, खरीदारों को असुरक्षित लेनदारों के रूप में माना गया है। इस असंगतता को हटाने से भविष्य में घर खरीदारों को बेहतर न्याय प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। रेरा के साथ, प्रस्तावित संशोधन बेईमान रियल एस्टेट डेवलपर्स को घर के खरीदारों को बेदखल करने से रोकने में काफी लंबा रास्ता तय कर सकता है।

मकान मालिक के अधिकारों को बनाए रखने के दौरान अचल संपत्ति डेवलपर्स और बैंकों जैसे बड़े लेनदारों को दर्द हो सकता है, इससे पारदर्शी और अधिक कुशल अचल संपत्ति बाजार के विकास में मदद मिलेगी।

GS World टीम...

चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार के हालिया फैसले से घर खरीदने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने घर खरीदारों के लिए दिवालिया कानून यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में बदलाव के लिए प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया था।

क्या हुआ है बदलाव?

- अब यदि कोई रियल एस्टेट कंपनी डूबती है या दिवालिया घोषित होती है, तो उसकी संपत्ति की नीलामी में घर खरीदारों का भी हिस्सा होगा। रियल्टी कंपनियों के डूबने की स्थिति में अब तक संपत्ति की नीलामी में बैंक का ही हिस्सा होने का प्रावधान था। लेकिन अब नीलामी में होम बायर्स का भी हिस्सा होगा।
- ग्रेटर नोएडा समेत तमाम बड़े शहरों में रीयल एस्टेट निर्माण कंपनियों के डूबने घर खरीदने वाले हजारों लोगों का पैसा फंसा है। ऐसे में सरकार का यह फैसला उनके लिए बड़ी राहत का सबब लेकर आया है। इस दायरे में वे तमाम लोग आएंगे, जिन्होंने रियल्टी कंपनी को पैसा चुकाया है।

क्या होगा असर?

- इससे किसी भी डेवेलपर के डिफॉल्ट करने पर घर खरीदार को उसकी रकम मिल सकेगी। इससे रिफंड की प्रक्रिया भी तेज होगी, जो पहले लंबे समय तक फंसी रहती थी और घर खरीदार डेवलपर और कोर्ट के चक्कर काटते रह जाते थे।
- दिवालियापन कानून में संशोधन के लिए सरकार ने 14 सदस्यों की समिति बनाई थी, जिसने पिछले महीने रिपोर्ट दी थी। समिति ने घर खरीदने वालों की परेशानियां दूर करने और बैंकों के लिए रिकवरी आसान करने संबंधी सुझाव दिए थे। कैबिनेट ने इसी के आधार पर अपना फैसला दिया है।

कितना मिलेगा हिस्सा?

- कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दिवालिया होने पर बिल्डर या बिल्डर कंपनी की सम्पत्ति बेचने पर जितना धन मिलेगा, उसमें कितना फीसदी घर खरीददारों को दिया जाए, इस बात का फैसला कई पैमानों पर तय किया जा सकता है। सबसे पहले यह देखा जाए कि बिल्डर पर कितना पैसा बकाया है।
- साथ ही कितने घर खरीददारों को पजेशन नहीं मिला है और उनकी कितनी देनदारी है। साथ ही बिल्डर पर कितना कर्ज बकाया है। इसके बाद सम्पत्ति बेचने के बाद उससे प्राप्त धन में कितना हिस्सा घर खरीददारों को दिया जा सकता है। इसके लिए बैंकों और अन्य एक्सपर्ट से बात कर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

क्या है मौजूदा नियम?

- अभी खरीदारों को 'ऑपरेशनल क्रेडिटर' का दर्जा हासिल है। कंपनी के डिफॉल्ट करने पर कंपनी की नीलामी से जो पैसे मिलते हैं, उसमें खरीदार का हक सबसे अंत में आता है। मगर अब घर खरीदारों को बैंकों के समान फाइनेंशियल क्रेडिटर का दर्जा मिलेगा।
- कंपनी डूबने की स्थिति में और नीलामी में केवल बैंकों को ही पैसा मिलता था। मगर अब घर खरीदार भी इसके हकदार होंगे। इसके लिए घर खरीदारों को दिवालिया हुई रियल्टी कंपनी के खिलाफ केस करना होगा। इससे फंसे हुए प्रोजेक्ट्स के खरीदारों को भी राहत मिलेगी।

द इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016

- विदित हो कि विगत वर्ष केंद्र सरकार ने आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम उठाते हुए एक नया दिवालियापन संहिता संबंधी विधेयक पारित किया था।
- गौरतलब है कि यह नया कानून 1909 के 'प्रेसीडेंसी टाउन इन्सॉल्ववेन्सी एक्ट' और 'प्रोवेंशियल इन्सॉल्ववेन्सी एक्ट 1920' को रद्द करता है और कंपनी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और 'सेक्यूटाईजेशन एक्ट' समेत कई कानूनों में संशोधन करता है।
- दरअसल, कंपनी या साझेदारी फर्म व्यवसाय में नुकसान के चलते कभी भी दिवालिया हो सकते हैं। यदि कोई आर्थिक इकाई दिवालिया होती है तो इसका मतलब यह है कि वह अपने संसाधनों के आधार पर अपने ऋणों को चुका पाने में असमर्थ है।
- ऐसी स्थिति में कानून में स्पष्टता न होने पर ऋणदाताओं को भी नुकसान होता है और स्वयं उस व्यक्ति या फर्म को भी तरह-तरह की मानसिक एवं अन्य प्रताड़नाओं से गुजरना पड़ता है। देश में अभी तक दिवालियापन से संबंधित कम से कम 12 कानून थे जिनमें से कुछ तो 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं।

एनपीए समस्या के समाधान में बैंकरप्सी कोड 2016 का

- जब कोई देनदार अपने बैंक को अपनी देनदारियाँ चुकाने में असमर्थ हो जाता है, तब उसके द्वारा लिया गया ऋण नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) कहलाता है। नियमों के हिसाब से जब किसी ऋण राशि का मूलधन या ब्याज तय अवधि के 90 दिन के भीतर नहीं आता है तो, उसे एनपीए में डाल दिया जाता है।
- अर्थात् यदि किसी ऋण से बैंक को रिटर्न मिलना बंद हो जाता है, तब वह उसके लिये एनपीए या बैड लोन हो जाता है। कई बार ऋणी दिवालिया हो जाता है, ऐसे में बैंक उसकी परिसम्पत्तियों को बेचकर अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं।
- विदित हो कि बैंकरप्सी कोड 2016 के अनुसार किसी ऋणी के दिवालिया होने पर आसानी से उसकी परिसंपत्तियों को अधिकार में लिया जा सकता है।
- नए कानून के हिसाब से, यदि 75 प्रतिशत ऋणदाता सहमत हों

तो ऐसी कोई कंपनी, जो अपने ऋण नहीं चुका पा रही पर 180 दिनों (90 दिन के अतिरिक्त रियायती काल के साथ) के भीतर कार्रवाई की जा सकती है।

- यदि तब भी वसूली नहीं हो पाती तो, वह फर्म या व्यक्ति स्वयं दिवालिया हो जाएंगे। नए कानून के लागू होने से ऋणों की वसूली में अनावश्यक देरी और उससे होने वाले नुकसानों से बचा जा सकेगा।
- ऋण न चुका पाने की स्थिति में कंपनी को अवसर दिया जाएगा कि वह एक निश्चित कालखंड में अपने ऋण को चुका दे, अन्यथा स्वयं को दिवालिया घोषित करे। यदि कोई ऋणी दोषी पाया जाता है तो उसे 5 साल की सजा का भी प्रावधान है।

* * *

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016-

1. एक नियामक ढांचे का परिकल्पना करता है जिसमें दिवालियापन बोर्ड दिवालिया पेशेवर एजेंसियों (आईपीए) के कामकाज को नियंत्रित करता है और आईपीए दिवालिया पेशेवरों (आईपीएस) को नियंत्रित करते हैं।
2. इस संहिता के अनुसार किसी ऋणी के दिवालिया होने पर आसानी से उसकी परिसंपत्तियों को अधिकार में लिया जा सकता है।
3. नए कानून के हिसाब से, यदि 75 प्रतिशत ऋणदाता सहमत हों तो ऐसी कोई कंपनी, जो अपने ऋण नहीं चुका पा रही, पर 180 दिनों (90 दिन के अतिरिक्त रियायती काल के साथ) के भीतर कार्रवाई की जा सकती है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) उपर्युक्त सभी
(d) इनमें से कोई नहीं

2. निम्नलिखित में से किसने दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 को लागू किया?

(a) भारतीय रिजर्व बैंक
(b) वित्त मत्रांलय
(c) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(d) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

3. भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. यह दिवाला और दिवालियापन संहिता-2016 के तहत ऋणशोधन पेशेवरों, ऋणशोधन पेशेवर एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं को विनियमित करता है।
2. बोर्ड के सदस्यों में आरबीआई, वित्त मंत्रालय, कानून मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के लोग शामिल हैं।

निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन असत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

4. सरकार द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता पारित किया जा चुका है। दिवालियापन रिजॉल्यूशन प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सत्य है?

1. रिजॉल्यूशन प्रक्रिया देनदार या लेनदारों द्वारा भुगतान में डिफॉल्ट पर शुरू की जा सकती है।
2. प्रक्रिया को 360 दिनों के भीतर पूरा करना होगा।
3. प्रक्रिया के दौरान, लेनदार या तो कंपनी के ऋण को पुन: व्यवस्थित करने का फैसला करेंगे या अपनी बकाया राशि वसूलने के लिए अपनी संपत्ति बेचेंगे।
4. बिक्री से प्राप्त आय प्राथमिकता के साथ वितरित की जाएगी।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 1, 2 और 3 (b) 2, 3 और 4
(c) 1, 3 और 4 (d) उपरोक्त सभी

नोट : 24 मई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(a) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. वर्तमान में बैंकिंग व्यवस्था की समीक्षा करते हुए एनपीए की गंभीर होती समस्या के समाधान में 'द इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016' (दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016) की भूमिका का मूल्यांकन कीजिये।
(250 शब्द)

In presently reviewing the banking system, evaluate the role of 'The Insolvency and Bankruptcy Code 2016' in the solution of the serious problem of NPA.
(250 words)

2. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) के महत्व को स्पष्ट करते हुए भारत में इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालें?
(250 शब्द)

Illustrate the importance of Bankruptcy and Bankruptcy Code, 2016 (IBC), highlighting its requirement in India?
(250 Words)

GS World Committed To Excellence